

संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947

{संयुक्त प्रांतीय अधिनियम सं० 26, 1947}

THE UNITED PROVINCES PANCHAYAT RAJ ACT, 1947

[U. P. ACT No. XXVI OF 1947]

संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947¹

{संयुक्त प्रांतीय अधिनियम सं० 26, 1947}

उ०प्र०अधिनियम संख्या 10, 1950
 उ०प्र०अधिनियम संख्या 6, 1952
 उ०प्र०अधिनियम संख्या 18, 1952
 उ०प्र०अधिनियम संख्या 6, 1954
 उ०प्र०अधिनियम संख्या 2, 1955
 उ०प्र०अधिनियम संख्या 19, 1957
 उ०प्र०अधिनियम संख्या 15, 1960
 उ०प्र०अधिनियम संख्या 3, 1961
 उ०प्र०अधिनियम संख्या 33, 1961
 उ०प्र०अधिनियम संख्या 9, 1962
 उ०प्र०अधिनियम संख्या 20, 1963
 उ०प्र०अधिनियम संख्या 10, 1965
 उ०प्र०अधिनियम संख्या 20, 1966
 राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 38, 1968
 उ०प्र०अधिनियम संख्या 14, 1968
 उ०प्र०अधिनियम संख्या 6, 1969
 उ०प्र०अधिनियम संख्या 19, 1970
 उ०प्र०अधिनियम संख्या 18, 1971
 उ०प्र०अधिनियम संख्या 31, 1972
 उ०प्र०अधिनियम संख्या 3, 1973
 उ०प्र०अधिनियम संख्या 37, 1978
 द्वारा संशोधित

{यू०पी० विधानसभा ने 5 जून, 1947 को तथा यू० पी० विधान परिषद ने 16 सितम्बर, 1947 को पारित किया।

गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 की धारा 76 के अधीन डोमीनियन आफ इंडिया के गर्वनर जनरल की स्वीकृति 7 दिसम्बर, 1947 को प्राप्त हुई तथा यू०पी० गवर्नमेंट गजट में दिनांक 27 दिसम्बर, 1947 को प्रकाशित किया गया।}

संयुक्त प्रांत के ग्राम्य क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापित करने और विकसित करने के लिये,

अधिनियम

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रांत के ग्राम्य क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापित करने और विकसित किया जाये तथा ग्राम्य प्रशासन और विकास के लिये अधिक अच्छी व्यवस्था की जाये,

भूमिका

अतः एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण दिनांक 8 अगस्त, 1946 का सरकारी गजट देखें।

[संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947]

{धारा 1-2}

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1—(1) यह संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 कहलायेगा।

(2) यह, विस्तार उत्तर प्रदेश में होगा, सिवाय उस क्षेत्र के [उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अधीन नगर अथवा]⁵ जो संयुक्त प्रान्त म्यूनिसिपैलिटी ऐक्ट, 1916 के उपबंधों के अधीन म्यूनिसिपैलिटी [या]¹ नोटिफाइड एरिया अथवा कैंटोनमेन्टस ऐक्ट, 1924 के उपबंधों के अधीन कैंटोनमेन्टस अथवा संयुक्त प्रांत टाउन एरियाज ऐक्ट, 1914 के उपबंधों के अधीन टाउन एरिया के रूप में घोषित किया जा चुका हो या उसमें सम्मिलित है या एतदपश्चात् घोषित या सम्मिलित किया जाये।

{***}⁶

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

संक्षिप्त नाम

सं0प्रां0 अधिनियम सं0 2, 1916

ऐक्ट सं0 2, 1924

सं0प्रां0 अधिनियम सं0 2, 1914

2—जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में —

परिभाषाएं

(क) “न्याय पंचायत” का तात्पर्य धारा 42 के अधीन स्थापित न्याय पंचायत से है और इसके अन्तर्गत इसकी न्यायपीठ से है ;

(ख) “वयस्क” का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसने [इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो]² ;

[(ख ख) पिछड़े वर्गों का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;]⁹

(ग) [“आपराधिक वाद”]³ का तात्पर्य न्याय पंचायत द्वारा विचारणीय किसी अपराध के संबंध में दंडिक कार्यवाही से है [और इसके अन्तर्गत धारा 53 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही भी है]⁷ ;

(घ) “सर्किल” का तात्पर्य उस सर्किल से है जिसके भीतर कोई न्याय पंचायत धारा 42 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करती हो ;

(ङ) किसी [ग्राम सभा]⁸ के अभिदेश में “कलेक्टर” अथवा “जिला मजिस्ट्रेट” या “सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट” का तात्पर्य यथास्थिति उस जिले के या उस सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट से है, जिसमें ऐसी [ग्राम सभा]⁸ संघटित हो [और उसके अन्तर्गत क्रमशः अतिरिक्त कलेक्टर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट भी होंगे];⁴

[(च) “जिला पंचायत” का वही तात्पर्य होगा, जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (ii) के अधीन इसके लिये दिया गया हो ;

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 2 के खण्ड 1 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 3 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 3 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 19, 1957 की धारा 2 (1) द्वारा बढ़ाया गया और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 2 (क) द्वारा अन्तर्विष्ट।
6. उपर्युक्त की धारा 2 (ख) द्वारा निकाला गया।
7. उपर्युक्त की धारा 3 (क) द्वारा अन्तर्विष्ट।
8. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उपर्युक्त की धारा 3(क) द्वारा बढ़ाया गया।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 2}

(छ) “ग्राम सभा” का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से गठित और धारा 3 के अधीन स्थापित किसी निकाय से है ;

(ज) “ग्राम पंचायत” का तात्पर्य धारा 12 के अधीन {संघटित}⁹ ग्राम पंचायत से है ;⁶

{(जज) वित्त आयोग का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 348—झ के अधीन संघटित वित्त आयोग से है,

(जजज) क्षेत्र पंचायत’ का वही तात्पर्य होगा, जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (6) के अधीन इसके लिए दिया गया है;}⁷

{(झ) “निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी” का तात्पर्य धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में नाम—निर्दिष्ट या पदाभिहित अधिकारी से है;}³

(ज) {* * *}¹

{(ट) किसी न्याय पंचायत के निर्देश में, “मुन्सिफ” और “न्यायिक मजिस्ट्रेट” का तात्पर्य यथास्थिति उस मुन्सिफ या मजिस्ट्रेट से है जिसकी ऐसे न्याय पंचायत के सर्किल में क्रमशः सिविल या आपराधिकवादों के संबंध में स्थानीय अधिकारिता हो;}⁴

{(टट) “राज्य निर्वाचन आयोग” का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243—ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग से है;

{(टटट) ‘मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)’ का तात्पर्य राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी से है, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, इस रूप में पदाभिहित या नाम—निर्दिष्ट किया गया हो;}¹⁰

(ठ) “जनसंख्या का तात्पर्य ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या से है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं ;

(ठठ) ‘पंचायत क्षेत्र’ का तात्पर्य धारा 11—च की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में घोषित किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है;}⁸

(ड) {***}⁵

{(डड) “सार्वजनिक सम्पत्ति” और “सार्वजनिक भूमि” का तात्पर्य किसी ऐसे सार्वजनिक भवन पार्क या उद्यान या अन्य स्थान से जिसमें चाहे भुगतान करके या अन्यथा जनता की पहुँच तत्समय हो अथवा पहुँचने की अनुज्ञा दी जाती हो ;}²

(ढ) “लोक सभा” का तात्पर्य दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अधीन यथापरिभाषित लोक सेवक से है ;

उ0प्र0 अधिनियम सं0 1,
1951

1860 का ऐक्ट सं0 45

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 3 के उपखण्ड 3 द्वारा निकाला गया ।
2. उपर्युक्त की धारा 3 की उपधारा (6) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 3 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उपर्युक्त की धारा 3 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उपर्युक्त की धारा 3 (घ) द्वारा निकाला गया ।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 3 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उपर्युक्त की धारा 3 (ग) द्वारा बढ़ाया गया ।
8. उपर्युक्त की धारा 3(घ) द्वारा प्रतिस्थापित ।
9. उ0प्र0 अधिनियम सं0 29 वर्ष 1995 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
10. उ0प्र0 अधिनियम सं0 21 वर्ष 1995 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

(ण) “सार्वजनिक सड़क” का तात्पर्य किसी मार्ग, पुल गली, चौक, बीथिका या पथ से है जिस पर जनता को आने जाने का अधिकार हो तथा इसके अन्तर्गत दोनों ओर की नालियां या नाले तथा उससे मिली हुई किसी सम्पत्ति को नियम सीमा तक की भूमि भी है भले ही ऐसी भूमि पर किसी बरामदे या अन्य अधिरचना का कोई प्रक्षेप हो {किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा मार्ग पुल गली, चौक, बीथिका या पथ नहीं है जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में हो या जिसका अनुरक्षण या मरम्मत उनके द्वारा किया जाता हो ;}¹

(त) “नियत” का तात्पर्य इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

{(थ) “नियत प्राधिकारी” का तात्पर्य निम्नलिखित से है) :—

(1) {उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961}¹⁰ की अनुसूची 3 में उल्लिखित इस अधिनियम के उपबंधों के उपबंधों के प्रयोजनों के लिये, {जिला पंचायत}⁹ या {क्षेत्र पंचायत}⁹ जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट किया जाये ; तथा

(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के संबंध में, वह प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा चाहे सामान्यतया या किसी विशेष प्रयोजन के लिये इस रूप में अधिसूचित किया जाये ;}⁷

(द) { *** }²

(ध) {सिविल वाद}³ का तात्पर्य न्याय पंचायत द्वारा विचाराणीय सिविल वाद से है ;

{(धध) “सब डिवीजनल” के अन्तर्गत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा नामोदिष्ट या नियुक्त अतिरिक्त सब डिवीजनल अधिकारी भी है;}⁶

(न) “गांव” का तात्पर्य किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है, जो उस जिले के जिसमें वह स्थित हो, राजस्व संबंधी अभिलेखों में गांव के रूप में अभिलिखित हो {और इसके अन्तर्गत ऐसा क्षेत्र भी है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त या विशेष आदेश द्वारा गांव घोषित करे}⁴ ;

(प) { * * * }⁵

(फ) { * * * }⁵

(ब) { * * * }⁶

{(भ) “भूमि प्रबन्धक समिति” का तात्पर्य उस भूमि प्रबन्धक समिति से है, जो धारा 28-क के अधीन स्थापित की गई हो या स्थापित की गई समझी जाती हो।}⁸

-
1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 3 की उपधारा 6 द्वारा बढ़ाया गया ।
 2. उपर्युक्त की धारा 3 की उपधारा 7 द्वारा निकाला गया ।
 3. उपर्युक्त की धारा 3 की उपधारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।
 4. उपर्युक्त की धारा 3 की उपधारा 9 द्वारा बढ़ाया गया ।
 5. उपर्युक्त की धारा 3 की उपधारा 10 द्वारा निकाला गया ।
 6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 19, 1957 की धारा 2 (2) द्वारा बढ़ाया गया ।
 7. उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1961 की अनुसूची 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।
 8. उपर्युक्त की अनुसूची 8 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
 9. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
 10. उपर्युक्त की धारा 3(ड) द्वारा प्रतिस्थापित ।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 3-5क}

अध्याय 2

{ग्राम सभा}¹ की स्थापना और संघटन

{3— (1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम के लिए या ग्रामों के समूह के लिए एक ग्राम सभा, ऐसे नाम से, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाय, स्थापित करेगी:

ग्राम सभा

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ग्राम सभा ग्रामों के समूह के लिए स्थापित की जाय वहां सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम का नया ग्राम सभा के नाम के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।²

4— {***}³

5— {***}³

{अध्याय 2—क

ग्राम पंचायत के सदस्यों की अनर्हता और निर्वाचक नामावली इत्यादि}⁴

{5—क— कोई व्यक्ति, किसी ग्राम पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अनर्ह होगा, यदि —

ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिये अनर्हता

(क) वह राज्य सरकार विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनर्ह हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो;

(ख) वह ग्राम पंचायत या किसी न्याय पंचायत का वैतनिक सेवक हो;

(ग) वह किस राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या {ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत से भिन्न, किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड, निकाय या निगम}⁵ के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो;

(घ) वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी न्याय पंचायत की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया हो;

(ङ) उस पर ऐसी अवधि के लिए, जैसी नियत की जाय, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के अधीन कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा किए जाने की अपेक्षा किये जाने पर भी, विफल रहा हो;

(च) वह अनुमोचित दिवालिया हो,

(छ) वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो;

(ज) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 5 द्वारा निरसित।
4. उपर्युक्त की धारा 6 द्वारा अध्याय 2—क बढ़ाया गया।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1998 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 5ख-6क}

(झ) उसे एसेंशियल सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, 1946 अथवा यू0पी0 कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, 1947 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छः मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो,

(ज) उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अधीन तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो;

(ट) उसे स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो,

(ठ) उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो,

(ड) उसे संयुक्त प्रांत सामाजिक नियोग्यताओं का निराकरण अधिनियम, 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया हो; या

(ढ) उसे धारा 95 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के उपखण्ड (3) या (4) के अधीन पद से हटा दिया गया हो, जब तक कि ऐसी अवधि, जैसी कि उक्त धारा में इस निमित्त व्यवस्था की गई हो या ऐसी न्यूनतम अवधि, जैसी कि राज्य सरकार ने किसी विशेष मामले में आदेश दिया हो, व्यतीत न हो गई हो :

प्रतिबंध यह है कि खण्ड (घ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ) या (ड) के अधीन अनर्हता की अवधि ऐसे दिनांक से, जिसे नियत किया जाय, पांच वर्ष होगी :

अग्रत्तर प्रतिबन्ध यह है कि यथास्थिति बकायों का भुगतान कर दिए जाने या अभिलेख या संपत्ति दे दिए जाने पर खण्ड (ड) के अधीन अनर्हता न रह जाएगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किन्हीं भी खण्डों के अधीन अनर्हता राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से हटाई जा सकती है।⁵

5-ख— { *** }⁶

{6— (1) {ग्राम पंचायत का कोई सदस्य}⁷ उसका सदस्य नहीं रह जायेगा यदि उस सदस्य से संबंधित प्रविष्टि {ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली}⁸ से निकाल दी जाये।⁴

सदस्यता का न रह जाना

{(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन {ग्राम पंचायत}⁹ का सदस्य नहीं रह जाये, तो वह किसी ऐसे पद पर भी जिस पर वह {ग्राम पंचायत}⁹ का सदस्य होने के कारण निर्वाचित, नाम-निर्दिष्ट अथवा नियुक्त किया गया हो, बना न रहेगा।¹

{6-क— यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति {धारा 5-ए}³ या धारा 6 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी अनर्हता का भागी हो गया है या तो ऐसा प्रश्न नियत प्राधिकारी को उसके निर्णय के लिये अभिर्दिष्ट किया जायेगा और किसी ऐसी अपील, जो नियत की जाये, के परिणाम के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा।²

अनर्हता संबंधी प्रश्न का निर्णय

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1955 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 19, 1957 की धारा 3 (2) द्वारा बढ़ाया गया
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 38, 1968 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1994 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 8 द्वारा निकाला गया।
7. उपर्युक्त की धारा 9(क) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उपर्युक्त की धारा 9(क)(दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उपर्युक्त की धारा 9(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 7-8}

7— { * * * }¹

{7-क— (क) जहाँ 3 जुलाई, 1989 को विद्यमान किसी {ग्राम पंचायत}⁴ में महिला सदस्यों की संख्या, चाहे निर्वाचित या सहयोजित हो, {ग्राम पंचायत}⁴ के लिए नियत सदस्यों की कुल संख्या के तीस प्रतिशत से कम हो, वहां {ग्राम सभा}⁴ के सदस्यगण अनुपूरक निर्वाचन में, जो ऐसे दिनांक के पश्चात् यथाशीघ्र होगा, अपनी महिला सदस्यों में से उतनी महिला सदस्याओं को निर्वाचित करेंगे, जितनी {ग्राम पंचायत}⁴ के लिए नियत सदस्यों की कुल संख्या के तीस प्रतिशत से कम हो और तदुपरान्त {ग्राम पंचायत}⁴ के संघटन में उस सीमा तक परिवर्तन हो जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अनुपूरक निर्वाचन में अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए उतने स्थान आरक्षित रखे जायेंगे, जितने अनुपूरक निर्वाचन में भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथासम्भव वही अनुपात होगा, जो {ग्राम सभा}⁴ के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या से हो :

अग्रत्तर प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी {ग्राम पंचायत}⁴ में अनुसूचित जाति की कोई महिला सदस्य, चाहे निर्वाचित या सहयोजित हो, नहीं है, वहां पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन आरक्षण ऐसे किया जायगा, जिससे कि कम से कम एक स्थान अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित हो।

(ख) {ग्राम पंचायत}⁴ के लिए नियत सदस्यों की कुल संख्या के तीस प्रतिशत के बराबर महिला सदस्याओं की गणना करने के प्रयोजनार्थ, आधे या उससे कम की किसी भिन्न को छोड़ दिया जायगा और आधे से अधिक की भिन्न को एक गिना जायगा;

(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन तैयार की गई सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली, जैसी वह अनुपूरक निर्वाचन के लिए नाम-निर्देशन करने के लिए अन्तिम दिनांक को प्रवृत्त हो, जहां तक उसका सम्बन्ध किसी {गांव सभा}⁴ के क्षेत्र से है, उस {गांव सभा}⁴ के लिए निर्वाचक नामावली समझी जायगी और धारा 9-क, 12-क, 12-खख, 12-ख ग, 12-ख घ, 12-ग और 12-ज के उपबन्ध ऐसे अनुपूरक निर्वाचन पर यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार {गांव पंचायत}⁴ के सदस्यों के साधारण निर्वाचन पर लागू होते हैं;

(घ) यदि इस उपधारा के अधीन कोई अनुपूरक निर्वाचन करने में इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबन्ध के निर्वाचन में या किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों में न की गई हो, कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे आदेश, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जिसे वह उचित समझे, दे सकती है।³

8— यदि किसी {ग्राम पंचायत}⁴ का सम्पूर्ण क्षेत्र किसी {नगर, म्युनिसिपैलिटी}², नोटिफाइड एरिया अथवा कैंटोनमेन्ट्स या टाउन एरिया में सम्मिलित कर लिया जाये, तो {ग्राम पंचायत}⁴ न रह जायेगी और उसकी परिसम्पत्ति तथा दायित्व नियत रीति से निस्तारित किये जायेंगे। यदि ऐसे क्षेत्र का कोई भाग इस प्रकार सम्मिलित कर लिया जाये तो उतना भाग अधिकारिता में से कम हो जायेगा।

जनसंख्या में परिवर्तन अथवा {ग्राम पंचायत}⁴ के क्षेत्र की म्युनिसिपैलिटीज आदि में सम्मिलित हो जाने का प्रभाव

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1955 की धारा 9 द्वारा निकाला गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1989 के अध्याय-तीन की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1994 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 9}

¹[9— (1) ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली, {इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार,}² राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन तैयार की जाएगी।

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली

{(1-क) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य में निर्वाचक नामावलियों के तैयार किए जाने, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण और उनसे संबंधित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(1-ख) निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना, पुनरीक्षण और शुद्धि ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति से की जायेगी, जैसी नियत की जाय।³

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्वाचक नामावली नियत रीति से प्रकाशित की जाएगी और प्रकाशित कर दिए जाने पर वह इस {इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार,}⁴ किसी परिवर्तन, परिवर्द्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार की गई उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली होगी।

(3) उपधारा (4), (5), (6) और (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति, जिसने उस वर्ष की, जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जो ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण —

(एक) किसी व्यक्ति के संबंध में केवल इसी कारण कि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उसका किसी निवास-गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह न समझ लिया जाएगा कि वह उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(दो) अपने मामूली निवास स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह न समझा जायगा कि वह वहां मामूली तौर से निवासी नहीं रहा।

(तीन) संसद या राज्य के विधान मण्डल का सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिविरत नहीं समझा जाएगा।

(चार) यह विनिश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाय या न समझा जाय किन्हीं तथ्यों पर, जिन्हें नियत किया जाय, विचार किया जाएगा।

(पांच) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति मामूली तौर से कहां का निवासी है तो उस प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जाएगा।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1994 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित तथा धारा 9-क बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 21 वर्ष 1995 की धारा 4 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 4 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उपर्युक्त की धारा 4 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 9}

(4) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनर्ह होगा, यदि वह —

(क) भारत का नागरिक न हो; या

(ख) विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, या

(ग) निर्वाचनों सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह हो।

(5) जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपधारा (4) के अधीन अनर्ह हो जाय, उसका नाम उस निर्वाचक नामावली से तत्काल काट दिया जायगा, जिसमें वह दर्ज है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति के नाम को, जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण निर्वाचक नामावली से काट दिया गया हो, उस नामावली में तत्काल फिर से रख दिया जायगा यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है, जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है।

(6) कोई व्यक्ति एक से अधिक गांव सभा की निर्वाचक नामावली में या एक ही गांव सभा की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार न होगा।

(7) कोई व्यक्ति किसी गांव सभा की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा, यदि उसका नाम किसी नगर, म्यूनिसिपैलिटी या छावनी से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में दर्ज हो जब तक कि वह यह प्रदर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है।

(8) जहां राज्य निर्वाचन आयोग का, चाहे उसको दिए गए किसी आवेदन-पत्र पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जांच, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाए कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्द्धित किया जाना चाहिए, वहां वह इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों के अधीन, किसी प्रविष्टि का यथास्थिति सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन करेगा —

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अंतिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व नहीं किया जायगा :

अग्रत्तर प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति से सम्बन्धित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन, जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरुद्ध प्रस्तावित काग्रवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(9) राज्य निर्वाचन आयोग, यदि वह सामान्य या उप निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, विशेष पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली, जैसी कि वह कोई ऐसा निदेश दिए जाने के समय प्रवृत्त हो, प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि इस प्रकार निदेशित विशेष पुनरीक्षण पूरा न हो जाए।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 9}

(10) [जहां तक कि इस अधिनियम या नियमों द्वारा उपबन्ध न किया गया हो, राज्य निर्वाचन आयोग,]¹ आदेश द्वारा निर्वाचक नामावली से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध बना सकता है, अर्थात् :-

(क) इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई निर्वाचक नामावली के प्रवृत्त होने के दिनांक और उसके प्रवर्तन की अवधि;

(ख) निर्वाचक नामावली में सम्बद्ध निर्वाचक के आवेदन-पत्र पर किसी वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि;

(ग) निर्वाचक नामावलियों में लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियों की शुद्धि;

(घ) निर्वाचक नामावली में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित करना—

(एक) जिसका नाम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्र की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो किन्तु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो या जिसका नाम किसी अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में गलती से सम्मिलित किया गया हो, या

(दो) जिसका नाम इस प्रकार की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो किन्तु जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा अर्ह हो;

(ड) निर्वाचक नामावलियों की अभिरक्षा और उनका परिरक्षण;

(च) नाम सम्मिलित करने या हटाने के लिए आवेदन-पत्र पर देय फीस;

(छ) निर्वाचक नामावलियां तैयार और प्रकाशित करने से सम्बन्धित सामान्यताया सभी विषय।

(11) पूर्वगामी उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य निर्वाचन, आयोग किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने के प्रयोजनों के लिए, तत्समय प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली को अपना सकता है, जहाँ तक उसका सम्बन्ध उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र से हो:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के नाम-निर्देशन के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व, किसी संशोधन, परिवर्तन या शुद्धि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(12) किसी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित की अधिकारिता न होगी —

(क) इस प्रश्न को ग्रहण करना या उस पर निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार है या नहीं; या

(ख) निर्वाचक नामावली के तैयार करने और प्रकाशन के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन की गई किसी कार्यवाही [या इस निमित्त नियुक्त किए गए किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा किए गए किसी विनिश्चय]² की वैधता पर आपत्ति करना।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 21 वर्ष 1995 की धारा 4 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 4 (ड) द्वारा बढ़ाया गया।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 9क-11}

9-क— इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी [ग्राम पंचायत के किसी]⁶ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में तत्समय सम्मिलित हो, [उस ग्राम पंचायत या संबंधित न्याय पंचायत]⁷ में किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा और उसमें किसी पद पर निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति किए जाने के लिए पात्र होगा :

मत देने इत्यादि का अधिकार

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति, जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो, किसी ग्राम पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं होगा।³

10— यदि कोई [ग्राम सभा]² स्थापित करने में या किसी [ग्राम पंचायत]² के कार्यकरण में इस अधिनियम के किसी उपबंध के या इसके अधीन बनाये किसी नियम के निर्वचन अथवा ऐसे निर्वचन से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी विषय के संबंध में जिसके लिये इस अधिनियम में व्यवस्था न हों, कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर दिया गया निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा।

[ग्राम सभा]² स्थापित करने और [ग्राम पंचायत]² के कार्यकरण में उत्पन्न होने वाली कठिनाई का दूर किया जाना

अध्याय 3

{ग्राम सभा}² — उसकी बैठकें तथा कृत्य

{11— (1) प्रत्येक [ग्राम सभा]² की प्रतिवर्ष दो सामान्य बैठकें होगी, एक बैठक खरीफ की फसल काटने के तुरन्त बाद (जो एतदपश्चात् खरीफ की बैठक कही जायेगी) और दूसरी रबी की फसल काटने के तुरन्त बाद [जिनकी अध्यक्षता सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जाएगी]⁵ :

[ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य]⁴

प्रतिबंध यह है कि नियत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से मांग किये जाने पर अथवा सदस्यों की संख्या के कम से कम एक बटा पांच की मांग पर, ऐसी मांग के दिनांक से तीस दिन के भीतर किसी भी समय एक असाधारण सामान्य बैठक बुला सकता है। [ग्राम सभा]² की समस्त बैठक का समय और स्थान नियत रीति से प्रकाशित किया जायेगा :

अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि प्रधान यथा पूर्वोक्त बैठक बुलाने में चूक करे तो नियत प्राधिकारी नियत की जाने वाली अवधि के भीतर ऐसी बैठकें बुला सकती है।

(2) [ग्राम सभा]² की किसी बैठक के लिये गणपूर्ति की संख्या सदस्यों की संख्या की एक बटा पांच होगी, किन्तु प्रतिबंध यह है कि गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गयी किसी बैठक के लिये गणपूर्ति की आवश्यकता न होगी।¹

{(3) ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी और ग्राम पंचायत को सिफारिश और सुझाव दे सकती है :—

(क) ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन की रिपोर्ट और अन्तिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उस पर दिए गए, उत्तर, यदि कोई हो;

(ख) पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिए जाने के लिए प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट;

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 21 वर्ष 1955 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित तथा धारा 9-क बढ़ाया गया।
4. उपर्युक्त की धारा 12 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 12 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 21 वर्ष 1995 की धारा 5 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 5 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 11 क}

- (ग) ग्राम में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि;
(घ) ग्राम के भीतर प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम;
(ङ) ऐसे अन्य मामले, जैसे नियत किए जाएं।
- (4) ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिशों और सुझावों पर सम्यक विचार करेगी।
(5) ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :-
(क) सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अंशदान जुटाना;
(ख) ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हिताधिकारी की पहचान;
(ग) ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना।¹

{अध्याय 3—क

ग्राम पंचायत}²

{11—क— ग्राम पंचायत का एक प्रधान और एक उपप्रधान होगा, जो क्रमशः उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे।

ग्राम पंचायत का प्रधान और उपप्रधान

(2) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, प्रधान के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात प्रधानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की या राज्य के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या से है;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रधानों के पदों की कुल संख्या के {चौदह}⁵ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

{प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आँकड़ें उपलब्ध न हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।}⁴

(3) उपधारा (2) के अधीन आरक्षित प्रधानों के पदों की कुल संख्या के {आधे से अन्यून}⁶ पद यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

(4) प्रधानों के पदों की कुल संख्या के {आधे से अन्यून}⁶ पद, जिसमें उपधारा (3) के अधीन आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या सम्मिलित है, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

(5) इस धारा के अधीन आरक्षित प्रधानों के पद भिन्न-भिन्न ग्राम पंचायतों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में, जैसा नियत हो, आवंटित किए जायेंगे।

(6) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रधानों के पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण— यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से नहीं रोकेगी।³

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1994 की धारा 12 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 13 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 21 वर्ष 1995 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 30 वर्ष 2005 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 07 वर्ष 2008 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 11ख-11ग}

{11-ख— (1) ग्राम प्रधान का प्रधान, किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नियमावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा, अपने में से, निर्वाचित किया जाएगा।

प्रधान का निर्वाचन तथा कार्यकाल

(2) यदि किसी ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में, प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के दो-तिहाई से कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं तो राज्य सरकार या इसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा या तो —

(एक) प्रशासनिक समिति, जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए, ऐसी संख्या में, जैसी वह उचित समझे, अर्ह व्यक्ति होंगे, या

(दो) प्रशासक नियुक्त कर सकता है।

(3) प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक छः माह से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि राज्य सरकार, उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति पर ऐसी नियुक्ति के पूर्व ग्राम पंचायत के प्रधान या सदस्य के रूप में चुने एग व्यक्ति, यदि कोई हो, ऐसे प्रधान या यथास्थिति सदस्य नहीं रह जायेंगे और ग्राम पंचायत, इसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उनके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायगा।

(5) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक समिति का प्रशासक सम्यक रूप से संघटित ग्राम पंचायत समझी जाएगी :

प्रतिबंध यह है कि उपधारा (2) के अधीन प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात् यदि किसी समय राज्य सरकार का यह समधान हो जाय कि ग्राम पंचायत के सम्यक रूप से संघटित किए जाने में कोई कठिनाई नहीं है, राज्य सरकार इस बात के होते हुए भी कि जिस अवधि के लिए प्रशासनिक समिति या प्रशासक नियुक्त किया गया था, समाप्त नहीं हुई है, राज्य चुनाव आयोग को ग्राम पंचायत संघटित करने के लिए निर्वाचन कराने का निदेश दे सकती है।

(6) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्रधान की पदावधि ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी।²

{11-ग— (1) उपप्रधान {ग्राम पंचायत}¹ के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से ऐसी रीति से निर्वाचित किया जायेगा जो नियत की जाये ;

उपप्रधान का निर्वाचन और उसका कार्यकाल

प्रतिबंध यह है कि {ग्राम पंचायत}¹ तदर्थ नियमों द्वारा या उनके अधीन नियत समय के भीतर उपप्रधान को इस प्रकार निर्वाचित करने में चूक करे तो नियत प्राधिकारी {ग्राम पंचायत}¹ के किसी सदस्य को उपप्रधान नामनिर्दिष्ट कर सकता है, और इस प्रकार नाम निर्दिष्ट व्यक्ति सम्यक रूप से निर्वाचित किया गया समझा जायेगा।

(2) उपप्रधान का कार्यकाल चाहे वह उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ के पूर्व अथवा पश्चात् निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट हुआ हो, यथास्थिति उसके निर्वाचन या नाम निर्देशन के दिनांक से प्रारम्भ होगा, और जब तक वह उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाये, {ग्राम पंचायत}¹ के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

(3) {***}³

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 13 वर्ष 2006 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 11घ-11च}

{11-घ— कोई व्यक्ति एक साथ हो —

कतिपय पदों को एक साथ धारण करने का प्रतिबन्ध

- (क) ग्राम पंचायत का प्रधान और न्याय पंचायत का पंच न होगा; या
- (ख) एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से ग्राम पंचायत का सदस्य न होगा;
- (ग) ग्राम पंचायत का सदस्य और न्याय पंचायत का पंच न होगा; या
- (घ) एक से अधिक ग्राम पंचायतों या न्याय पंचायतों में कोई पद धारण न करेगा;

और किसी व्यक्ति द्वारा, जो ऐसे पदों को भरने के लिये चुना गया हो, जिन्हें वह एक साथ धारण न कर सकता हो, एक के अतिरिक्त सभी पदों को रिक्त किये जाने की व्यवस्था नियमों की जा सकती है ।

11-ङ — (1) कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य या न्याय पंचायत का पंच निर्वाचित होने या ऐसा पद धारण करने के लिये अनर्ह होगा, यदि वह—

एक साथ दो पद धारण करने पर अग्रेतर रोक

- (क) संसद का या राज्य विधान मंडल का सदस्य है, या
- {(ख) किसी क्षेत्र पंचायत का सदस्य, प्रमुख या उपप्रमुख है ; या
- (ग) किसी जिला पंचायत का सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है; या}¹
- (घ) किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है ।

(2) कोई व्यक्ति, यदि बाद में उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) में उल्लिखित किसी पद पर निर्वाचित होता है, तो वह ऐसे अनुवर्ती निर्वाचन के दिनांक से, यथास्थिति ग्राम पंचायत के प्रधान या सदस्य या न्याय पंचायत के पंच के पद पर नहीं रह जायेगा और तदुपरान्त यथास्थिति, ऐसे प्रधान, सदस्य या पंच के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जायेगी ।

{(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पश्चात् ग्राम, खण्ड और जिला स्तर की पंचायतों को संघटित करने के लिए हुए प्रथम निर्वाचनों में यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक स्तरों की पंचायतों का सदस्य चुना जाता है तो वह निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के दिनांक से साठ दिन के भीतर या यदि उक्त दो या अधिक स्तर की पंचायतों के सम्बन्ध में निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा भिन्न-भिन्न दिनाकों को की गई है तो अन्तिम घोषणा के दिनांक से साठ दिन के भीतर एक स्थान को छोड़कर अन्य सभा स्थानों से अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत करेगा और इस तरह से त्याग-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में, जिन स्तरों की पंचायतों के लिए वह निर्वाचित हुआ है उनमें से सर्वोच्च स्तर की पंचायत में उसके स्थान को छोड़कर अन्य सभी पंचायतों में उसका स्थान रिक्त समझा जायेगा ।}²

{11-च— (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह, जिनकी जनसंख्या राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में यथासाध्य 300 तथा मैदानी क्षेत्रों में यथासाध्य 1000 हो, में समाविष्ट किसी क्षेत्र को ऐसे नाम से, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये, 'पंचायत क्षेत्र' घोषित कर सकती है :

'पंचायत क्षेत्र' की घोषणा

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतम जनसंख्या यथासाध्य 1000 तथा मैदारी क्षेत्रों में यथासाध्य 5000 से अधिक नहीं होगी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी राजस्व ग्राम या उसके किसी मजरे को 'पंचायत क्षेत्र' की घोषणा के प्रयोजनों के लिए विभाजित नहीं किया जायगा :

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 29 वर्ष 1995 की धारा 3 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उपर्युक्त की धारा 3 (ख) द्वारा बढ़ाया गया ।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 12}

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि व्यवहारिक दृष्टि से उक्त प्रतिबन्धों का पालन किया जाना सम्भव न हो तो अपरिहार्य एवं विशिष्ट परिस्थितियों में, राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रतिबन्ध शिथिल कर सकती है।

(2) राज्य सरकार, संबंधित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर या अन्यथा और प्रस्ताव के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय—

(क) किसी पंचायत क्षेत्र में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को सम्मिलित करके या उससे निकालकर, परिष्कार कर सकती है;

(ख) पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकती है; या

(ग) यह घोषणा कर सकती है कि कोई क्षेत्र पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया है।⁵

{12— (1) (क) प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत [संघटित]⁴ की जायगी;

ग्राम पंचायत

(ख) प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होगी;

{(ग) किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में, जिसकी जनसंख्या—

(एक) 500 तक, 5 सदस्य होंगे;

(दो) 501 से 1000 तक, 7 सदस्य होंगे;

(तीन) 1001 से 2000 तक, 9 सदस्य होंगे;

(चार) 2001 से 3000 तक, 11 सदस्य होंगे;

(पांच) 3001 से 5000 तक, 13 सदस्य होंगे;

(छ:) 5001 से 2000 तक, 15 सदस्य होंगे;]⁶

(घ) ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो;

(ङ) ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत में एक सदस्य द्वारा किया जायगा;

{(च) किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नियत रीति से किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में नियम भूतलक्षी प्रभाव से, किन्तु उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व से नहीं, बनाये जा सकते हैं।]²

(2) {***}³

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 21 वर्ष 1995 की धारा 8(क)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 8 (क)(दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 8 (ख) द्वारा निकाला गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 29 वर्ष 1995 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08 वर्ष 2002 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) (क) कोई ग्राम पंचायत, जब तक कि उसे धारा 95 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन पहले ही विघटित न कर दिया जाय, अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से पांच वर्ष तक, न कि उससे अधिक, बनी रहेगी;

(ख) किसी ग्राम पंचायत के संघटन के लिये निर्वाचन —

(एक) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व;

(दो) उसके विघटन के दिनांक से छः मास के अवधि की समाप्ति के पूर्व; पूरा कराया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां विघटित ग्राम पंचायत की शेष अवधि तब तक कि ग्राम पंचायत बनी रह सकती थी, छः मास से कम हो, वहां ग्राम पंचायत का संघटन करने के लिये इस उपधारा के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा;

(ग) किसी ग्राम पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व विघटन पर संघटित की गई ग्राम पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए, जिस अवधि तक विघटित ग्राम पंचायत खण्ड (क) के अधीन बनी रहती, यदि उसे इस प्रकार विघटित न किया जाता, बनी रहेगी;

(घ) ग्राम पंचायत का संघटन ऐसी रीति से अधिसूचित किया जायगा, जो नियत की जाय और तदुपरान्त ग्राम पंचायत को सम्यक रूप से संघटित समझा जायगा, भले ही उसमें कोई रिक्ति हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम पंचायत के संघटन को तब तक इस प्रकार अधिसूचित नहीं किया जायेगा जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान और कम से कम दो तिहाई सदस्य निर्वाचित न हो जायं।

{(3—क) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोकहित में किसी क्रमशः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत का संघटन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान तथा उसके बाद बड़ी हुई छः माह की अवधि के पूर्व निर्वाचन कराना साक्ष्य नहीं है, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी आदेश द्वारा, प्रशासक नियुक्त कर सकता है और प्रशासक छः माह से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, पद धारण करेगा और क्रमशः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत उसके क्रमशः प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य, तथा स्थिति, ऐसे प्रशासक में निहित होंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायगा।}¹

(4) ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल, जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाय, ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जायेगा।

(5)(क) प्रत्येक ग्राम पंचायत में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, ग्राम पंचायत में स्थानों की कुल संख्या में यथाशक्य वही होगा, जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की या पंचायत क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ग्राम पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के {चौदह}² प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

1. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15 वर्ष 2002 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 30 वर्ष 2005 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 12क-12खख}

{अग्रतर प्रतिबंध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हो तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।} ⁷

(ख) खण्ड (क) के अधीन आरक्षित स्थानों के {आधे से अन्यून} ⁹ स्थान कमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे;

(ग) खण्ड (ख) के अधीन महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए, किसी ग्राम पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के {आधे से अन्यून} ⁹ स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे क्रम में चकानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाय;

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण— यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से नहीं रोकेगी।

(6) प्रधान को ग्राम पंचायत का सदस्य समझा जायगा।} ³

{12-क— {***} ⁴ प्रधान या उपप्रधान अथवा {ग्राम पंचायत} ² के किसी सदस्य के पद के लिये निर्वाचन नियत रीति से गुप्त मत पत्र द्वारा होगा।} ¹

निर्वाचन की रीति

{12-कक— (1) ग्राम पंचायत का प्रधान और उप प्रधान ऐसे भत्ते और मानदेय, जैसा कि नियत किया जाय, प्राप्त करेगा।

प्रधान, उपप्रधान और सदस्यों के भत्ते

(2) प्रधान और उपप्रधान से भिन्न ग्राम पंचायत का सदस्य ऐसे भत्तों को, जैसा नियत किया जाय, प्राप्त करेगा।} ⁵

{12-ख— (1) कार्य सम्पादन के लिए ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतया प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होगी, किन्तु दो लगातार बैठकों के बीच दो मास का अन्तर नहीं होगा :

ग्राम पंचायत की बैठकें

परन्तु यह कि किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक के लिए नियत की जाने वाली तारीख उसके गठन की तारीख से तीस दिन के भीतर होगी।

(2) ग्राम पंचायत की बैठकें, ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से, आयोजित की जायेंगी, जैसी निहित की जाय।} ¹⁰

{12-खख— {(1)} ⁸ ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों के निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।} ⁶

ग्राम पंचायत के निर्वाचनों का अधीक्षण इत्यादि

{(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राज्य में प्रधान, उप प्रधान या किसी ग्राम पंचायत के किसी सदस्य के पद पर निर्वाचन के संचालन का पर्यवेक्षण और उससे संबंधित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।} ⁸

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 38, 1968 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 18 द्वारा मिटाया गया।
5. उपर्युक्त की धारा 19 द्वारा बढ़ाया गया।
6. उपर्युक्त की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 21 वर्ष 1995 की धारा 8 (ग) द्वारा बढ़ाया गया।
8. उपर्युक्त की धारा 9 द्वारा पुनर्संख्यांकित और बढ़ाया गया।
9. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 07 वर्ष 2008 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
10. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 14 वर्ष 2008 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 12खग-12खगक}

{(3) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम पंचायत के प्रधान, उपप्रधान या सदस्यों के सामान्य निर्वाचन या उपनिर्वाचन के लिए दिनांक या दिनांकों को नियत करेगी।}⁴

{12-ख ग— {(1) राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट जिले में ग्राम पंचायतों के प्रधान, उपप्रधान और सदस्यों के सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।}¹

निर्वाचनों का अधीक्षण

(2) जिले में प्रत्येक निर्वाचन निदेशक (पंचायत) राज्य में उपर्युक्त समस्त या किसी भी स्थानीय प्राधिकारी से और उपर्युक्त संस्थाओं के प्रबन्धाधिकरण जब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये उसे अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करेगा, जो ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक हों ।

(3) इसी प्रकार {राज्य निर्वाचन आयोग}² राज्य में उपर्युक्त समस्त या किसी भी स्थानीय प्राधिकारी से और उपर्युक्त संस्थाओं के प्रबन्धाधिकारियों से उपधारा (2) के अभिदिष्ट किसी अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकता है जो ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक हो और वे प्रत्येक ऐसी अध्याचना का पालन करेंगे ।

(4) यदि उपधारा (2) या (3) में अभिदिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकरण या संस्था का कोई कर्मचारी ऐसे निर्वाचनों के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिये नियुक्त किया जाये तो वह ऐसे कर्तव्य का पालन करने के लिय बाध्य होगा ।

³{12-खगक— (1) यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि जिले के भीतर इस अधिनियम के अधीन होने वाले किसी निर्वाचन के संबंध में—

परिसर, यानों आदि का निर्वाचन के प्रयोजन के लिए अधिग्रहण

(क) इस प्रयोजन के लिए कि उसका मतदान स्थल के रूप में या मतदान होने के पश्चात् मतपेटियों के रखने के लिए उपयोग किया जाय, किसी परिसर की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, अथवा

(ख) किसी मतदानर स्थल से या, को मतपेटियों के परिवहन के प्रयोजन के लिए या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान व्यवस्था बना रखने के लिए पुलि बल के सदस्यों के परिवहन के या ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के परिवहन के लिए किसी यान, जनयान या जीवजन्तु की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है तो वह ऐसे परिसर या, यथाज्ञिथति, ऐसे यान, जनयान या जीवजन्तु का अधिग्रहण लिखित आदेश द्वारा कर सकेगा और ऐसे अतिरिक्त आदेश दे सकेगा जैसे कि अधिग्रहण के संबंध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई यान, जलयान या जीवजन्तु, जिसे उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता ऐसे उम्मीदवार के निर्वाचन से संसक्त किसी प्रयोजन के लिए विधि पूर्णतः उपयोग में ला रहा है, इस उपधारा के अधीन तब तक अधिगृहीत न किया जायगा जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान समाप्त न हो जाए।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1994 की धारा 21(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 22(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 29 वर्ष 1995 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2000 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 12खगख}

(2) अधिग्रहण उस व्यक्ति को संबोधित लिखित आदेश किया जायेगा जिसकी बावत् जिला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि वह उस सम्पत्ति का स्वामी है या उस पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति है और ऐसे आदेश को उस व्यक्ति पर तामील, जिसे वह संबोधित है, विहित रीति में की जायेगी।

(3) जब कभी कोई सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन अधिगृहीत की जाये तब ऐसे अधिग्रहण की कालावधि उस कालावधि के परे विस्तृत न होगी, जिसके लिए ऐसी सम्पत्ति उस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित है।

(4) इस धारा में —

(क) “परिसर” से कोई भूमि, भवन या भवन का भाग अभिप्रेत है और झोपड़ी, शेड़ या अन्य संरचना या उसका कोई भाग इसके अन्तर्गत आता है;

(ख) “यान” से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है, जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में आता है या उपयोग में लाए जाने योग्य है, भले ही वह यांत्रिक शक्ति से नोदित हो या न हो।

12—खगख— (1) जहां धारा 12—खगक के अनुसरण में जिला मजिस्ट्रेट किसी परिसर का अधिग्रहण करे, तब हितबद्ध व्यक्ति को प्रतिकर संदत्त किया जायेगा, जिसकी रकम का अवधारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर किया जायेगा; अर्थात् :-

प्रतिकर का संदाय

(एक) परिसर की बावत् देय भाटक या यदि कोई भाटक ऐसे देय न हो तो उस परिक्षेत्र में वैसे ही परिसर के लिए देय भाटक;

(दो) यदि हितबद्ध व्यक्ति परिसर के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अपने निवास स्थान या कारबार के स्थान को बदलने के लिए विवश हुआ हो तो ऐसे बदलने से आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हो) :

परन्तु जहां कि कोई हितबद्ध व्यक्ति ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुए जिला मजिस्ट्रेट से विहित समय के अन्दर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्देशित कर दिया जाये वहां दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी, जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे:

परन्तु यह और भी कि जहां प्रतिकर पाने के हक की बाबत या प्रतिकर की रकम के प्रभाजन की बाबत कोई विवाद है वहां अवधारण के लिए उसे जिला मजिस्ट्रेट अपने द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ को निर्दिष्ट करेगा और वह विवाद ऐसे मध्यस्थ के विनिश्चय के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा में “हितबद्ध व्यक्ति” पद से वह व्यक्ति, जो धारा 12—खगक के अधीन अधिगृहीत परिसर पर अधिग्रहण के अव्यवहितपूर्व वास्तविक कब्जा रखता था या जहां कि कोई व्यक्ति ऐसा वास्तविक कब्जा नहीं रखता था वहां ऐसे परिसर का स्वामी अभिप्रेत है।

(2) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट कोई यान, जलयान या जीवजन्तु धारा 12—खगक के अनुसरण में अधिगृहीत करे तब उसके स्वामी को प्रतिकर संदत्त किया जायेगा, जिसकी रकम का अवधारण जिला मजिस्ट्रेट ऐसे यान, जलयान या जीव-जन्तु को भाड़े पर लेने के लिए उस परिक्षेत्र में प्रचलित भाड़े या दरों के आधार पर करेगा :

परन्तु जहां कि ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का स्वामी ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुए जिला मजिस्ट्रेट से विहित समय के भीतर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्दिष्ट कर दिया जाये वहां दिये जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी, जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे :

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 12खगग-12खगच}

परन्तु यह और भी कि जहां अधिगृहीत किए जाने से अव्यवहितपूर्व यान या जलयान स्वामी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में अवकय करार के आधार पर था, वहां अधिग्रहण के बारे में संदे कुल प्रतिकर के रूप में इस उपधारा के अधीन अवधारित रकम उस व्यक्ति और स्वामी के बीच में ऐसी रीति में, जिसके लिए वे सहमत हो जायें और ऐसी सहमति के अभाव में, ऐसी रीति में जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ विनिश्चित करे, प्रभावित की जायेगी।

12-खगग— जिला मजिस्ट्रेट किसी संपत्ति को धारा 12 खगक के अधीन अधिगृहीत करने की या धारा 12-खगख के अधीन संदेय प्रतिकर को अवधारित करने की दृष्टि से सिी व्यक्ति से आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी सम्पत्ति संबंधी अपने कब्जे की ऐसी जानकारी जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे प्राधिकारी को दे, जो ऐसे विनिर्दिष्ट किया जाये।

जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति

12-खगघ— (1) यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या किसी परिसर किसी यान, जलयान या जीवजन्तु के संबंध में धारा 12-खगक के अधीन आदेश किया जाये और यदि किया जाए तो किस रीति में किया जाये या इस दृष्टि से कि उस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, कोई व्यक्ति, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे परिसर और उनमें से किसी यान, जलयान या जीवजन्तु का निरीक्षण कर सकेगा।

किसी परिसर आदि में प्रवेश करने और उनके निरीक्षण की शक्तियां

(2) इस धारा में "परिसर" तथा "यान" पदों के वही अर्थ हैं, जो धारा 12-खगक में है।

12-खगङ— (1) जो कोई व्यक्ति किसी अधिगृहीत परिसर पर धारा 12-खगक के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में कब्जा किए रहता है, उसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी उस परिसर में से संक्षेपतः बेदखल कर सकेगा।

अधिगृहीत परिसर से बेदखली

(2) ऐसे सशक्त कोई अधिकारी, ऐसी स्त्री को जो लोक समक्ष नहीं आती, युक्तियुक्त चेतावनी और हट जाने के लिए सुविधा देकर किसी भवन के किसी ताले या चटखनी को हटा या खोल सकेगा और किसी द्वार को तोड़ सकेगा या ऐसी बेदखली के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आवश्यक कार्य कर सकेगा।

12-खगच— (1) जबकि धारा 12-खगक के अधीन अधिगृहीत कोई परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त किये जाने हों, तब उनका कब्जा उस व्यक्ति को, जिससे परिसर के अधिगृहीत किये जाने के समय कब्जा लिया गया था, या यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था तो उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत जिला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि वह ऐसे परिसर का स्वामी है, परिदत्त किया जायेगा और कब्जे का ऐसे परिदान जिला मजिस्ट्रेट को उन सब दायित्वों से, जो ऐसे परिदान के बारे में हैं, पूर्णतः उन्मोचित कर देगा, किन्तु उससे परिसर की बाबत ऐसे किन्हीं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा, जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसे परिसर का कब्जा ऐसे परिदत्त किया गया है, विधि की सम्यक प्रक्रिया प्रवर्तित कराने के लिए हकदार हो।

अधिगृहण से परिसर की निर्मुक्ति

(2) जहां कि वह व्यक्ति, जिसे धारा 12-खगक के अधीन अधिगृहीत किसी परिसर का कब्जा उपधारा (1) के अधीन दिया जाना है, पाया नहीं जा सकता या जिसका आसानी से अभिनिश्चय नहीं हो पाता या उसकी ओर से परिदान प्रतिगृहीत करने के लिए सशक्त कोई अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट यह घोषणा करने वाली सूचना कि ऐसे परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त कर दिए गए हैं, ऐसे परिसर के किसी सहजदृश्य भाग में लगवायेगा और सूचना को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगा।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 12बी डी-12 ग}

(3) जबकि उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है तब ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट परिसर ऐसे अधिग्रहण के अध्यक्षीन ऐसे प्रकाशन की तारीख हो और से न रहेंगे और उनकी बाबत यह समझा जायगा कि वे उस व्यक्ति को परिदत्त कर दिए गए हैं, जो उन पर कब्जा रखने का हकदार है और जिला मजिस्ट्रेट उक्त तारीख के पश्चात् किसी कालावधि के लिए ऐसे परिसर के संबंध में किसी प्रतिकर या अन्य दावे के लिए दायित्वाधीन न होगा।⁷

{12—खघ— (1) यदि कोई व्यक्ति जिस पर यह धारा लागू होती हो, अपने पदीय कर्तव्य भंग करने में युक्तियुक्त कारण बिना किसी कार्य या लोप का दोषी हो तो उसे अर्थ दण्ड दिया जा सकेगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है ।

निर्वाचन के संबंध में पदीय कर्तव्य भंग

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा ।

(3) उपर्युक्त किसी ऐसे कार्य के संबंध में हानिपूर्ति के लिये किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही प्रस्तुत न की जा सकेगी ।

(4) जिन व्यक्तियों पर यह धारा लागू होती है वे निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, मतदान अधिकारी और कोई ऐसा अन्य व्यक्ति है, जो नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति या उम्मीदवारों के नाम वापिस लेने या किसी निर्वाचन में मतों को अभिलिखित या उनकी गणना करने के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिये नियुक्त किया जाये और इस धारा के प्रयोजनार्थ पद “पदीय कर्तव्य” का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा, किन्तु इसके अन्तर्गत इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किये गये कर्तव्यारोपण से अन्यथा आरोपित कर्तव्य नहीं है।⁴

¹{12—ग— (1) {***}⁶ प्रधान के रूप में अथवा {ग्राम पंचायत}⁵ के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन के संबंध में जिसके अन्तर्गत धारा 43 के अधीन {न्याय पंचायत}² के पंच के रूप में {नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति}³ का निर्वाचन भी है, सिवाय किसी ऐसे आवेदन पत्र द्वारा जो ऐसे प्राधिकारी को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो नियत की जाये, प्रस्तुत किया जाये, निम्नलिखित आधार पर आपत्ति न की जायेगी कि—

निर्वाचनों पर आपत्ति करने के लिए आवेदन—पत्र

(क) यह निर्वाचन इस कारण निर्वाध निर्वाचन नहीं है कि इसमें रिश्वत अथवा अनुचित प्रभाव डालने का भ्रष्ट आचरण व्यापक रूप से व्याप्त था, अथवा

(ख) निर्वाचन के परिणाम पर—

(1) किसी नाम निर्देशन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने से अथवा

(2) इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का पालन करने में घोर चूक किये जाने से,

सारवार प्रभाव पड़ा है।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित रिश्वत या अनुचित प्रभाव डालने के भ्रष्ट आचरण समझे जायेंगे —

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 14 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उपर्युक्त की धारा 4(क) द्वारा इस अधिनियम में जहां कहीं भी शब्द “पंचायती अदालत” आया है, शब्द “न्याय पंचायत” रख दिया गया ।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 15, 1960 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 31, 1972 की धारा 3 द्वारा अन्तर्विष्ट ।
5. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उपर्युक्त की धारा 23 द्वारा निरसित ।
7. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 29 वर्ष 1995 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 12 ग}

(क) (1) रिश्वत; अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन में खड़े होने या खड़े न होने या उम्मीदवारी से नाम वापिस लेने के लिये, या

(ख) किसी निर्वाचक को निर्वाचन में मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के लिये—

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से या किसी व्यक्ति को इस बात के लिये कि—

(1) वह इस प्रकार खड़ा हुआ या खड़ा नहीं हुआ कि उसने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लिया ; या

(2) निर्वाचक को इस बात के लिये कि उसने मतदान किया या वह मतदान करने से विरत रहा,

पुरस्कार स्वरूप उम्मीदवार द्वारा या उम्मीदवार की मौन सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, कोई उपहार या कोई पारितोषित अर्पण का प्रस्ताव करना या बचन देना,

(ख) अनुचित प्रभाव डालना अर्थात् निर्वाचन संबंधी किसी अधिकार के निर्वाध प्रयोग में उम्मीदवार द्वारा या उम्मीदवार की मौन सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का किया गया प्रयत्न :

प्रतिबंध यह है कि इस खण्ड के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्ति जो उसमें निर्दिष्ट हो और जो—

(1) किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक या किसी व्यक्ति को जिससे उम्मीदवार या निर्वाचक हितबद्ध हो, किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने की धमकी, जिसके अन्तर्गत समाजिक बहिष्कार और जाति अथवा समुदाय से बहिष्कार या निश्कासन भी है, देता है ; या

(2) उम्मीदवार या किसी निर्वाचक को यह विष्वास करने के लिये उत्प्रेरित करता है, या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, देवी प्रकोप या आध्यात्मिक परिनिन्दा का पात्र हो जायेगा या बना दिया जायेगा ,

उसके संबंध में यह समझा जायेगा कि वह ऐसे उम्मीदवार या किसी निर्वाचक के निर्वाचन संबंधी अधिकार का निर्वाध प्रयोग में इस खण्ड के अर्थान्तर्गत हस्तक्षेप करता है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन पत्र किसी निर्वाचन में किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें ऐसे ब्यौरे होंगे जो नियत किये जायें ।

स्पष्टीकरण—कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने निर्वाचन में नाम निर्देशन पत्र निवेष्टित किया हो, चाहे ऐसा नाम निर्देशन पत्र स्वीकार या अस्वीकार किया गया हो, निर्वाचन में उम्मीदवार समझा जायेगा ।

(4) उस प्राधिकारी को, जिसे उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाये—

(1) आवेदन पत्र की सुनवाई और ऐसी सुनवाई में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया,

(2) निर्वाचन में रद्द करने या निर्वाचन को अमान्य घोषित करने या आवेदक को सम्यक रूप में निर्वाचित घोषित करने या किसी अन्य उपशम, जो आवेदक को प्रदान किया जाये, के विषय में ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्राप्त होंगे, जो नियत किये जाये ।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 12घ-12ड}

(5) उपधारा (4) के अधीन नियत की जाने वाली शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र की सरसरी तौर पर सुनवाई और उसे निस्तारित करने के लिये नियमों की व्यवस्था की जा सकती है ।

{(6) उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र पर विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई पक्ष, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधार पर जिला न्यायाधीश को ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर सकता है अर्थात्—

(क) विहित प्राधिकारी ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है ;

(ख) विहित प्राधिकारी ने इस प्रकार अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है ;

(ग) विहित प्राधिकारी ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप या सारवान अनियमितता से कार्य किया है ।

(7) जिला न्यायाधीश पुनरीक्षण के लिये आवेदन पत्र का निस्तारण स्वयं कर सकता है या उसे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश या अपर सिविल न्यायाधीश को निस्तारण के लिये सौंप सकता है और उसे किसी ऐसे अधिकारी से वापस मंगा सकता है या किसी अन्य ऐसे अधिकारी को अन्तरित कर सकता है ।

(8) उपधारा (7) में उल्लिखित पुनरीक्षित प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसा नियत की जाये, और वह विहित प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि उसमें फेर-फार या उसे विखण्डित कर सकता है या मामले को पुनः सुनवाई के लिये विहित प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित कर सकता है, और उस पर विनिश्चय होने तक ऐसा अन्तरिम आदेश दे सकता है जैसा उसे न्यायसंगत और सुविधाजनक प्रतीत हो ।

(9) इस धारा के अधीन दिया गया पुनरीक्षण प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय और इस धारा के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुये, विहित प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा ।⁴

{12-घ— धारा 12 ग के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित {ग्राम पंचायत के उपप्रधान}⁵ के रूप में या न्याय पंचायत के सरपंच या सहायक सरपंच के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन पर लागू होंगे।²

उपप्रधान सरपंच या सहायक सरपंच के निर्वाचन के संबंध में विवाद

{12-ड— (1) {प्रत्येक व्यक्ति}⁶ धारा 11-क {12}³ (3) 43 या 44 में अभिदिष्ट किसी पद पर आसीन होने के पूर्व, ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जिसे नियत किया जाये, नियत प्रपत्र में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।¹

पद की शपथ

(2) किसी ऐसे सदस्य के संबंध में जो यथा पूर्वोक्त शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और हस्ताक्षर करने अस्वीकार करे या अन्य प्रकार से इंकार करे यह समझा जायेगा कि उसने पद को तत्क्षण रिक्त कर दिया है ।

1. उ0प्र0अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 14 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0प्र0अधिनियम सं0 15, 1960 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उपर्युक्त की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 37 वर्ष 1978 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उपर्युक्त की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित ।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 12च-14}

{12-च— {ग्राम पंचायत}³ का प्रधान, उपप्रधान या कोई सदस्य ऐसे प्राधिकारी को, जो नियत किया जाये, संबंधित स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है और तदुपरान्त पद रिक्त हो जायेगा।¹

पद त्याग

12-छ— {***}⁴

{12-ज— यदि ग्राम पंचायत के प्रधान, उपप्रधान या किसी सदस्य का पद उसकी मृत्यु हो जाने, उसे हटाये जाने, उसे हटाए जाने, उसके पद त्याग करने, उसके निर्वाचन के अभिशून्य होने या उसके पद की शपथ लेने से इंकार करने के कारण रिक्त हो जाय तो यथासंभव उसे ऐसी रिक्ति के दिनांक से छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व, उसके शेष कार्यकाल के लिये, यथास्थिति धारा 11-ख, 11-ग या 12 में उपबंधित रीति से भरा जायेगा:

आकस्मिक रिक्ति

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी रिक्ति होने के दिनांक को ग्राम पंचायत की शेष अवधि छः मास से कम हो तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायेगी।⁶

{12-झ— इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा निर्वाचनों के संचालन के संबंध में की गई किसी कार्यवाही या दिये गये किसी निर्णय की वैधता के संबंध में किसी सिविल न्यायालय को आपत्ति करने की अधिकारिता न होगी।¹

निर्वाचन संबंधी विषयों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक

{12-ञ— (1) जहां प्रधान का पद उसकी मृत्यु हो जाने, उसे हटाये जाने, उसके पद त्याग करने या अन्यथा रिक्त हो, या जहां प्रधान अनुपस्थित या बीमारी के कारण या अन्यथा कार्य करने में असमर्थ हो, वहां उप प्रधान प्रधान की समस्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।

प्रधान के पद की अस्थायी रिक्ति में प्रबंध

(2) जहां प्रधान और उपप्रधान का पद किसी कारण से रिक्त हो, या प्रधान और उपप्रधान दोनों ही किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ है वहां नियत प्राधिकारी, जब तक कि या तो प्रधान या उपप्रधान के पद की ऐसी रिक्ति भरी न जाये या जब तक कि दोनों में से किसी की असमर्थता दूर न हो जाये, तब तक प्रधान के कर्तव्यों का पालन और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये न्याय पंचायत के किसी सदस्य को नाम-निर्दिष्ट करेगा।²

12-ट— {***}⁴

13— {***}⁴

{14— {(1) {ग्राम पंचायत}³ ऐसी बैठक में, जो इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से बुलाई जाये और जिसकी कम से कम 15 दिन की पूर्व सूचना दी जाय, ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रधान को हटा सकती है।

प्रधान {***}⁷ का हटाया जाना

(1-क) धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के एक तिहाई सदस्यों से होगी।⁸

(2) प्रधान को हटाने के लिये कोई बैठक उसके निर्वाचन के [एक वर्ष]⁵ के भीतर नहीं बुलाई जायेगी।

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 2, 1955 की धारा 14 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ०प्र० अधिनियम सं० 37, 1978 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ०प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 26 द्वारा निरसित।
5. उ०प्र० अधिनियम सं० 21 वर्ष 1998 की धारा 3(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ०प्र० अधिनियम सं० 33 वर्ष 1999 के अध्याय-दो की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 13 वर्ष 2006 की धारा 4(क) द्वारा निकाला गया।
8. उपर्युक्त की धारा 4 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 14क —15}

(3) यदि बैठक में गणपूर्ति के अभाव के कारण प्रस्ताव पर विचार न किया जाये अथवा वह अपेक्षित बहुमत न होने के कारण पारित न हो पाये तो उसी प्रधान को हटाने के लिये बाद में पूर्ववर्ती बैठक के दिनांक से [एक वर्ष]⁶ के भीतर नहीं बुलाई जायेगी ।

(4) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुये प्रधान को हटाने की प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वह प्रक्रिया भी है, जो बैठक में अनुसरित की जाये, वही होगी, जो नियत की जाये।¹

{14-क— बहिर्गामी प्रधान का {ग्राम सभा}⁴ के अभिलेख तथा धनराशि देने का दायित्व—

अभिलेख आदि देने में चूक करने पर दण्ड

{(1) यदि कोई व्यक्ति प्रधान, सरपंच या सहायक सरपंच के रूप में कार्य की समाप्ति पर, यथास्थिति {ग्राम सभा}⁴, {ग्राम पंचायत}⁴ या न्याय पंचायत के सभी अभिलेख, धनराशि, या अन्य सम्पत्ति अपने उत्तराधिकारी या नियत प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देने में, नियत प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर भी जानबूझ कर चूक करतर है तो वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।}³

(2) उपधारा (1) के प्रतिबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई ऐसी धनराशि नियत प्राधिकारी द्वारा तदर्थ जारी किये गये प्रमाण पत्र पर भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।²

{14-ख— {(1) ग्राम सभा, ऐसी बैठक में, जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई जाय और जिसकी कम से कम 15 दिन की पूर्व सूचना दी जाय, ग्राम सभा के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से उप प्रधान को हटा सकती है।}⁸

उपप्रधान का हटाया जाना

(2) उपप्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके निर्वाचन से दो वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जायेगी।

(3) यदि बैठक में प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत न होने के कारण पारित न हो पाये तो उसी उपप्रधान को हटाने के लिए बाद में कोई बैठक पूर्ववर्ती बैठक के दिनांक से दो वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जायेगी।

(4) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उप प्रधान को हटाने की प्रक्रिया भी, जो ऐसी बैठक में अनुसरित की जाय, वही होगी, जो नियत की जाए।⁷

अध्याय 4

{ग्राम पंचायत}⁴ की शक्तियां, कर्तव्य, कृत्य तथा प्रशासन

⁵{15— ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी राज्य सरकार, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट करे, प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी; अर्थात् :-

ग्राम पंचायत के कृत्य

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1962 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1973 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 13 वर्ष 2006 की धारा 4 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।
8. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 05 वर्ष 2007 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 15}

(एक) कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी है;

(क) कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति;

(ख) बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास और उनके अनधिकृत संक्रमण और प्रयोग की रोकथाम करना।

(दो) भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण –

(क) भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण में सरकार और अन्य एजेंसियों की सहायता करना;

(ख) भूमि चकबन्दी में सहायता करना।

(तीन) लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास –

(क) लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण में प्रबन्ध और सहायता करना;

(ख) लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण सिंचाई के उद्देश्य से जलापूर्ति का विनियमन।

(चार) पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन;

(क) पालतू जानवरों, कुक्कुटों और अन्य पशुधनों की नस्लों का सुधार करना;

(ख) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, सूअर पालन इत्यादि की प्रोन्नति।

(पांच) मत्स्य पालन:

गावों में मत्स्य पालन का विकास।

(छः) सामाजिक और कृषि वानिकी:

(क) सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण;

(ख) सामाजिक और कृषि वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और प्रोन्नति।

(सात) लघु वन उत्पाद :

लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास।

(आठ) लघु उद्योग :

(क) लघु उद्योगों के विकास में सहायता करना;

(ख) स्थानीय व्यापारों की प्रोन्नति।

(नौ) कुटीर और ग्राम उद्योग :

(क) कृषि और वाणिज्यिक उद्योगों के विकास में सहायता करना;

(ख) कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति।

(दस) ग्रामीण आवास :

(क) ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन;

(ख) आवास स्थलों का वितरण और उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण।

(ग्यारह) पेयजल :

पीने, कपड़ा धोने, स्नान करने के प्रयोजनों के लिए जल सम्भरण के लिए सार्वजनिक कुओं, तालाबों और पोखरों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण और पीने के प्रयोजनों के लिए जल सम्भरण के स्रोतों का विनियमन।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 15}

(बारह) ईन्धन और चारा भूमि :

(क) ईन्धन और चारा भूमि से सम्बन्धित घास और पौधों का विकास;

(ख) चारा भूमि के अनियमित अन्तरण पर नियंत्रण।

(तेरह) सड़कें, पुलिया, पुलों, नौकाघाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन :

(क) ग्राम की सड़कों, पुलियों, पुलों और नौकाघाटों का निर्माण और अनुरक्षण;

(ख) जलमार्गों का अनुरक्षण;

(ग) सार्वजनिक स्थानों पर से अतिक्रमण को हटाना।

(चौदह) ग्रामीण विद्युतीकरण :

सार्वजनिक मार्गों और अन्य स्थानों पर प्रकाश उपलब्ध कराना और अनुरक्षण करना।

(पन्द्रह) गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत :

ग्राम में गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों का विकास और प्रोन्नति और उनका अनुरक्षण।

(सोलह) गरीबी उपशमन कार्यक्रम :

गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की प्रोन्नति और कार्यान्वयन।

(सत्रह) शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं :

शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना।

(अट्ठारह) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा :

ग्रामीण कला और शिल्पकारों की प्रोन्नति।

(उन्नीस) प्रौढ और अनौपचारिक शिक्षा :

प्रौढ साक्षरता की प्रोन्नति।

(बीस) पुस्तकालय :

पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना की अनुरक्षण।

(इक्कीस) खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य :

(क) सामाजिक और सांस्कृतिक क्रिया-कलापों की प्रोन्नति;

(ख) विभिन्न त्यौहारों पर सांस्कृतिक संगोष्ठियों का आयोजन;

(ग) खेलकूद के लिए ग्रामीण क्लबों की स्थापना और अनुरक्षण।

(बाईस) बाजार और मेले :

पंचायत क्षेत्रों में मेलों, बाजारों और हाटों का विनियमन।

(तेईस) चिकित्सा और स्वच्छता :

(क) ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति;

(ख) महामारियों के विरुद्ध रोकथाम;

(ग) मनुष्य और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम;

(घ) छुट्टा पशु और पशुधन के विरुद्ध निवारक कार्यवाही;

(ङ) जन्म, मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रीकरण।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 15क-16}

(चौबीस) परिवार कल्याण :

परिवार कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति और क्रियान्वयन:

(पच्चीस) आर्थिक विकास के लिए योजना :

ग्राम पंचायत के क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करना।

(छब्बीस) प्रसूति और बाल विकास :

(क) ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना;

(ख) बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की प्रोन्नति ;

(सत्ताइस) समाज कल्याण, जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है :

(क) वृद्धावस्था और विधवा पेन्शन योजनाओं में सहायता करना;

(ख) विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों के कल्याण को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेना।

(अट्ठाइस) कमजोर वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण :

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भाग लेना;

(ख) सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन।

(उन्तीस) सार्वजनिक वितरण प्रणाली :

(क) अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में सार्वजनिक चेतना की प्रोन्नति;

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुश्रवण।

(तीस) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण :

सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण और अनुरक्षण।

15-क— ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी और उसे सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत को ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रारूप और रीति में, जैसी नियत की जाय, प्रेषित करेगी।

योजना का तैयार करना

16— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाय, निम्नलिखित में से या सभी कृत्यों को ग्राम पंचायतों को समनुदेशित कर सकती है; अर्थात् :-

कृत्य, जो कि किसी ग्राम पंचायत को समनुदेशित किए जा सकते हैं

(क) पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी वन की व्यवस्था और अनुरक्षण;

(ख) पंचायत क्षेत्र के भीतर, स्थित सरकार की बंजर भूमि, चारागाह भूमि या खाली पड़ी भूमि की व्यवस्था;

(ग) किसी कर का भू-राजस्व का संग्रह और सम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण।¹

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 16क-18}

{16-क— {ग्राम पंचायत}³, {ग्राम पंचायत}⁴ की अधिकारिता के बाहर के ऐसे संगठनों, संस्थाओं एवं कृत्यों के लिए अंशदान के रूप में ऐसी धनराशियाँ दे सकती है, जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमति दे।¹}

अधिकारिता के बाहर के संगठनों आदि को अंशदान देने की शक्ति

17— {ग्राम पंचायत}³ का अपनी अधिकारिता के भीतर स्थित ऐसी समस्त सार्वजनिक सड़कों नार्दन इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 की धारा 3 की उपधारा (1) में यथा परिभाषित नहरों से भिन्न ऐसे जलमार्गों पर जो निजी सड़क अथवा जलमार्ग न हो और जो राज्य सरकार अथवा जिला परिषद् अथवा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी के नियन्त्रण में न हो, नियन्त्रण होगा और वह उसके अनुरक्षण और मरम्मत के लिए समस्त आवश्यक कार्य कर सकती है और—

सार्वजनिक सड़कों, जल-मार्गों तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में {ग्राम पंचायतों}³ की शक्ति

1873 का ऐक्ट सं० 8

(क) नए पुलों अथवा पुलियों का निर्माण कर सकती है;

(ख) किसी सार्वजनिक सड़क पुलिया अथवा पुल को दूसरी दिशा में मोड़ सकती है, विरमित कर सकती है या उसे बन्द कर सकती है;

(ग) पास-पड़ोस के खेतों को न्यूनतम क्षति पहुँचकर किसी सार्वजनिक सड़क, पुलिया अथवा पुल को चौड़ा कर सकती है, उसे खेल सकती है, उसका विस्तार कर सकती है अथवा उसमें अन्यत्र प्रकार से सुधार कर सकती है;

(घ) जल-मार्गों को गहरा कर सकती है अथवा उसका अन्य प्रकार से सुधार कर सकती है;

{(ङ) नियत प्राधिकारी की स्वीकृति से और जहां नार्दन इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 के अधीन कोई नहर विद्यमान हो तो सिंचाई विभाग के ऐसे अधिकारी की स्वीकृति से भी, जिसे राज्य सरकार नियत करे, धारा 15 के खण्ड (यू) के अधीन आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट लघु सिंचाई प्रयोजनाओं के अतिरिक्त लघु सिंचाई प्रयोजनायें प्रारम्भ कर सकती है;}²

(च) सार्वजनिक सड़क पर निकली हुई किसी झाड़ी या किसी वृक्ष की किसी शाखा को काट सकती है;

(छ) किसी सार्वजनिक जलमार्ग को पीने अथवा पाक किया सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए पृथक किया जाना अधिसूचित कर सकती है और स्नान करने, कपड़ा धोने और पशुओं के नहलाने अथवा ऐसे अन्य कार्यों के लिए किए जाने का जिनसे इस प्रकार पृथक किए गए जलमार्ग के दूषित होने की संभावना हो, प्रतिषेध कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियत प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना खण्ड (छ) के अधीन कोई ऐसी बात न की जायगी जिसका प्रभाव नार्दन इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 द्वारा शासित नहर पर पड़े।

18— सफाई के सुधार के लिए {ग्राम पंचायत}³, नोटिस द्वारा किसी भूमि अथवा भवन के स्वामी अथवा अध्यासी को, उसकी वित्तीय स्थिति का विचार करते हुए और उसे उसके पालन का यथोचित समय देकर निम्नलिखित के लिए निदेश दे सकती है :—

सफाई का सुधार

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 33, 1961 की अनुसूची 8 (2) द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उ०प्र० अधिनियम सं० 10, 1965 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ०प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 19}

(क) ऐसी भूमि अथवा भवन से सम्बन्धित किसी शौचालय, मूत्रालय, पावदान, नाली, मलकूप अथवा गलीज, सलेज-जल या मलवा या कूड़ा-करकट के अनय पात्र को बन्द करने, हटाने, परिवर्तित करने, मरम्मत करने, साफ करने, कीटाणु रहित करने अथवा अच्छी हालत में रखने अथवा ऐसे किसी शौचालय, मूत्रालय अथवा नाबदान, के, जो किसी सड़क या नाली की ओर खुलता हो, किसी दरवाजे या जाली को हटाने या परिवर्तित करने अथवा किसी नाली का निर्माण करने, अथवा ऐसे शौचालय, मूत्रालय अथवा नाबदान को पर्याप्त छत और दीवाल या घेरे से बन्द करने, जिससे उधर से आने जाने वाले तथा पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति उसे न देख सकें;

(ख) किसी निजी कुयें, तालाब, जलाशय, हौज, कुंड, गर्त, गड्ढे या उसमें किए गए खदान को, जो {ग्राम पंचायत}³ को पास-पड़ोस के वयक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकर अथवा दुर्गन्धयुक्त प्रतीत हो, साफ करने, उसकी मरम्मत करने, उसे ढकने पाटने, निस्सारित करने, गहरा करने अथवा उसका जल निकालने के लिए;

(ग) किसी वनस्पति, वृक्षों के नीचे उगी हुई झाड़ियों, नागफनी, झाड़ झंखड़ को साफ करने के लिए;

(घ) धूल, गोबर, मल, खाद अथवा कोई हानिकर या दुर्गन्धयुक्त पदार्थ को वहां से हटाने अथवा भूमि अथवा भवन को साफ करने के लिए :

प्रतिबन्ध यह है कि वह व्यक्ति, जिस पर खण्ड (ख) के अधीन नोटिस तामील की जाय, नोटिस प्राप्त करने के दिनांक से 30 दिन के भीतर जिला स्वास्थ्य अधिकारी को उक्त नोटिस के विरुद्ध अपील कर सकता है जो उसे बदल सकता है, रद्द कर सकता है अथवा उसकी पुष्टि कर सकता है।

19— (1) {ग्राम पंचायत}³ —

(क) ऐसे नियमों के अधीन हरते हुये, जो पाठयक्रम अध्यापकों के सेवायोजन तथा अर्हता और विद्यालय के पर्यवेक्षण के संबंध में नियत किये जायें, किसी विद्यमान प्रारम्भिक विद्यालय की, जिसमें उसके भवन और फर्नीचर सम्मिलित हैं, अनुरक्षित करेगी तथा उसके समुचित कार्यकरण के लिये उत्तरदायी होगी और इसी प्रकार वह किसी नये विद्यालय को स्थापित तथा अनुरक्षित कर सकती है अथवा किसी विद्यमान विद्यालय का सुधार कर सकती है;

(ख) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुये जो स्थापना, अनुरक्षण तथा पर्यवेक्षण के संबंध में नियत किये जायें, किसी विद्यमान आयुर्वेदिक {होम्योपैथिक}¹ अथवा यूनानी चिकित्सालय अथवा औषधालय को, जिसमें उसका भवन और साज-सज्जा भी सम्मिलित हैं, अनुरक्षित करेगी और इसी प्रकार ऊपर उल्लिखित चिकित्सा प्रणालियों में से एक या एक से अधिक प्रणालियों के लिये नया चिकित्सालय अथवा औषधालय स्थापित और अनुरक्षित कर सकती है।

(2) ऐसे विद्यालय, चिकित्सालय अथवा औषधालय के लिये जिला परिषद् और राज्य सरकार द्वारा ऐसे अनुदान दिये जायेंगे, जो नियत किये जायें।

{***}²

विद्यालयों तथा
चिकित्सालयों का अनुरक्षण
और सुधार

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 2, 1955 की धारा 19 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ०प्र० अधि० सं० 37, 1978 की धारा 15 द्वारा निकाला गया।
3. उ०प्र० अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 20-24}

{20— यदि पास-पड़ोस की {ग्राम पंचायतों}⁸ के किसी समूह के लिए प्रारम्भिक विद्यालय या आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या यूनानी औषधालय न हो, अथवा उसे अपने सामान्य लाभ के लिये किसी सड़क अथवा पुल की आवश्यकता हो, तो उसकी {गांव पंचायतों}⁶, यदि नियत प्राधिकारी द्वारा ऐसा निदेश दिया जाय, ऐसे विद्यालय, चिकित्सालय अथवा औषधालय को स्थापित और अनुरक्षित करने के लिए अथवा ऐसी सड़क अथवा ऐसे पुल को निर्मित या अनुरक्षित करने के लिए एक में सम्मिलित हो जायेंगी और उसका प्रबन्ध तथा वित्तपोषण नियत रीति से किया जायगा। ऐसे विद्यालय चिकित्सालय, औषधालय, सड़क अथवा पुल के लिए राज्य सरकार और जिला परिषद् द्वारा ऐसे अनुदान दिये जायेंगे जो नियत किये जायें।⁷

{ग्राम पंचायतों}⁸ में किसी समूह के लिए प्रारम्भिक विद्यालय, चिकित्सालय, औषधालय, सड़क अथवा पुल की स्थापना

21— यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसा नियत किया जाय और जहां तक व्यवहार्य हो, {ग्राम पंचायतों}⁵ अपने क्षेत्र के भीतर किसी सरकारी सेवक को अपना कर्तव्य पालन करने में सहायता देगी।

सरकारी सेवकों की सहायता

22— {ग्राम पंचायतों}⁵ समूचित प्राधिकारी को—

{ग्राम पंचायतों}⁸ द्वारा अभ्यावेदन तथा सिफारिशें

(क) अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले व्यक्तियों के कल्याण के संबंध में कोई अभ्यावेदन दे सकती है; और

(ख) ऐसी {ग्राम पंचायतों}⁸ की अधिकारिता के भीतर किसी क्षेत्र में कार्य करने वाले सिंचाई विभाग के पटरौल, पटवारी {अथवा लेखपाल, गांव के चौकीदार}¹ अथवा मुखिया को नियुक्त, स्थानान्तरित अथवा पदच्युत करने के संबंध में सिफारिश कर सकती है।

23— किसी अमीन, आदेशिका-वाहक, टीका लगाने वाले, कास्टेबिल, {गांव के चौकीदारों}³ पटवारी, सिंचाई विभाग के {पटरौल तथा नलकूल-चालक, बन रक्षक, वन विभाग के चौकीदार, प्रारम्भिक विद्यालय के अध्यापक, काजी-हाउस रक्षक, गांव के स्टाकमैन}⁴ अथवा किसी सरकारी विभाग के चपरासी द्वारा {अपने}² सरकारी कर्तव्यों के पालन में अवचार के सम्बन्ध में गांव पंचायत की अधिकारिता में निवास करने वाले किसी व्यक्ति से परिवाद प्राप्त होने पर ऐसी {ग्राम पंचायतों}⁵, यदि प्रत्यक्षतः कोई साक्ष्य उपलब्ध है, उसे अपनी रिपोर्ट के साथ समुचित प्राधिकारी को भेजेगी। प्राधिकारी ऐसी अग्रेतर जांच करने के उपरान्त, जो अपेक्षित हो, समुचित कार्यवाही करेगा और {गांव पंचायतों}⁵ को उसके परिणाम की सूचना देगा।

कतिपय कर्मचारियों के अवचार के बारे में जांच करने तथा रिपोर्ट करने की शक्ति

24— {ग्राम पंचायतों}⁶, जैसा कि नियत किया जाय, और अपनी अधिकारिता के भीतर किसी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित से संविदा कर सकती है:—

स्वामियों के लिए कर तथा अन्य क्षेत्रों की वसूली के लिए संविदा करने की शक्ति

{(क) राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी से राज्य या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को देय किन्हीं करों अथवा देयों की वसूली करने के लिए ऐसी वसूली का व्यय भुगतान किये जाने पर, जो नियत किया जाय; या}⁵

{(ख) राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी से किसी कार्य को ऐसे निबन्धनों पर करने के लिए जिनके संबंध में करार किया जाय।}⁶

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 20 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उपर्युक्त की धारा 21 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 21 (2) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उपर्युक्त की धारा 21 (3) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 22 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 22 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0प्र0 अधि0 सं0 33, 1961 की अनुसूची 8 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 वर्ष 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

{25— (1) इस अधिनियम के किसी उपबंध, किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम, नियम, विनियम या उपविधि में या किसी न्यायालय के किसी निर्णय डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी —

कर्मचारिवर्ग

(क) राज्य सभा, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग को, जो राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत हो, ऐसे पदनाम से, जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, ग्राम पंचायतों के अधीन सेवा करने के लिए स्थानान्तरित कर सकती है और तदुपरान्त ऐसे कर्मचारी या कर्मचारियों की तैनाती किसी जिले की ग्राम पंचायतों में ऐसे प्रधिकारी द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय;

(ख) किसी ग्राम पंचायत में इस प्रकार स्थानान्तरित और तैनात किए जाने पर कर्मचारी या कर्मचारीगण उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर और सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य विषयों के संबंध में जिसमें पदोन्नति भी सम्मिलित है, उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ, जो ऐसे स्थानान्तरण के ठीक पूर्व उन पर प्रयोज्य होते, ग्राम पंचायत के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन सेवा करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो उन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जायं।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई ग्राम पंचायत, नियत प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् समय-समय पर ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी नियत की जाय, नियुक्त कर सकती है :

प्रतिबंध यह है कि ग्राम पंचायत, नियत प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी पद को सृजित नहीं करेगी।

(3) ग्राम पंचायत को ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी नियत की जाय, उपधारा (2) के अधीन नियुक्त कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार का दण्ड अधिरोपित करने की शक्ति होगी।

(4) ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए जिन्हें नियत किया जाय, ग्राम पंचायत उपधारा (2) के अधीन नियुक्त कर्मचारियों पर किसी लघुदण्ड को अधिरोपित करने की शक्ति प्रधान हो या अपनी किसी समिति को प्रतिनिहित कर सकती है।

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी कर्मचारी पर कोई दण्ड अधिरोपित करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे अधिकारी या समिति की होगी, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(6) नियत प्राधिकारी ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियत की जाय, उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को एक ग्राम पंचायत से उसी जिले की दूसरी ग्राम पंचायत को स्थानान्तरित कर सकता है और राज्य सरकार, या ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया जाय, इसी प्रकार किसी ऐसे कर्मचारी को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित कर सकता है।

(7) न्याय पंचायत, नियत प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, किसी व्यक्ति को अपने कर्मचारिवर्ग में नियत रीति से नियुक्त कर सकती है। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति नियत प्राधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेगा, जिसको उसे स्थानान्तरित करने, दण्ड देने, निलम्बित करने, सेवा-मुक्त करने या पदच्युत करने की शक्ति होगी।

(8) उपधारा (7) के अधीन किसी व्यक्ति को दण्ड देने, निलम्बित करने, सेवामुक्त करने या पदच्युत करने वाले नियत प्राधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त प्राधिकारी को होगी।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 25क-28}

25-क— राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाय, धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में या उपधारा (2) में, निर्दिष्ट कर्मचारियों में से सेक्रेटरी नियुक्त करेगा, जो ऐसी ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों, संबंधित ग्राम सभाओं और न्याय पंचायतों, जिसकी प्रादेशिक सीमाओं के भीतर ऐसी ग्राम पंचायत स्थित हो, के सेक्रेटरी के रूप में कार्य करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सशक्त करे, विनिर्दिष्ट किए जाएं।⁵

सेक्रेटरी

26— {ग्राम पंचायत}² का सदस्य किसी बैठक में कोई संकल्प प्रस्तुत कर सकता है और प्रधान या उप प्रधान से {ग्राम पंचायत}² के प्रशासन से संबंधित विषयों के सम्बन्ध में प्रश्न नियत रीति से पूछ सकता है।

पृथक-पृथक सदस्यों का अधिकार

{27— (1) प्रत्येक {ग्राम पंचायत}³ का, प्रधान या उपप्रधान, इस अधिनियम के अधीन संघटित {ग्राम पंचायत}² या संयुक्त समिति या किसी अन्य समिति का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक न्याय पंचायत का सरपंच, सहायक सरपंच या पंच, यथास्थिति {ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत}⁴ के धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसके ऐसा प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, सरपंच, सहायक सरपंच या पंच रहने की अवधि में उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हुआ हो :

अधिभार

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी हानि दुर्व्यय या दुरुपयोजन के होने से दस वर्ष की समाप्ति या उस दिनांक से जब देनदार व्यक्ति अपने पद पर न रह जाय पांच वर्ष समाप्ति, जो भी पश्चातवर्ती हो, के पश्चात् ऐसा दायित्व समाप्त हो जायगा।

(2) नियत प्राधिकारी उस प्रक्रिया के अनुसार, जो नियत की जाय, अधिभार की धनराशि निश्चित करेगा और कलेक्टर को उस धनराशि का प्रमाण-पत्र भेजेगा, जो यह समाधान हो जाने पर कि धनराशि देय है, उसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल करेगा।

(3) अधिभार की धनराशि नियत करने के नियत प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर राज्य सरकार या ऐसे अन्य अपील प्राधिकारी, को, जो नियत किया जाय और आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है।

(4) जहां उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अधिभार नियत करने और उसे वसूल करने की कार्यवाही न की जाय, वहां राज्य सरकार देनदार व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के प्रतिकर के लिए वाद संस्थित कर सकती है।¹

28— इस अधिनियम के अधीन संघटित न्याय पंचायत, {ग्राम पंचायत}², संयुक्त समिति अथवा किसी अन्य समिति का प्रत्येक सदस्य अथवा सेवक भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा।

सदस्य तथा सेवक लोक सेवक होंगे

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 33 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 33 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 27 वर्ष 1999 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 28क-28 ख}

{28-क— (1) {***}⁴ {ग्राम पंचायत}³ भूमि-प्रबन्धक समिति भी होगी और इस रूप में वह उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950, की धारा 117 अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन {ग्राम पंचायत की}⁵ या उसमें निहित अथवा उसके द्वारा धृत सभी सम्पत्ति के रख-रखाव, संरक्षण तथा पर्यवेक्षण संबंधी कर्तव्यों का पालन करेगी।

भूमि प्रबन्धक समिति
उत्तर प्रदेश अधिनियम
संख्या 1, 1951

(2) प्रधान तथा उप प्रधान भूमि-प्रबन्धक समिति के कमशः सभापति तथा उप सभापति होंगे, और {ग्राम पंचायत}⁶ की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का, लेखपाल उसका सेक्रेटरी होगा।¹

{28-ख— (1) भूमि-प्रबन्धक समिति पर, {ग्राम पंचायत}⁷ के लिए तथा उसकी ओर से धारा 28-क में अभिदिष्ट समस्त सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत, निम्नलिखित भी है, के सामान्य प्रबन्ध, परिरक्षण तथा नियन्त्रण का भार होगा—

भूमि प्रबन्धक समिति के
कृत्य

(क) भूमि का बन्दोबस्त तथा प्रबन्ध किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 के अधीन अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन {ग्राम पंचायत}⁷ में तत्समय निहित किसी सम्पत्ति का अन्तरण नहीं है;

(ख) वन तथा वृक्षों का परिरक्षण, अनुरक्षण तथा विकास;

(ग) आबादी स्थलों तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण और विकास;

(घ) हाटों, बाजारों तथा मेलों का प्रबन्ध;

(ङ) जलाशयों और तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास;

(च) जोत चकबन्दी में सहायता देना;

(छ) {ग्राम पंचायत}³ द्वारा उसके विरुद्ध समिति के कृत्यों से सम्बद्ध अथवा उनसे उद्भूत होने वाले वादों तथा कार्यवाहियों का संचालन और अभियोजन;

(ज) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 अथवा किसी अन्य अधिनियमित के अधीन भूमि-प्रबन्धक समिति को विशेषतः अभ्यर्पित कृत्यों का सम्पादन; और

(झ) ऐसे प्रबन्ध, परिरक्षण तथा नियंत्रण से सम्बद्ध कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाय;

और वह {ग्राम पंचायत}³ की उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक या आनुषंगिक हों।²

(2) भूमि-प्रबन्धक समिति उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने कार्य करेगी।

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 3, 1973 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ०प्र० अधिनियम सं० 37, 1978 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ०प्र० अधिनियम सं० 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 34 (क) (एक) द्वारा निरसित
5. उपर्युक्त की धारा 34 (क) (दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 34 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 28ग-29}

{28-ग— (1) {ग्राम पंचायत}² अन्यथा भूमि-प्रबन्धक समिति का कोई सदस्य या पटवारी, कलेक्टर की लिखित अनुमति के सिवाय, जानबूझकर स्वयं या अपने भागीदार के माध्यम से या अन्यथा संबंधित समिति के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी लाइसेंस, पटटे, विक्रय, विनिमय संविदा या सेवायोजन में कोई अंश स्वत्व न तो अर्जित करेगा या न अर्जित करने का प्रयास करेगा या न तो उसके संबंध में अनुबन्ध करेगा या न उसे प्राप्त करने के लिए सहमत होगा या न उसे धारण करता रहेगा :

सदस्य तथा अधिकारी, भूमि प्रबन्धक समिति के साथ संविदाओं आदि में स्वत्व नहीं अर्जित करेंगे

प्रतिबन्ध यह है कि केवल निम्नलिखित के कारण किसी व्यक्ति को किसी संविदा सेवायोजन में कोई अंश या स्वत्व अर्जित किये हुए या अर्जित करने का प्रयास किये हुए या उसे धारण किये हुए या उसके संबंध में अनुबन्ध किये हुए या उसे प्राप्त करने के लिए सहमत हुए न समझा जायेगा कि—

(क) उसने सदस्य पदधारी होने से पूर्व कोई स्वत्व अर्जित किया है,

(ख) वह उस ज्वाइंट स्टाक सम्पत्ती में, जिसने संविदा किया है, कोई अंश धारण करता है, तथा

(ग) वह ऐसी वस्तु के, जिसमें वह किसी एक वर्ष में 50 रु० से अनधिक मूल्य तक का नियमित रूप से व्यापार करता हों, संबंधित समिति के माध्यम से यदा कदा किये जाने वाले विक्रय में कोई अंश या स्वत्व धारण करता है।

(2) कोई भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी किसी व्यक्ति के कहने पर ऐसे किसी सौदे पर आधारित दावा प्रवर्तित नहीं करेगा, जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता हो।¹

{29— (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में या उसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रत्येक ग्राम पंचायत, ऐसी समिति या समितियां जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, ग्राम पंचायत के सभी या किन्हीं कृत्यों के संपादन में उसकी सहायता करने के लिए संघटित करेगी और ऐसी समिति या समितियों को अपनी ऐसी शक्तियां या कृत्य प्रतिनिहित कर सकती है, जैसी वह उचित समझे।

समितियां

(2) उपधारा (1) के अधीन संघटित प्रत्येक समिति में एक सभापति और छः अन्य सदस्य होंगे, जो ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से नियत रीति से निर्वाचित किए जायेंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का एक सदस्य और पिछड़े वर्गों का एक सदस्य होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि प्रधान या उप प्रधान या ग्राम पंचायत का कोई अन्य सदस्य ऐसी किसी समिति का सभापति होगा :³

{परन्तु अग्रतर यह भी कि किसी विषय विशेष से सम्बन्धित किस समिति में राज्य सरकार किसी सरकारी कर्मचारी को सह-सचिव पद नामित कर सकेगी।⁴

{(3) राज्य सरकार आवश्यकतानुसार किसी विषय विशेष के लिये मुख्य समिति की सहायतार्थ उपसमिति का गठन अधिसूचना द्वारा कर सकेगी।⁵

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 33, 1961 की अनुसूची 8 (2) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ०प्र० अधिनियम सं० 9 वर्ष 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ०प्र० अधिनियम संख्या 33 वर्ष 1999 के अध्याय-दो की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 28 वर्ष 2003 की धारा 2 (1) द्वारा प्रतिस्थापित तथा अन्तर्विष्ट।
5. उपर्युक्त की धारा 2(2) द्वारा बढ़ाया गया।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 30—32}

30— (1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो नियत किये जायं, दो या अधिक {ग्राम पंचायतों}⁴ किसी ऐसे कार्य को करने के प्रयोजन से, जिसमें वे संयुक्त रूप से अभिरूचि रखती हों, ऐसी संयुक्त समिति नियुक्त करने हेतु जिसमें उनके प्रतिनिधि सम्मिलित हों, लिखित द्वारा सम्मिलित हो सकती है; और

संयुक्त समिति

(क) किसी संयुक्त कार्य के निर्माण तथा अनुरक्षण के सम्बन्ध में ऐसी प्रत्येक {ग्राम पंचायत}⁴ पर बन्धनकारी कोई योजना तैयार करने के लिये और उस शक्ति के सम्बन्ध में जिसका किसी ऐसी {ग्राम पंचायत}⁴ द्वारा ऐसी योजना के सम्बन्ध में प्रयोग किया जाय, उन शर्तों पर जिन्हें आरोपित करना वे उचित समझें, ऐसी समिति को शक्ति प्रतिनिहित कर सकती है; और

(ख) ऐसी समिति के बने रहने, उनके सदस्यों के कार्यकाल और कार्यवाहियां तथा पत्र-व्यवहार करने के ढंग के सम्बन्ध में नियम बना सकती है या उन्हें परिष्कृत कर सकती है।

(2) इस धारा के अधीन कार्य करते हुए {ग्राम पंचायतों}⁴ में यदि कोई मतभेद उत्पन्न हो, तो उसे नियत प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसका निर्णय उसके सम्बन्ध में अन्तिम होगा।

{(3) यदि नियत प्राधिकारी ऐसा निदेश दे तो दो या उससे अधिक {ग्राम पंचायतों}⁴ धारा 15 और 16 में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों का संयुक्त रूप से निर्वहन करने के लिये इस धारा के अधीन संयुक्त समिति नियुक्त करेंगी।}²

31— {***}⁵

अध्याय— 5

भूमि का अर्जन, गांव निधि तथा सम्पत्ति

{32— (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये एक गांव निधि⁶ होगी और यह निधि धारा 41 के अधीन पारित आय और व्यय के वार्षिक अनुमान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए {ग्राम सभा}³ अथवा {ग्राम पंचायत}³ अथवा उसकी किसी समिति पर इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमि द्वारा आरोपित कर्तव्यों तथा दायित्वों के निर्वहन के लिये उपयोग में लायी जायेगी}¹ :

गांव निधि

{प्रतिबन्ध यह है कि 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन गांव निधि जमा की गयी समस्त धनराशियों के योग में से उक्त अधिनियम की धारा 125—क के अधीन संहत गांव निधि में जमा की गयी धनराशि को घटाने पर बची धनराशि तक ऐसी धनराशि, जो भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करने के लिये उपयोग में लाने के लिये अपेक्षित हो, गांव निधि में से भूमि प्रबन्धक समिति को प्रतिवर्ष उपलब्ध की जायेगी :

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 02, 1955 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ०प्र० अधिनियम सं० 3, 1973 की धारा 9 द्वारा अन्तर्विष्ट।
3. उ०प्र० अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 38 द्वारा निरसित।
6. उपर्युक्त की धारा 39 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 32क}

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा निधियों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में एक और भूमि प्रबन्धक समिति और दूसरी ओर {ग्राम पंचायत}³ अथवा {ग्राम सभा}³ के बीच कोई मतभेद होने की दशा में मामला प्रधान द्वारा नियत प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जायगा जिसका निर्णय बन्धनकारी होगा।¹

(2) गांव निधि में निम्नलिखित जमा किये जायेंगे :—

- (क) इस अधिनियम के अधीन आरोपित किसी कर से होने वाली आय;
 - (ख) राज्य सरकार द्वारा {ग्राम पंचायत}³ को दी गयी समस्त धनराशियां;
 - (ग) “विलेज पंचायत ऐक्ट” के अधीन पहले से विद्यमान विलेज पंचायत के नाम जमा अवशेष, यदि कोई हो;
 - (घ) ऐसी सभी धनराशियां जिन्हें गांव निधि के खाते में जमा करने के लिये किसी न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो {अथवा किसी विधि के अधीन अपेक्षा की गयी हो;}¹
 - (ङ) धारा 104 के अधीन प्राप्त समस्त धनराशियां;
 - (च) {ग्राम पंचायत}³ के सेवकों द्वारा एकत्र समस्त धूल, गन्दगी, गोबर या कूड़ा-करकट, जिसमें पशुओं के शव भी सम्मिलित हैं, की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय;
 - (छ) नजूल की सम्पत्ति के लगान अथवा उससे प्राप्त होने वाली अन्य आय का ऐसा भाग जिसे राज्य सरकार गांव निधि के खाते में जमा किये जाने का निदेश दे;
 - (ज) {जिला परिषद्}² अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा गांव निधि में अंशदान के रूप में दी गई धनराशियां;
 - (झ) ऋण अथवा दान स्वरूप प्राप्त समस्त धनराशियां;
 - (ञ) ऐसी अन्य धनराशियां, जो राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा गांव निधि को अभ्यर्पित की जायं;
 - (ट) समस्त धनराशियां, जो धारा 24 अथवा किसी अन्य विधि के अधीन {ग्राम पंचायत}³ को किसी व्यक्ति अथवा निगम अथवा राज्य सरकार से प्राप्त हुई हों;
 - {(ठ) राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त समस्त धनराशियां।}⁵
- (3) इस धारा में किसी बात का, {ग्राम पंचायत}⁶ के किसी ऐसे दायित्व पर प्रभाव न पड़ेगा जो वैध रूप से उस पर आरोपित या उसके द्वारा स्वीकृत न्यास से उत्पन्न हो।

{(4) गांव निधि में से धन का समस्त आहरण और उसका वितरण ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।}⁷

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1961 की अनुसूची 8 (2) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उपर्युक्त की अनुसूची 8 (2) द्वारा इस अधिनियम में जहां कही भी शब्द ‘डिस्ट्रिक्ट बोर्ड’ आया है, शब्द “जिला परिषद्” रख दिया गया था।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 39(ख)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 39(ख)(दो) द्वारा बढ़ाया गया।
6. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 33 वर्ष 1999 के अध्याय—दो की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 32 क}

वित्त आयोग

{32-क— (1) राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर यथाशक्य शीघ्र और उसके पश्चात् प्रत्येक पांचवें वर्ष के अवसान पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए और राज्यपाल को निम्नलिखित की बाबत सिफारिशें करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा :—

(क) सिद्धान्त, जो निम्नलिखित को शासित करेंगे :—

(एक) राज्य द्वारा उद्ग्रहीत करें, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगम का राज्य और ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के बीच वितरण, जिसे उनके बीच वितरित किया जा सकेगा और ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के अपने-अपने अंशों का आवंटन;

(दो) ऐसे करें, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारणा, जो ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को समनुदेशित किये जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगे;

(तीन) राज्य की संचित निधि में से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को सहायता अनुदान;

(ख) ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक अध्यापय;

(ग) कोई अन्य विषय, जो राज्यपाल द्वारा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों की ठोस वित्त व्यवस्था के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाय।

(2) वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे, जो ऐसी अर्हताएं रखेंगे और ऐसी रीति से चयनित किये जायेंगे, जैसी कि नियत की जाय।

(3) वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा।

(4) वित्त आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य स्वाहस्ताक्षरित और राज्यपाल को सम्बोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है किन्तु त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने तक अपने पद पर बना रहेगा।

(5) वित्त आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद पर किसी आकस्मिक रिक्ति को उसके पूर्वाधिकारी शेष अवधि तक के लिए भरा जा सकता है।

(6) वित्त आयोग को अपने कृत्यों के सम्पादन के लिए निम्नलिखित शक्तियां होंगी; अर्थात् :—

(क) किसी अधिकारी या प्राधिकारी से किसी अभिलेख को मांग सकता है;

(ख) साक्ष्य देने या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को बुला सकता है; और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियां, जैसी नियत की जायं।

(7) राज्यपाल, इस धारा के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गयी प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगा।¹

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 40 द्वारा बढ़ाया गया।

33— यदि {ग्राम पंचायत}⁵ अथवा ऐसी अनेक {ग्राम पंचायतें}⁵ जो धारा 20 अथवा 30 के उपबन्धों के अधीन एक में सम्मिलित हुई हों, इस अधिनियम के किसी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये किसी भूमि की अपेक्षा करे, तो वह {ग्राम पंचायत}⁵ अथवा {ग्राम पंचायतें}⁵ पहले तो आपसी बातचीत द्वारा भूमि ग्रहण करने का प्रयत्न करेगी और यदि सम्बन्धित पक्ष, करार करने में चूक जायं, तो ऐसी {ग्राम पंचायत}⁵ या {ग्राम पंचायतें}⁵ भूमि अर्जित करने के लिये कलेक्टर की नियत प्रपत्र में आवेदन पत्र दे सकती है और कलेक्टर ऐसी भूमि को ऐसी {ग्राम पंचायत}⁵ अथवा {ग्राम पंचायतें}⁵ के लिये अर्जित कर सकता है।

भूमि अर्जित करने की शक्ति

स्पष्टीकरण— इस अध्याय में पद “भूमि” के अन्तर्गत भूमि से प्रोद्भूत होने वाले फायदे और पृथ्वी से संलग्न किसी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें हैं।

34— (1) राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी विशेष आरक्षण के अधीन रहते हुए {ग्राम पंचायत}⁶ की अधिकारिता के भीतर स्थित समस्त सार्वजनिक सम्पत्ति {ग्राम पंचायत}⁶ में निहित होगी तथा {ग्राम पंचायत}⁶ की होगी और ऐसी समस्त अन्य सम्पत्ति सहित, जो {ग्राम पंचायत}⁶ में निहित हो जाय, उसके निदेश, प्रबन्ध तथा नियंत्रण में होगी।

गांव सभा में निहित सम्पत्ति

(2) ऐसे समस्त बाजार तथा मेले अथवा उनके ऐसे अंश का, जो सार्वजनिक भूमि पर लगते हों, प्रबन्ध और विनियमन {ग्राम पंचायत}⁶ द्वारा किया जायगा और {ग्राम पंचायत}⁶, गांव निधि के खाते में ऐसे समस्त देयों का प्राप्त करेगी जो उसके सम्बन्ध में उद्गहीत या आरोपित किये गये हों।

35— यदि धारा 34 में उल्लिखित किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में {ग्राम पंचायत}⁶ और किसी व्यक्ति के बीच विवाद उत्पन्न हो तो {ग्राम पंचायत}⁶ ऐसे व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर देगी और तब यह निर्णय करेगी कि उक्त सम्पत्ति को {ग्राम पंचायत}⁶ की सम्पत्ति समझा जाय या नहीं।

दावों का निस्तारण

{36— कोई {ग्राम पंचायत}⁶ राज्य सरकार से अथवा नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायं, विधि द्वारा स्थापित किसी वित्तीय निगम अथवा किसी अनुसूचित बैंक या उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक अथवा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक {या किसी अन्य गांव सभा}² से इस अधिनियम के किसी भी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये धनराशि उधार ले सकती है।¹

{37— (1) {ग्राम पंचायत}⁸ एतदपश्चात् दिये गये खण्ड (क) और (ख) में वर्णित कर लगायेगी और खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) और (ट) में वर्णित सभी या कोई कर, फीस और शुल्क लगा सकती है, अर्थात् — }³

{(क) उन क्षेत्रों में जहां उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950, जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 अथवा कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 के अधीन मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिये गये हों, भूमि पर उसके लिये देय अथवा देय समझी जाने वाली भू-राजस्व की धनराशि पर प्रति रूपया {कम से कम पचीस पैसे किन्तु पचास पैसे}⁴ से अनधिक कर लगा सकती है:

1. उ0प्र0 अधिनियम 03, 1973 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 19 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 19 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 42 तथा 43 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 37}

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से, जिसके द्वारा लिये भू-राजस्व देय हो अथवा देया समझा जाय, भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो कर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा, जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो ;

(ख) खण्ड (क) में अभिदिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में भौमिक अधिकार से सम्बन्धित प्रवृत्त विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा वह कुछ भी कहलाता हो, देय भू-राजस्व को धनराशि में प्रति रुपया {कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे}⁵ से अनधिक कर लगा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से, जो उसके लिए भू-राजस्व का देनदार हो, भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो कर उस व्यक्ति द्वारा देया होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो;}⁴

{(ग) {ग्राम पंचायत}⁷ के क्षेत्र में अस्थायी रूप से स्थित प्रेक्षागृह, सिनेमा अथवा इसी प्रकार के आमोद पर कोई कर, जो पांच रुपया प्रतिदिन से अधिक नहीं होगा, लगा सकती है।}³

(घ) {ग्राम पंचायत}⁷ के क्षेत्र के भीतर रखे गये ओर किराये पर चलाये जाने वाले पशुओं और यन्त्रचालित वाहनों से भिन्न वाहनों पर उनके स्वामियों द्वारा निम्नलिखित दर से देय कर लगा सकती है जो—

(1) जानवरों की दशा में, प्रति जानवर तीन रुपया प्रतिवर्ष से अधिक न होगा,

(2) गाड़ियों की दशा में, प्रति वाहन छः रुपया प्रतिवर्ष से अधिक न होगा;

(ङ) उन व्यक्तियों पर {कोई कर}¹ लगा सकती है, जो ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन पर खण्ड (ग) के अधीन {कर}¹ निर्धारित किया जाता हो और जो ऐसे बाजारों, हाटों अथवा मेलों में बिक्री के लिए सामानों को अभिदर्शित करे, जो सम्बन्धित {ग्राम पंचायत}⁷ के हों अथवा उसके नियन्त्रण में हों;

(च) ऐसे पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर फीस लगा सकती है, जिसकी बिक्री किसी ऐसे बाजार अथवा स्थान पर की जाती हो, जो {ग्राम पंचायत}⁷ के हों अथवा उसके नियंत्रण में हों;

(छ) वध-शालाओं और पड़ाओं की भूमि के प्रयोग के लिए फीस लगा सकती है;

{(ज) जल शुल्क, जहां {ग्राम पंचायत}⁷ द्वारा घरेलू उपभोग के कलए जल सम्भारित किया जाता हो;}²

(झ) निजी शौचालयों या नालियों की सफाई के लिए कर, जो उन गृहों के जिनसे निजी शौचालय की नाली संलग्न हो स्वामियों या अभ्यासियों द्वारा देय होगा, उस दशा में ऐसी सफाई {ग्राम पंचायत}⁷ के अभिकरण के माध्यम से की जाय

{(ञ) सड़कों की सफाई और उन पर रोशनी और स्वच्छता के लिये कर;}⁶

-
1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 19, 1957 की धारा 4 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
 2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 10, 1965 की धारा 4 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
 3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1961 की अनुसूची 8 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
 4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 03, 1973 की धारा 11 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
 5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 19 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
 6. उपर्युक्त की धारा 19 (घ) द्वारा अन्तर्विष्ट।
 7. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 37क-37ग}

{(ट) सिंचाई शुल्क, जहां {ग्राम पंचायत}² द्वारा अपने द्वारा निमित्त या अनुरक्षित किसी लघु सिंचाई प्रयोजना से सिंचाई के लिए जल सम्भारित किया जाता हो;}¹

{(ठ) कोई ऐसा अन्य कर, जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन उसके अनुच्छेद 277 को सम्मिलित करते हुए और जिसका ग्राम पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।}³

(2) उपधारा (1) के अधीन कर, शुल्क तथा फीस ऐसी रीति से तथा ऐसे समयों पर आरोपित, निर्धारित तथा वसूल किये जायेंगे, जो नियत किये जाय।

{37-क— (1) {ग्राम पंचायत}⁴ द्वारा लगाये गये कर, शुल्क अथवा फीस के विरुद्ध अपील नियम प्राधिकारी को की जायेगी।

(2) यदि नियत प्राधिकारी की जानकारी में यह बात लाई जाय कि कर, शुल्क अथवा फीस किसी ऐसे व्यक्ति पर आरोपित नहीं किया गया है, जिस पर उसे आरोपित किया जाना चाहिए था, तो वह {ग्राम पंचायत}⁴ की उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों पर कर, शुल्क अथवा फीस आरोपित करने का निदेश दे सकता है और {ग्राम पंचायत}⁴ तदुपरान्त तदनुसार कार्य करेगी।

37-ख— इस अधिनियम के अधीन आरोपित करों के कारण समस्त देयों और {ग्राम पंचायत}⁴ को देय अन्य धनराशियों को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जायगा यदि सम्बन्धित {ग्राम पंचायत}⁴ निर्धारण के दिनांक से तीन मास के भीतर इस आशय का एक संकल्प पारित करे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि {ग्राम पंचायत}⁴ उक्त तीन मास की अवधि के भीतर ऐसा संकल्प पारित करने में चूक करे, तो नियत प्राधिकारी करों के बकायों को मालगुजारी की बकायों के रूप में वसूल करने का प्राधिकार देगा।

37-ग— (1) राज्य सरकार किसी ऐसी अवधि के सम्बन्ध में चाहे वह उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1954 के प्रारम्भ के पूर्व की हो अथवा बाद की, {ग्राम पंचायत}⁴ द्वारा लगाये गये किसी कर, शुल्क अथवा फीस की पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से छूट दे सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति नियत प्राधिकारी द्वारा भी या जो सामान्य रूप से या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियों में प्रयोक्तव्य होगी, जिन्हें राज्य सरकार नियत करे।

(3) {ग्राम पंचायत}⁴ की संकल्प द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में, जो नियत की जायं, किसी ऐसे कर, शुल्क अथवा फीस की पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से छूट दे सकती है जो उसके द्वारा आरोपित किया गया हो या लगाया गया हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसे नियत प्राधिकारी द्वारा अनमोदित न कर दिया जाय।

करों और देयों को माल-गुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जायगा

कर, शुल्क अथवा फीस की छूट

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 10, 1965 की धारा 4 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 43 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 38-42}

(4) यदि उपधारा (1) से (3) तक के अधीन किसी कर, शुल्क अथवा फीस की छूट दी गयी हो, तो इस प्रकार छूट दिये गये कर, शुल्क अथवा फीस के सम्बन्ध में निर्धारिती से वसूल की गई कोई धनराशि उसे {ग्राम पंचायत}⁵ द्वारा वापस कर दी जायगी।¹

38— गांव पंचायत ऐसी रीति से जो नियत की जाय, पंचायत के करो और देयों की वसूली, अपनी निधियों की अभिरक्षा और लेखों के अनुरक्षण का प्रबन्ध करेगी।

देयों की वसूली तथा निधियों और लेखों की अभिरक्षा

{39— (1) न्याय पंचायत के व्यय गांव निधि अथवा सर्किल में समाविष्ट {ग्राम पंचायतों}⁵ के गांव निधि या गांव निधियों पर ऐसे अनुपात में भारित होंगे जो नियत प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय।

न्याय पंचायत के व्यय गांव निधि पर भारित होंगे

(2) इस अधिनियम के अधीन विचारणीय वाद में न्यायालय फीस और जुर्माने के रूप में वसूल की गई समास्त धनराशियां राज्य सरकार के खाते में जमा की जायेगी, किन्तु राज्य सरकार इस वसूल की गई धनराशि में से संबंधित {ग्राम पंचायत}⁵ को अनुदान रूप में 50 प्रतिशत से अनधिक ऐसे अंश जिसे वह निश्चित करे, का भुगतान न्याय पंचायत के व्ययों को पूरा करने के लिये करेगी।²

{40— प्रत्येक {ग्राम पंचायत}⁵ और न्याय पंचायत के लेखों की परीक्षा {प्रत्येक वर्ष}⁶ ऐसी रीति से {और ऐसी फीस का भुगतान करने पर}⁴ की जायेगी जो नियत की जाय जाय।³

लेखा-परीक्षा

{41— प्रत्येक ग्राम पंचायत ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति से, जैसी नियत की जाय, आगामी पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण तैयार करेगी, जो कि ग्राम पंचायत द्वारा उसकी बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की साधारण बहुमत से पतिर किया जायेगा और ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम पंचायत के सदस्यों की कुल संख्या के आधे के अधिक से होगी।⁷

ग्राम पंचायत का बजट

अध्याय- 6

न्याय पंचायत

42— (1) राज्य सरकार अथवा नियत प्राधिकारी जिले की सर्किलों में विभाजित करेगा और {ग्राम पंचायतों}⁸ की अधिकारिता के अधीन रहते हुए प्रत्येक सर्किल में उतने क्षेत्र समाविष्ट होंगे, जितने इष्टकर हों तथा ऐसे प्रत्येक सर्किल के निमित्त एक न्याय पंचायत की स्थापना करेगा:

न्याय पंचायत की स्थापना

प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक सर्किल के भीतर {ग्राम पंचायतों}⁸ के क्षेत्र यथासंभव परस्पर संलग्न होंगे।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 02, 1955 की धारा 29 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उपर्युक्त की धारा 30 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 31 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 20 द्वारा अन्तर्विष्ट।
5. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 46 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 47 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उपर्युक्त की धारा 48 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 43-47}

(2) प्रत्येक न्याय पंचायत में सदस्यों की संख्या न्यूनतम दस तथा अधिकतम पच्चीस के अधीन रहते हुए उतनी होगी जो नियत की जाय, किन्तु न्याय पंचायत के लिये यह विधि सम्मत होगा कि उसमें किसी रिक्ति के होते हुए भी यह कार्य करती रहे :

प्रतिबन्ध यह है कि उसमें पंचों की संख्या नियत संख्या के दो-तिहाई से कम न हो।

43— (1) नियत प्राधिकारी द्वारा {ग्राम पंचायत}⁷ के सदस्यों में से उतनी संख्या में व्यक्ति न्याय पंचायत के पंच होने के लिये नियुक्त किये जायेंगे जितनी की नियत की जाय और तदुपरान्त इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति {ग्राम पंचायत}⁷ के सदस्य न रह जायेंगे तथा {ग्राम पंचायत}⁷ में उनके स्थान यथाशक्य धारा 12 में उपबन्धित रीति से भरे जायेंगे :

पंचों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल

{प्रतिबन्ध यह है कि यदि न्याय पंचायत के पंच होने के लिये वांछित संख्या में {ग्राम पंचायत}⁷ के सदस्य उपलब्ध न हों, तो नियत प्राधिकारी के लिये यह विधि सम्मत होगा कि वह इस प्रकार हुई रिक्तियों की, यदि कोई हो, पूर्ति गांव सभा के अन्य सदस्यों में से नामांकन द्वारा कर दे।⁶

(2) कोई व्यक्ति न्याय पंचायत का पंच तब तक न नियुक्त किया जायगा जब तक कि उसमें व अर्हतायें न हों जो नियत की जायं:

{प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी नियुक्तियों के लिये नियत अर्हतायें रखने वाले उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों, तो नियत प्राधिकारी ऐसी अर्हताओं में से किसी या सभी अर्हताओं को लिखित आदेश द्वारा शिथिल कर सकता है।⁴

44— {धारा 43 के अधीन नियुक्त पंच ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, अपने में से ऐसे दो व्यक्तियों को, जो कार्यवाहियों को अभिलिखित करने की क्षमता रखते हो, सरपंच तथा सहायक सरपंच के रूप में निर्वाचित करेंगे :

सरपंच तथा सहायक सरपंच का निर्वाचन

प्रतिबन्ध यह है कि यदि पंच यथापूर्वोक्त सरपंच अथवा सहायक सरपंच निर्वाचित करने में चूक करें तो नियत प्राधिकारी सरपंच या सहायक सरपंच नियुक्त कर सकती है।¹

45— {न्याय पंचायत के प्रत्येक पंच का कार्यकाल इस प्रकार उसकी नियुक्ति के दिनांक से प्रारम्भ होगा और जब तक इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त न हो जाय, उस गांव पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा, जिससे वह नियुक्त किया गया था :

पंच का कार्यकाल

प्रतिबन्ध यह है कि सरपंच तथा सहायक सरपंच अपने-अपने पदों पर तब तक बने रहेंगे तब तक उनके उत्तराधिकारी निर्वाचित अथवा नियुक्त न हो जायें।⁵

46— { *** }²

47— {पंच, सरपंच अथवा सहायक सरपंच ऐसे प्राधिकारी को, जो नियत किया जाय, सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा इस प्रकार अपना पद त्याग सकेगा और तदुपरान्त उसका पद रिक्त हो जायगा।³

पंचों का पद त्याग

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1955 की धारा 34 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 36 द्वारा निकाला गया।
3. उपर्युक्त की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 15, 1960 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1973 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 48-51}

48— { *** }¹

49— [(1) सरपंच, न्याय पंचायत के समक्ष आने वाले आपराधिक वादों तथा जाचों के निस्तारण के लिये न्यायपीठें बनायेगा, जिनमें प्रत्येक में पांच पंच होंगे।

न्याय पंचायत की न्यायपीठ

(2) न्यायपीठों का बनाया जाना, अवधि जिस तक वे कार्य करेंगे, जिसके अन्तर्गत आंशित रूप में सुने गये आपराधिक वादों की सुनवाई भी है, न्यायापीठों के बीच कार्य के विभाजन, अन्तरण तथा पुनः अन्तरण का ढंग और वादों तथा जाचों में उनके द्वारा सामान्य रूप से अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया नियमों के अधीन होगी।

(3) कोई पंच सरपंच अथवा सहायक सरपंच किसी ऐसे वाद के विचारण अथवा जांच में भाग न लेगा, जिसमें वह स्वयं या उसका कोई निकट संबंधी सेवायोजक, सोवायोजित कर्मचारी, ऋणी, ऋणदाता अथवा भागीदार एक पक्ष हो अथवा जिसमें उनमें से कोई व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि रखता हो।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार किसी वर्ग अथवा वर्गों के वादों के विचारण के लिये विशेष न्यायापीठों का संघटन नियत कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे विशेष न्यायपीठ के पुनसंघटन के लिये आदेश दे सकती है।

(5) न्यायपीठों के बनाये जाने अथवा उनके कार्यकरण के ढंग से संबंधित कोई विवाद नियत प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।]²

{50— (1) यदि किसी पंच का पद उसकी मृत्यु हो जाने, उसे हटाये जाने अथवा उसके पदत्याग देने के कारण रिक्त हो जाये तो उसे धारा 45 के उपबंधों के अधीन रहते हुये उसके कार्यकाल की असमाप्त अवधि के लिये नियत प्राधिकारी द्वारा {ग्राम पंचायत}⁶ के तत्समय के सदस्यों में से किसी व्यक्ति को नियुक्त करके भरा जायेगा और यदि वह पंच जिसने पद रिक्त किया हो, सरपंच या सहायक सरपंच भी रहा हो तो यथास्थिति एक नया सरपंच अथवा सहायक सरपंच धारा 44 के उपबंधित रीति से निर्वाचित किया जायेगा।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

(2) उपधारा (1) के अधीन पंच के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपनी नियुक्ति के दिनांक से गांव का सदस्य न रह जायेगा और {ग्राम पंचायत}⁶ में इस प्रकार हुई कोई रिक्ति धारा 12-ज के प्रयोजन के लिये आकस्मिक रिक्ति समझी जायेगी।]³

{50-क— सहायक सरपंच, सरपंच की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो नियत की जाये।]⁴

सहायक सरपंच की शक्तियां

{51— (1) {दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973}⁷ में किसी बात के होते हुये न्याय पंचायत द्वारा विचारण योग्य प्रत्येक आपराधिक वाद उस सर्किल के न्याय पंचायत के सरपंच के समक्ष संस्थित किया जायेगा, जिसमें अपराध किया हो।]⁵

क्षेत्रीय अधिकारिता 1898 का अधिनियम सं0 5

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2 1955 की धारा 38 द्वारा निकाला गया।
2. उपर्युक्त की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 40 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 41 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उपर्युक्त की धारा 42 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 21(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 52-53}

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के अधीन संस्थित प्रत्येक आपराधिक वाद उस सर्किल के न्याय पंचायत के सरपंच के समक्ष संस्थित किया जायेगा, जिसमें प्रतिवादी और यदि एक से अधिक प्रतिवादी हो तो सभी प्रतिवादी, सिविल वाद के संस्थित होने के समय सामान्य रूप से निवास करते हों या व्यापार करते हों।³, भले ही वाद कारण किसी भी स्थान में उत्पन्न हुआ हो।

1908 का अधिनियम सं० 5

(3) {***}¹

{52— (1) निम्नलिखित अपराध तथा ऐसे अपराधों को करने के दुश्प्रेरण तथा प्रयास यदि किसी न्याय पंचायत की अधिकारिता के भीतर किये जाये तो वे ऐसे न्याय पंचायत के संज्ञेय होंगे :—

न्याय पंचायत द्वारा संज्ञेय अपराध

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 140, 160, 172, 174, 179, 269, 277, 283, 285, 289, 290, 294, 323, 334, 341, 352, 357, 358, 374, 379, 403 तथा 411 (जहाँ धारा 379, 403 तथा 411 के अधीन आपराधिक वादों में चुराई गई अथवा दुर्विनियुक्त सम्पत्ति का मूल्य 50 रु० से अधिक न हो, 426, 428, 430, 431, 447, 448, 504, 506, 509 तथा 510 के अधीन अपराध ;

1860 का अधिनियम सं० 45

(ख) पशु अतिचार अधिनियम, 1871 की धारा 24 तथा 26 के अधीन अपराध;

अधिनियम सं० 1, 1871

(ग) यूनाइटेड प्राविसेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्राइमरी एजुकेशन ऐक्ट, 1926 की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन अपराध ;

1926 का अधिनियम सं० 1

(घ) सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 की धारा 3, 4, 7 तथा 13 के अधीन अपराध ;

अधिनियम सं० 3, 1867

(ङ) पूर्वोक्त अधिनियमितियों अथवा किसी अन्य अधिनियमित के अधीन ऐसा कोई अन्य अपराध, जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके न्याय पंचायत द्वारा संज्ञेय घोषित किया जाये ; तथा

(च) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन कोई अपराध ।

(1—क) राज्य सरकार सरकारी गजट में आदेश प्रकाशित करके भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 279, 286, 356 के अधीन अपराधों का संज्ञान करने के लिये किसी न्याय पंचायत को सशक्त कर सकती है तथा इसी प्रकार उपधारा (1) के खंड (क) से (घ) तक में अभिदिष्ट किसी अपराध को सामान्यतया न्याय पंचायतों के अथवा ऐसे न्याय पंचायतों के जो विनिर्दिष्ट की जाये, संज्ञान से वापस ले सकती है ।²

1860 का अधिनियम संख्या 45

(2) भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 143, 145, 151 तथा 153 के अधीन किसी अपराध से संबंधित ऐसा कोई आपराधिक वाद, जो किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, विचारण के लिये न्याय पंचायत को अन्तरित किया जा सकता है, यदि वह ऐसे न्यायालय की राय में गंभीर अपराध न हो ।

1860 का अधिनियम सं० 45

53— (1) जब कभी न्यायालय के सरपंच को यह आशंका करने का कारण हो कि संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक शान्ति विक्षुब्ध करेगा, जो वह उस व्यक्ति से इस बात का कारण बताने के लिये कह सकता है, कि वह पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिये परिशान्ति कायम रखने के लिये प्रतिभूओं सहित या प्रतिभूओं के बिना 100 रु० से अनधिक की धनराशि का बन्ध पत्र निष्पादित करने के लिये क्यों न आदिष्ट किया जाय ।

परिशान्ति कायम रखने के लिये प्रतिभूति

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 2, 1955 की धारा 42 (2) द्वारा निकाला गया ।
2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ०प्र० अधिनियम सं० 37, 1978 की धारा 21 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 54-55}

(2) सरपंच ऐसा नोटिस जारी करने के बाद उक्त {मामले की न्यायपीठ को अभिदिष्ट करेगा।}² न्यायपीठ ऐसे व्यक्ति अथवा ऐसे साक्षियों की, जिन्हें वह प्रस्तुत करने की अपेक्षा करे, सुनवाई करने के बाद या तो आदेश की पुष्टि कर सकता है या नोटिस को निराकृत कर सकता है।

{(3) यदि वह व्यक्ति, जिसे उपधारा (2) के अधीन यथापूर्वोक्त बन्ध पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गयी हो, ऐसा करने में चूक करे तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जब तक आदेश में नियत अवधि के दौरान चूक होती रहे, पांच रुपये तक, जैसा कि न्यायपीठ नियत करे, शास्ति का भुगतान करने का भागी होगा।}³

54— (1) कोई न्याय पंचायत कारावास का मुख्य दण्डादेश नहीं देगी।

शास्तियां

(2) न्याय पंचायत {दो सौ पचास रुपये}⁶ से अनधिक अर्थदण्ड आरोपित कर सकती है, किन्तु दण्ड भुगतान में चूक किये जाने पर कारावास का दंड नहीं दिया जायगा,

{प्रतिबन्ध यह है कि किसी अभियुक्त का एक ही आपराधिक वाद में तीन से अधिक अपराधों के लिये विचारण न किया जायगा और आपराधिक वाद में किसी एक अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जाय तो वह कुल मिलाकर {दो सौ पचास रुपये}⁶ से अधिक न होगा।}⁴

{55— (1) किसी क्षेत्र के लिये न्याय पंचायत की स्थापना हो जाने के पश्चात् कोई न्यायालय इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर, ऐसी न्याय पंचायत द्वारा विचारणयोग्य किसी आपराधिक वाद का संज्ञान नहीं करेगा।

अपराधिक वादों का संज्ञान

1860 का अधिनियम सं० 45

(2) यदि कोई न्याय पंचायत धारा 95 के अधीन निलम्बित, अतिक्रमित अथवा विघटित हो जाय अथवा किसी अन्य कारण से कार्य करना बन्ध कर दे तो उसके समक्ष विचार जिन समस्त अपराधिक वाद सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को अन्तरित हो जायंगे, जो उन्हें विधि के अनुसार निस्तारित करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि न्यायालय में ऐसे समस्त आपराधिक वादों का नये सिरे से विचारण प्रारम्भ होगा:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी न्याय पंचायत के बारे में केवल इस कारण से कि उसके पंचों का पुनः निर्वाचन होना है, यह न समझा जायेगा कि उसने कार्य करना बन्द कर दिया है।

(3) धारा 52 में तथा इस धारा की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी कोई भी न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 431 तथा 447 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान कर सकता है, यदि वह ऐसा करने के लिये अन्यथा सक्षम न हो।

(4) धारा 52 में तथा इस धारा की उपधारा (1) से (3) में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के उपबन्ध के सदैव अधीन रहते हुये, यदि किसी न्यायालय के उक्त धाराओं में अभिदिष्ट किसी अपराध का संज्ञान किया है और ऐसे आपराधिक वाद में अभियुक्त के उपस्थित होने के लिये न्यायालय द्वारा जांच की जा सकती है और उस पर विचारण किया जा सकता है।⁵

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 44(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की उपधारा (2) की धारा 44 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उपर्युक्त की धारा 45 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उपर्युक्त की धारा 46 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ०प्र० अधिनियम संख्या 37, 1978 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 56-59}

{56— यदि कोई न्यायालय यह पाये कि कोई आपराधिक वाद न्याय पंचायत द्वारा विचारण योग्य है, तो वह धारा 55 की उपधारा (4) में उपबन्धित अवस्था को छोड़कर, उसे सक्षम अधिकारिता वाली न्याय पंचायत को अनतरित करेगा और तदनन्तर न्याय पंचायत उसका नये सिरे से विचारण करेगी।}¹

न्यायालयों द्वारा न्याय पंचायतों को आपराधिक-वादों का अन्तरण

57— न्याय पंचायत किसी परिवाद को खारिज कर सकती है यदि परिवादी का परीक्षण करने और ऐसा साक्ष्य लेने के बाद जिसे वह प्रस्तुत करे, उसका यह समाधान हो जाय कि परिवाद तुच्छ, क्षेमकारी अथवा असत्य है।

परिवादों का सरसरी तौर पर 5 खारिज किया जाना

{58— यदि न्याय पंचायत को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि—

न्याय पंचायत द्वारा आपराधिक वादों का न्यायालयों को अन्तरित किया जाना

(क) उसके समक्ष विचाराधीन किसी आपराधिक वाद के विचारण की उसकी अधिकारिता नहीं है,

(ख) अन्तर्ग्रस्त अपराध ऐसा है कि जिसके लिये वह पर्याप्त दण्ड नहीं दे सकती है, अथवा

(ग) आपराधिक वाद का न्यायालय द्वारा अन्यथा विचारण किया जाना चाहिये, तो वह उसे सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को अन्तरित कर देगी और ऐसे अन्तरण की सूचना सम्बन्धित पक्षों को दे देगी।}²

{59— कोई भी न्याय पंचायत किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी आपराधिक वाद का संज्ञान न करेगी, यदि व्यक्ति—

कतिपय व्यक्तियों का विचारण न्याय पंचायतों द्वारा न किया जायगा

(क) पहले ही किसी ऐसे अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया हो, जो तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से दण्डनीय हो:

(ख) जिस पर किसी न्याय पंचायत द्वारा चोरी के लिये पहले ही जुर्माना किया गया हो:

(ग) जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की {या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की}⁴ धारा 109 अथवा 110 के अधीन सदाचार बनाये रखने के लिये आबद्ध किया गया हो,

(घ) जिसे सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 के अधीन पहले ही दोषसिद्ध ठहराया गया हो, अथवा

(ङ) लोक सेवक हो।}³

60— कोई जुर्माना आरोपित करते समय न्याय पंचायत यह आदेश दे सकती है कि वसूल किया गया सम्पूर्ण जुर्माना या उसका कोई भाग निम्नलिखित के लिये प्रयुक्त किया जाय—

परिवादियों को प्रतिकर

(क) परिवादी द्वारा आपराधिक वाद में उचित रूप से किये गये व्यय को पूरा करने,

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 47 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 48 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 49 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 37, 1978 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 60-64}

{(ख) अपराध के कारण किसी सारवन हानि अथवा क्षति के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान करने, या }¹

{(ग) चोरी गई संपत्ति के किसी सद्भावमय क्रेता को उसकी हानि के निमित्त प्रतिकर देने के लिए यदि सम्पत्ति उसके हकदार व्यक्ति के कब्जे में प्रत्यावर्तित कर दी जाय।}²

{61— (1) यदि न्याय पंचायत के समक्ष संस्थित किसी आपराधिक वाद में किसी व्यक्ति पर किसी ऐसे अपराध का अभियोग लगाया गया हो, जो न्याय पंचायत द्वारा विचारण योग्य हो, और न्याय पंचायत उस अभियुक्त को विमुक्त कर देती है और उसकी यह राय हो कि उस पर लगाया गया अभियोग मिथ्या और तुच्छ अथवा क्षोभकारी या तो न्याय पंचायत परिवादी से तत्क्षण इस बात का कारण बताने के लिए कह सकती है कि वह ऐसे अभियुक्त को प्रतिकर का भुगतान क्यों न करे।

अभियुक्त को प्रतिकर

(2) यदि परिवादी की सुनवायी करने के बाद न्याय पंचायत का समाधान हो जाय कि अभियोग मिथ्या और तुच्छ अथवा क्षोभकारी था तो वह निदेश दे सकती है कि ऐसे परिवादी द्वारा अभियुक्त को पच्चीस रुपये से अनधिक प्रतिकर का भुगतान किया जाय।}³

1938 का अधिनियम सं० 6

62— न्याय पंचायत द्वारा संयुक्त प्रान्त प्रथम अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1938 की धारा 4 की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।

अपराधियों का परिवीक्षा पर जोड़ा जाना

{63— दण्ड प्रक्रिया संहिता, [1973]⁵ में किसी बात के होते हुए भी, मजिस्ट्रेट किसी ऐसे आपराधिक वाद में, जिसमें अपराध ऐसी न्याय पंचायत की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर किया गया था, उक्त संहिता की धारा 202 में अभिदिष्ट जांच न्याय पंचायत द्वारा किये जाने का निदेश दे सकता है और न्याय पंचायत आपराधिक वाद में जांच करेगी तथा उक्त मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। निदेश के प्राप्त होने पर सरपंच या सहायक सरपंच और उनकी अनुपस्थिति में धारा 75 में उल्लिखित पंच, उसे धारा 49 के अधीन बनाये गये न्यायापीठ को सौंप देगा।}⁴

मजिस्ट्रेटों द्वारा भेजे गये आपराधिक वादों में जांच 1898 का अधिनियम सं० 5

{64— (1) न्याय पंचायत, धारा 66 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निम्न प्रकार के किसी सिविल वाद का संज्ञान कर सकती है, यदि उसका मूल्य एक सौ रुपये से अधिक न हो—

सिविल वादों में अधिकारिता का विस्तार

(क) स्थावर संपत्ति के सम्बन्ध में संविदा से भन्न किसी संविदा पर देय धन के लिये सिविल वाद,

(ख) जंगम संपत्ति की वसूली के लिए अथवा उसके मूल्य के लिए सिविल वाद,

(ग) किसी जंगम संपत्ति को दोषपूर्ण रूप से लेने या उसे क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में प्रतिकर के लिए सिविल वाद, अथवा

(घ) पशुओं के अनधिकृत प्रवेश से हुई क्षति के लिए सिविल वाद।

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 50 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 50 (3) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 51 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 52 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ०प्र० अधिनियम संख्या 37, 1978 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 65-68}

(2) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके निवेश दे सकती है कि किसी पंचायत की अधिकारिता का विस्तार पांच सौ रुपये से अनधिक मूल्य के ऐसे समस्त सिविलवादों तक होगा।¹

65— { * * * }²

{66— धारा 64 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए न्याय पंचायत को निम्नलिखित सिविलवादों का संज्ञान करने के अधिकारिता न होगी,—

न्याय पंचायत की अधिकारिता का अपवर्जन

(1) भागीदार लेखे के सम्बन्ध में देय बकाया के लिये सिविलवाद, सिवाय उस दशा के जब कि बकाया पक्षों अथवा उनके अभिकर्ताओं द्वारा किया गया हो,

(2) निर्वसीयता की दशा में किसी अंश के लिये या अंश के किसी भाग के लिये अथवा वसीयत के अधीन वसीयत सम्पदा के लिए या वसीयत सम्पदा के भाग के लिये सिविलवाद,

(3) राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा किसी लोकसेवक द्वारा या उसके विरुद्ध ऐसे कार्यों के लिये सिविलवाद, जो उसने पदीय हैसियत से किये हों,

(4) अवयस्क अथवा विकृतचित्त के व्यक्ति द्वारा अथवा उसके विरुद्ध सिविलवाद, और

(5) ऐसा सिविलवाद जिसका यू०पी० विलेज पंचायत ऐक्ट, 1920 के अधीन स्थापित किसी पंचायत द्वारा संज्ञान किया जाना यूनाइटेड प्राविसेज डेट रिडम्पशन ऐक्ट, 1940 की धारा 25 के अधीन वर्जित हो।³

67— (1) न्याय पंचायत के समक्ष संस्थित प्रत्येक सिविलवाद में ऐसा सम्पूर्ण दावा सम्मिलित होगा जिसे वादी विवादग्रस्त मामले में करने का हकदार हो, किन्तु सिविलवाद को न्याय पंचायत की अधिकारिता के भीतर लाने के लिये अपने दावे के किसी भाग का त्याग कर सकता है।

सिविलवादों में सम्पूर्ण दावे सम्मिलित होंगे

(2) यदि वादी {अपने दावे के किसी भाग}⁴ के सम्बन्ध में वाद लाये या उक्त {भाग}⁴ का त्याग करे, तो वह तत्पश्चात् ऐसे भाग के लिये जिसके सम्बन्ध में वाद न लाया गया हो या जिसका त्याग किया गया हो, वाद प्रस्तुत न करेगा।

68— प्रत्येक सिविलवाद जो अनुसूची में उसके लिये नियत परिसीमा की अवधि के पश्चात् न्याय पंचायत के समक्ष संस्थित किया गया हो, खारिज कर दिया जायगा, भले ही प्रतिवाद के रूप में परिसीमा का प्रश्न न उठाया गया हो:

परिसीमा

{प्रतिबन्ध यह है कि किसी सिविलवाद के लिए नियत परिसीमा की अवधि की संगणना करने में वह समय निकाल दिया जायगा, जिसमें वादों किसी न्यायालय में प्रतिवादी के विरुद्ध किसी दूसरे सिविलवाद का यथाचित तत्परता से अभियोजन कर रहा हो, यदि वह दूसरा वाद उसी वाद कारण पर आधारित हो और सद्भाव से ऐसे न्यायालय में अभियोजित किया गया हो जो अधिकारिता के दोष से अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से उसे ग्रहण करने में असमर्थ हो।⁵

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 53 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 54 द्वारा निकाला गया।
3. उपर्युक्त की धारा 55 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 56 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 57 द्वारा बढ़ाया गया।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 69-74 क}

69— [(1)]³ आगम, विधिक स्वरूप, संविदा अगि दायित्व के प्रश्न पर न्याय पंचायत का निर्णय पक्षों पर बन्धनकारी नहीं होगा सिवाय उसव सिविल वाद के सम्बन्ध में जिसमें तत्सम्बन्धी निर्णय किया गया हो।

न्याय पंचायतों के निर्णय का प्रभाव

[(2) न्याय पंचायत द्वारा आदेशित कोई दोष सिद्धि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अनर्हता या शास्ति के रूप में न तो प्रवर्ती होगी और न उसका आधार ही होगी।]³

70— {***}²

71— {***}²

72— {***}²

73— (1) कोई भी न्याय पंचायत किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जो उन्हीं पक्षों अथवा ऐसे पक्षों के बीच, जिनके अधीन वे अथवा उनमें से कोई पक्ष दावा करे, पूर्ववर्ती सिविल वाद में सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में निर्णयार्थ विचाराधीन हो अथवा जिसकी सुनवाई या निर्णय उसके द्वारा किया गया हो, किसी विविल वाद, राजस्व वाद अथवा वाद पद का विचारण न करेगा।

पूर्वन्याय तथा विचाराधीन वाद

(2) यदि किसी अपराध के सम्बन्ध में किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद विचाराधीन हो अथवा यदि अभियुक्त व्यक्ति का किसी अपराध के लिये विचारण किया गया हो तो कोई भी न्याय पंचायत ऐसे किसी अपराध का अथवा किसी ऐसे अन्य अपराध का उन्हीं तथ्यों पर संज्ञान न करेगी, जिसके लिये अभियुक्त पर दोषारोपण किया गया होता या वह दोष सिद्ध ठहराया गया होता।

74— यदि कोई {आपराधिक वाद या सिविल वाद}⁴ एक से अधिक न्याय पंचायतों में ग्रहणीय हो तो {परिवादी या वादी}⁵ यथास्थिति परिवादी या वादी को ऐसी न्याय पंचायतों में से किसी एक में प्रस्तुत कर सकता है। अधिकारिता के सम्बन्ध में किसी विवाद का निर्णय यथा स्थिति अधिकारिता वाले {न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ}⁶ द्वारा किया जायगा।

समवर्ती अधिकारिता

{74-क— सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 उन विचारण जब सिविल वाद या {***}⁸ सिविल वादों के विचारण पर लागू होगी जो अधिकारिता वाली दो या दो से अधिक न्याय पंचायतों के समक्ष विचाराधीन हो।

विचारण जब सिविल वाद {***}⁷ में वादकरण एक से अधिक सर्किलों में उत्पन्न हो 1908 का अधिनियम सं0 5

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 57 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उपर्युक्त की धारा 58 द्वारा निकाला गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 37, 1978 की 25 द्वारा पुनर्संख्यांकित तथा बढ़ाया गया।
4. उपर्युक्त की धारा 26 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 26 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 26 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 27 (क) द्वारा निकाला गया।
8. उपर्युक्त की धारा 27 (ख) द्वारा निकाला गया।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 74ख-77क}

74-ख— जब यह अनिश्चित हो कि कई सर्किलों में से किस सर्किल में अपराध किया गया था अथवा जब अपराध अंशतः एक सर्किल में और अंशतः दूसरे सर्किल में किया गया हो अथवा जब अपराध जारी रहने वाला अपराध हो और एक से अधिक सर्किलों में किया जा रहा हो अथवा जब अपराध में कई ऐसे कार्य सम्मिलित हों, जो विभिन्न सर्किलों में किये गये हों तो उसकी जांच उस न्याय पंचायत द्वारा की जा सकती है जिसकी ऐसे सर्किलों में से किसी सर्किल में अधिकारिता हो।¹

विचारण जबकि अपराध स्थल अनिश्चित हो या वह केवल एक ही सर्किल में न हो या जब कि अपराध जारी रहने वाला अपराध हो अथवा जिसमें कई कार्य सम्मिलित हों

75— कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन {कोई सिविलवाद या आपराधिक वाद}⁸ न्याय पंचायत के समक्ष संस्थित करना चाहे, न्याय पंचायत सरपंच को {और उसकी अनुपस्थिति में सहायक सरपंच को}² और सर्किल से {उसकी}³ अनुपस्थिति की दशा में ऐसे अन्य पंच को जो {सरपंच द्वारा तदर्थ नियुक्त किया गया हो}⁴ मौखिक या लिखित रूप से आवेदन-पत्र दे सकता है और साथ ही वह नियत फीस का भी भुगतान करेगा। न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा सिवाय उस दशा के जब ऐसा नियत किया जाय। प्रत्येक सिविल वाद में वादी मूल्य बतायेगा।

सिविल वादों तथा आपराधिक वादों का संस्थित किया जाना

{(2) यदि कोई [* * *]⁹ मौखिक रूप से संस्थित किया जाय तो आवेदन-पत्र प्राप्त करने वाल सरपंच सहायक सरपंच अथवा पंच नियत ब्योरों को अबिलम्ब अभिलिखित करेगा और उस पर आवेदक का हस्ताक्षर अथवा अंगुष्ठ छाप ले लिया जायेगा।⁵

1870 का अधिनियम सं० 7

{76— तदुपरान्त सरपंच, सहायक सरपंच अथवा उनकी अनुपस्थिति में धारा 75 में उल्लिखित पंच आवेदन-पत्र को धारा 49 के अधीन बनाए गए न्यायपीठ के समक्ष निस्तारण के लिए रखेगा और उक्त न्यायपीठ के समक्ष उस आवेदन-पत्र की प्रथम सुनवाई का दिनांक भी निश्चित करेगा तथा उस दिनांक की सूचना यथास्थिति आवेदक, परिवादी अथवा वाद की ओर न्यायपीठ के सदस्यों को देगा।⁶

आवेदन-पत्र न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा

{77— न्यायपीठ अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को उस न्यायपीठ का सभापति चुनेगा, जो कि कार्यवाहियों का संचालन करेगा:

न्यायपीठ का सभापति

प्रतिबन्ध यह है कि यदि सरपंच अथवा सहायक सरपंच न्यायपीठ का सदस्य हो तो वह और यदि उनमें से दोनों ही उसी न्यायपीठ के सदस्य हों तो सरपंच, सभापति होगा।⁷

{77-क (1) यदि धारा 49 के अधीन के अधीन संघटित न्यायपीठ में नियुक्त कोई पंच किसी सुनवाई के समय अनपस्थित हो, तो शेष पंच इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी {आपराधिक वाद या सिविल वाद}¹⁰ का विचारण करेंगे:

न्यायपीठ से पंच की अनुपस्थिति

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 2, 1955 की धारा 60 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 61(1) (क) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 61(1) (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उपर्युक्त की धारा 61(1) (ग) द्वारा बढ़ाया गया।
5. उपर्युक्त की धारा 61(2) द्वारा बढ़ाया गया।
6. उपर्युक्त की धारा 62 द्वारा बढ़ाया गया।
7. उपर्युक्त की धारा 63 द्वारा बढ़ाया गया।
8. उ०प्र० अधिनियम सं० 37 1978 की धारा 28 (क) द्वारा बढ़ाया गया।
9. उपर्युक्त की धारा 28 (ख) द्वारा मिटाया गया।
10. उपर्युक्त की धारा 29 द्वारा बढ़ाया गया।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 78-80}

प्रतिबन्ध यह है कि कम से कम तीन पंच, जिनमें सभापति भी सम्मिलित होगा, उपस्थिति हो और अग्रेतर यह भी प्रतिबन्ध है कि उपस्थिति पंचों में से कम से कम एक पंच साक्ष्य तथा कार्यवाहियों को अभिलिखित करने में सामर्थ्य हो।

(2) यथापूर्वोक्त कोई भी विचारण केवल इस कारण से अमान्य न होगा कि समस्त पांचों सदस्य, जिनसे न्यायपीठ बना है, किसी सुनवाई के समय उपस्थित न थे अथवा यह कि ये ही पंच समस्त सुनवाईयों के समय उपस्थित न थे।

(3) उपधारा (1) तथा (2) के उपबन्ध धारा 63 के अधीन न्याय पंचायत द्वारा की गई जांच पर आवश्यक परिवर्तनों सहित होंगे।¹

{78— (1) यदि सुनवाई के लिए निश्चित समय और स्थान सूचित किये जाने के बाद भी, यथास्थिति वादी या परिवादी उपस्थित न हो तो न्याय पंचायत वाद को खारिज कर सकती है या ऐसा आदेश दे सकती है जैसा वह उचित समझे।³

सम्बन्धित पक्षों की अनुपस्थिति में सिविल वाद और आपराधिक वादों का खारिज किया जाना

(2) न्याय पंचायत [यथास्थिति प्रतिवादी या अभियुक्त की अनुपस्थिति में सिविल वाद या आपराधिक वादी]⁴ की सुनवाई कर सकती है और उसके सम्बन्ध में निर्णय दे सकती है, यदि उस पर समन तामील हो चुका हो अथवा उसे सुनवाई के लिए निश्चित समय और स्थान की सूचना दी जा चुकी हो।

79— (1) उपधारा (2) में उपबन्धित अवस्था को छोड़कर अथवा लिपिक अशुद्धि को ठीक करने के अलावा न्याय पंचायत अपने द्वारा दी गई किसी डिक्री या दिये गये किसी आदेश का विलोपन करने, उसे पुनरीक्षित करने अथवा परिवर्तित करने के लिए सशक्त न होगी।

न्याय पंचायत अपने निर्णय को पुनरीक्षण अथवा परिवर्तित नहीं करेगी

(2) न्याय पंचायत समन की व्यक्तिगत रूप से तामील न किए जाने की दशा में डिक्री अथवा आदेश के दिनांक से अथवा उनकी जानकारी प्राप्त होने के दिनांक से एक मास के भीतर आवेदन-पत्र दिये जाने पर किसी [सिविल वाद या आपराधिक वाद]⁵ को, जो सम्बन्धित पक्ष के चूक के कारण खारिज कर दिया गया हो या जिसमें एक पक्षीय डिक्री दी गई हो या आदेश दिया गया हो, अभिलिखित किए जाने वाले पर्याप्त कारणों से पुनः स्थापित कर सकती है।

{80— कोई भी विधि व्यवसायी न्याय पंचायत के समक्ष किसी पक्ष की ओर से न तो उपस्थित होगा, न वकालत करेगा और न कोई कार्य ही करेगा :

विधि व्यवसायों न्याय पंचायत के समक्ष उपस्थित होंगे

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति की, जो बन्दी बनाया गया हो और अभिरक्षा में निरुद्ध हो, अपनी पसन्द के किसी विधि व्यवसायी से परामर्श लेने और उसके द्वारा अपना प्रतिवाद कराने का अधिकार होगा।²

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 23, 1952 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 02, 1955 की धारा 65 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 30 (क) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उपर्युक्त की धारा 30 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 31 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 81-84}

81— धारा 80 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए {सिविल वाद या आपराधिक वाद}⁶ में कोई पक्ष, न्याय पंचायत के समक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा {लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत}¹ ऐसे सेवक पंचायत (जो दलाल न हो,) भागीदार, सम्बन्धी अथवा मित्र द्वारा उपस्थित हो सकता है जिसे न्याय पंचायत उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए ठीक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करे :

प्रतिनिधियों द्वारा स्वयं उपस्थित होना

{प्रतिबन्ध यह है कि धारा के अधीन निवेशित किसी मुखतारनामों के लिए कोई स्टाम्प पुल्क भुगतान करने की आवश्यकता न होगी।}²

{82— इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी न्याय पंचायत के लिए यह वैध होगा कि वह किसी ऐसे विवाद का जो उसके स्थानीय क्षेत्र में उत्पन्न हो और किसी न्यायालय में विचाराधीन न हो, किसी ऐसे निपटारे, समझौते या षपथ क अनुसार निर्णय करे जिस पर पक्षों ने लिखित रूप में सहमति दी हो।}³

कतिपय मामलों में विशेष अधिकारिता

83— {(1)}⁴ न्याय पंचायत किसी {सिविल वाद या आपराधिक वाद}⁶ में ऐसा साक्ष्य प्राप्त करेगी जिसे पक्ष प्रस्तुत करे और वह ऐसा और साक्ष्य मांग सकती है जो विचारणीय विषय के अवधारण के लिए उसकी राय में आवश्यक हो। न्याय पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्रत्येक विधि समस्त साधनों से, जो उसकी शक्ति में हो, अपने समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक {सिविल वाद या आपराधिक वाद}⁶ के तथ्यों को सुनिश्चित करे और तत्पश्चात व्यय सहित या व्यय के बिना ऐसी डिक्री या ऐसी आज्ञा दे जो उसे न्यायोचित और वैध प्रतीत हो। वह उस {क्षेत्र}⁷ में, जिससे विवाद सम्बन्धित है, स्थानीय रूप से जांच कर सकती है। यह इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन नियत प्रक्रिया का अनुसरण करेगी। न्याय-पंचायत में किसी {सिविल वाद या आपराधिक वाद}⁶ के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 दण्ड प्रक्रिया संहिता {1973}⁸, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 तथा परिसीमा अधिनियम, {1963}⁹ लागू नहीं होंगे सिवाय उस दिशा के जबकि इस अधिनियम में ऐसा उपबन्धित हो अथवा ऐसा नियत किया जाय।

सत्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया और शक्ति

1908 का अधिनियम सं05

{(2) इस उपधारा में कोई बात किसी पक्ष को इस बात का हकदार नहीं बनाएगी कि वह किसी ऐसे अपराध का शमन करे जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, {1973}¹⁰ के उपबन्धों के अधीन शमन किए जाने योग्य न हो अथवा सम्बन्धित न्यायपीठ की अनुमति के बिना किसी अपराध का शमन करे यदि वह उक्त संहिता के उपबन्धों के अधीन अनुमति से शमन किए जाने योग्य हो।}⁵

{(3) जहां न्याय पंचायत की राय में, कोई पक्ष मामले निस्तारण में जानबूझ कर विलम्ब करता है, वहां वह ऐसे पक्ष पर पांच रुपए से अनधिक का खर्च आरोपित कर सकती है जो दूसरे पक्ष को देय होगा।}¹¹

84— पंचों में मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अविभावी होगी।

बहुमत अभिभावी होगा

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0. 2, 1955 को धारा 66 (1) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उपर्युक्त की धारा 66 (2) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 67 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उपर्युक्त की धारा 68 (1) द्वारा पुनर्संख्यांकित।
5. उपर्युक्त की धारा 68 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 को धारा 32 एवं धारा 33 (क) (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 33 (क) (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उपर्युक्त की धारा 33 (क) (3) द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उपर्युक्त की धारा 33 (क) (4) द्वारा प्रतिस्थापित।
10. उपर्युक्त की धारा 33 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
11. उपर्युक्त की धारा 33 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 85-87}

{85— (1) दोनों पक्षों में से किस पक्ष द्वारा आवेदन-पत्र दिए जाने और पक्षों को नोटिस दिए जाने के पश्चात तथा उनमें से ऐसे पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् जो सुनवाई कराना चाहें अर्थात् बिना नोटिस के स्वप्रेरण से [न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ]² इस बात के अनुसार कि न्याय पंचायत के समक्ष विचाराधीनवाद [आपराधिकवाद या सिविलवाद]³ है, उसे किसी भी प्रक्रम पर वापस ले सकता है, तथा—

बहुमत अभिप्राय होगा न्याय पंचायत से वादों को अन्तरित करने की प्रवर न्यायालयों की शक्ति

(1) उसे निस्तारित करने का प्रयत्न कर सकता है, या

(2) उसे न्याय पंचायत के किसी अन्य न्यायपीठ को अन्तरित कर सकता है,

(3) उसे विचारण के लिए अथवा निस्तारण के लिए किसी ऐसे अन्य [मजिस्ट्रेट या मुंसिफ]⁴ को जो उसका विचारण या निस्तारण करने के लिए सख्त हो, अन्तरित कर सकता है।

{(2) जहां कोई आपराधिक या सिविल वाद उपधारा (1) के अधीन वास ले लिया गया हो, वहां वह न्यायालय, जो तत्पश्चात उसका विचारण करें, या तो उसका पुनर्विचारण कर सकता है या उस प्रक्रम से विचारण प्रारम्भ कर सकता है, जहां से उसे वापस ले लिया गया था।⁵

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन दिया गया कोई आवेदन-पत्र तुच्छ अथवा क्षोभकारी हो तो आवेदक पर यथास्थिति [न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ]⁶ द्वारा पचास रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।¹

86— यदि न्याय पंचायत किसी [सिविल वाद या आपराधिक वाद]⁷ में किसी व्यक्ति का साक्ष्य अथवा उसके द्वारा लेख्य प्रस्तुत किया जाना आवश्यक समझे तो वह उस व्यक्ति को उपस्थिति होने या ऐसा लेख्य प्रस्तुत करने या उसे प्रस्तुत कराने के लिए बाध्य करने के निमित्त एक समन जारी कर सकती है तथा उस व्यक्ति पर नियत रीति से उसकी तामील करा सकती है और वह व्यक्ति समन में दिए गए निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

साक्षियों को समन का जारी किया जाना

87— यदि कोई व्यक्ति, जिसे न्याय पंचायत साक्ष्य देने या अपने समक्ष कोई लेख्य प्रस्तुत करने के निमित्त उपस्थिति होने के लिए लिखित आदेश द्वारा समन करे, जानबूझ कर ऐसे समन अथवा नोटिस अथवा आदेश की अवज्ञा करे तो न्याय पंचायत अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को परिवाद कर सकती है और उक्त व्यक्ति ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचीस रूपए तक हो सकता है :

न्याय पंचायत के समक्ष उपस्थित होने में चूक करने के लिए शास्ति

प्रतिबन्ध यह है कि किसी महिला को न्याय पंचायत के समक्ष स्वयं उपस्थिति होने के लिए बाध्य नहीं किया जायगा। उसकी परीक्षा नियत रीति से कमीशन द्वारा की जा सकती है:

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि धारा के अधीन जारी किए गए समन का पालन करके कोई लेख्य प्रस्तुत किया जाय तो न्याय पंचायत उस लेख्य की प्रतिलिपि तैयार कराएगी, मूल प्रति से मिलान करने के बाद प्रतिलिपि पर यह चिह्नित करेगी कि वह सही प्रतिलिपि है और मूल लेख्य को उसके प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को लौटा देगी:

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0. 2, 1955 की धारा 69 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 34 (क) (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 34 (क) (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 34 (क) (3) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 34 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 34 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 88-89}

{अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि न्याय पंचायत को यह प्रतीत हो कि कोई साक्षी रूग्णता या शारीरिक अशक्तता के कारण उसके सम्मुख उपस्थिति होने में असमर्थ है अथवा यह कि उसे बिना अनुचित विलम्ब, व्यय अथवा असुविधा के उपस्थित नहीं कराया जा सकता है, तो वह, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो नियत किए जायं, ऐसे साक्षी का साक्ष्य लेने के लिए नियत रीति से कमीशन जारी कर सकती है। इस प्रकार लिया गया साक्ष्य वाद के अभिलेख का भाग होगा।}¹

88— न्याय पंचायत किसी सिविल वाद {***}³ को खारिज कर सकती है यदि वादी अथवा आवेदक का बयान लेने के बाद उसका यह समाधान हो जाय कि सिविल {***}³ तुच्छ, क्षोभकारी अथवा असत्य है।

सिविल वादों इत्यादि का खारिज किया जाना

89— (1) {सिविल या आपराधिक वाद}⁵ के अनुसार {न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ}⁴ या तो स्वप्रेरणा से अथवा किसी पक्ष द्वारा आवेदन-पत्र दिए जाने पर जो उस आदेश के दिनांक से, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया हो, अथवा यदि आवेदक पर समन व्यक्तिगत रूप से तामील न किया गया हो तो आदेश की जानकारी होने के दिनांक से 60 दिनों के भीतर दिया गया हो, किसी ऐसे वाद के अभिलेख को मांग सकता है, जो न्याय पंचायत द्वारा निर्णीत हुआ हो और यदि उसे यह प्रतीत हो कि अन्याय हुआ है अथवा कोई सारवान अनियमितता हुई है, तो वह वाद में ऐसा आदेश दे सकता है, जिसे वह ठीक समझे।

पुनरीक्षण

स्पष्टीकरण— विधि द्वारा निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में चूक करना अथवा विधि द्वारा निहित अधिकारिता से अधिक अधिकारिता का प्रयोग करना इस धारा के प्रयोजनों के लिए सारवान अनियमितता समझी जायगी।

(2) पूर्वोक्त उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथास्थिति {न्यायिक मजिस्ट्रेट मुंसिफ}⁴ :—

(क) न्याय पंचायत द्वारा दी गई डिक्री का या दिए गए आदेश को अभिखंडित कर सकता है;

(ख) आदेश का परिष्कार कर सकता है;

(ग) ऐसे निदेश के साथ, जिसे वह ठीक समझे, वाद को पुनःविचारण के लिए न्याय पंचायत को प्रतिप्रेषित कर सकता है; अथवा

(घ) वाद का स्वयं विचारण कर सकता है अथवा उसे किसी ऐसे अन्य न्यायालय अथवा अधिकारी को अन्तरित कर सकता है जो उसका परीक्षण करने के लिए सक्षम हो।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन-पत्र यथास्थिति {न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ}⁴ द्वारा तुच्छ या क्षोभकारी पाया जाय तो, वह, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, आवेदक द्वारा प्रतिपक्ष को प्रतिकर के रूप में पचास रुपये से अनधिक विशेष व्यय का भुगतान किए जाने का आदेश दे सकता है।

(4) यथापूर्वोक्त के सिवाय किसी {सिविल या आपराधिक वाद}⁶ में न्याय पंचायत द्वारा दी गई डिक्री अथवा दिए गए आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में न तो अपील की जा सकेगी और न उसका पुनरीक्षण किया जा सकेगा।²

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 70 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उपर्युक्त की धारा 71 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 36 द्वारा निकाला गया।
4. उपर्युक्त की धारा 37 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 37 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 37(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 90-94}

{(5) धारा 95 में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ इस धारा के अधीन दिए गए किसी आदेश में यह निष्कर्ष देता है कि न्याय पंचायत के किसी पंच या पंचों ने जिसके अन्तर्गत कोई सरपंच भी है उक्त मामले के सम्बन्ध में, जिसके कारण पुनरीक्षण करना पड़ा हो, ऐसी रीति से व्यवहार किया है जो उसके या उनके पद के लिए अनुचित है, वहां नियत प्राधिकारी ऐसे निष्कर्ष के आधार पर ऐसे पंच या पंचों को हटा सकता है, और यह आवश्यक न होगा कि प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध उसे या उन्हें कारण बताने का कोई अवसर दिया जाय।}⁵

90— न्याय पंचायत धारा 75 के अधीन आवेदन-पत्र दिए जाने के पश्चात् जब तक कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन खारिज न कर दिया गया हो या अन्यथा उसका निस्तारण न कर दिया गया हो, प्रतिवादी अथवा अभियुक्त व्यक्ति {***}⁶ पर नियत प्रपत्र में और नियत रीति से समन तामील करवाएगी जिसमें वह उसे ऐसे समय और ऐसे स्थान पर जो समन में अताया गया हो, उपस्थित होने और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी और साथ ही वादी अथवा परिवादी {***}⁶ को उक्त समय और स्थान पर उपस्थित होने और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निदेश देगी।

प्रतिवादी अथवा अभियुक्त व्यक्तियों को समन

91 — {***}¹

92— यदि डिक्रीधारी अथवा वाद ऋणी द्वारा आवेदन-पत्र दिए जाने पर, वह न्याय पंचायत जिसने डिक्री दी हो, जांच के पश्चात् यह पाए कि डिक्री की पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से त्रुटि हो चुकी है तो वह इस तथ्य को नियत- रजिस्टर में अभिलिखित करेगी।

डिक्री का भुगतान अथवा समायोजन अभिलिखित किया जायगा

{93— (1) न्याय पंचायत द्वारा दी गई डिक्री अथवा दिए गए आदेश का उसके द्वारा ऐसी रीति से निष्पादन किया जायगा जो नियत की जाय। यदि प्रतिवादी {***}⁷ की सम्पत्ति डिक्री अथवा आदेश को निष्पादन के लिए उस न्याय पंचायत को नियत रीति से अन्तरित कर सकती है जिसकी अधिकारिता में उक्त सम्पत्ति स्थित हो और यदि वहां नयाय पंचायत न हो तो यथास्थिति {उस मुंसिफ}⁸ के न्यायालय को अन्तरित कर सकती है जिसकी अधिकारिता में वह स्थिति हो।

डिक्रियों का निष्पादन

(2) यदि न्याय पंचायत किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कोई कठिनाई पाए, तो वह उसे यथास्थिति {मुंसिफ}⁹ को भेज देगी और वह उसका निष्पादन इस प्रकार करेगा मानो वह उसके द्वारा दी गई डिक्री या दिया गया आदेश हो।²

94— {न्याय पंचायत द्वारा आरोपित कोई जुर्माना या ऐसा प्रतिकर, जिसके भुगतान के लिए धारा 61 में उसके द्वारा आदेश दिया गया हो,}³ {नियत}⁴ रीति से वसूल किया जा सकेगा। किन्तु यदि न्याय पंचायत को उसे वसूल करने में कोई कठिनाई हो, तो वह उस {न्यायिक मजिस्ट्रेट}¹⁰ से, जिसकी अधिकारिता में न्याय पंचायत स्थित हो, उसे वसूल करने का अनुरोध कर सकती है और वह उसे इस प्रकार वसूल करेगा मानो जुर्माने का दण्डादेश उसी के द्वारा दिया गया हो।

निरीक्षण

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 02, 1955 की धारा 72 द्वारा निकाला गया।
2. उपर्युक्त की धारा 73 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 74 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 74 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 37(घ) द्वारा अन्तर्विष्ट।
6. उपर्युक्त की धारा 38 द्वारा निकाला गया।
7. उपर्युक्त की धारा 39(क)(1) द्वारा निकाला गया।
8. उपर्युक्त की धारा 39(क)(2) द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उपर्युक्त की धारा 39(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
10. उपर्युक्त की धारा 40 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 94क-95}

{94-क— (1) यदि कोई व्यक्ति किसी न्याय पंचायत या उसके किसी सदस्य, का, जबकि न्यायिक कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में न्याय पंचायत की बैठक हो रही हो, उसकी दृष्टि में अथवा उपस्थिति में साभिप्राय अपमान करे अथवा सम्यक रूप से दिलाई जाने वाली शपथ लेने से अर्थात् अपने द्वारा किए गए कथन पर हस्ताक्षर करने से, जब कि ऐसा करना विधिक रूप से अपेक्षित हो, इन्कार करे, तो न्याय पंचायत उसी दिन, अपनी बैठक समाप्त करने से पूर्व किस भी समय इस अपराध का संज्ञान कर सकती है तथा अपराधों पर {दस रूपए}⁵ से अनधिक के जुर्माने का दण्डादेश दे सकती है।

न्याय पंचायत का अवमान

(2) उपधारा (1) के अधीन आरोपित जुर्माना धारा 94 के प्रयोजनों के लिए आपराधिक वाद में आरोपित जुर्माना समझा जायगा। }¹

अध्याय 7

वाह्य नियंत्रण

95— {(1)}² राज्य सरकार—

निरीक्षण

(क) ऐसी स्थावर संपत्ति का, {जो किसी ग्राम पंचायत के स्वामित्व में हो, और जो उसके}⁷ या संयुक्त समिति अथवा {न्याय पंचायत}³ द्वारा प्रयुक्त अथवा अध्यासित हो, अथवा ऐसी {ग्राम पंचायत}⁶ या संयुक्त समिति या न्याय पंचायत के निदेश के अधीन किये जा रहे किसी निर्माण कार्य का निरीक्षण करा सकती है,

(ख) {ग्राम पंचायत}⁶ या संयुक्त समिति अथवा {न्याय पंचायत}³ के कब्जे में या नियंत्रणाधीन किसी वही अथवा लेख्य को लिखित आदेश द्वारा मांग सकती है और उसका निरीक्षण कर सकती है,

(ग) {ग्राम पंचायत}⁶ या संयुक्त समिति अथवा {न्याय पंचायत}³ से लिखित आदेश द्वारा {ग्राम पंचायत}⁶ या ऐसी समिति अथवा {न्याय पंचायत}³ की कार्यवाहियों या कर्तव्यों के संबंध में ऐसे विवरण—पत्र, रिपोर्ट अथवा लेख्यों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है जिन्हें वह ठीक समझे,

(घ) {ग्राम पंचायत}⁶ अथवा संयुक्त समिति के विचारार्थ कोई ऐसा संप्रेक्षण अभिलेखबद्ध कर सकती है जिसे वह ऐसी {ग्राम पंचायत}⁶ संयुक्त समिति की कार्यवाहियों अथवा कर्तव्यों के संबंध में उचित समझे,

(ङ.) गांव सभा, {ग्राम पंचायत}⁶, या न्याय पंचायत से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कोई जांच संस्थित करा सकती है, और

{(च) किसी {***}⁹ संयुक्त समिति {भूमि प्रबन्धक समिति}³ अथवा न्याय पंचायत को {***}⁸ विघटित कर सकती है यदि राज्य सरकार की राय में ऐसी {***}⁹ {ग्राम पंचायत}⁶, संयुक्त समिति {भूमि प्रबन्धक समिति}³ अथवा न्याय पंचायत ने अपने पद का दुरुपयोग किया हो, या उसने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अपने पर आरोपित कर्तव्यों का पालन करने में निरन्तर चूक की हो अथवा इसकी बना रहना जनहित में वांछनीय न समझा जाय;}⁴

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 75 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उपर्युक्त की धारा 76 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 76 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 76 (3) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उपर्युक्त की धारा 49 (क) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उपर्युक्त की धारा 49 (क) (दो) (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उपर्युक्त की धारा 49 (क) (दो) (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण— {***}⁶

{(छ) {ग्राम पंचायत के प्रधान, उपप्रधान या उसके किसी सदस्य को}⁷ या संयुक्त समिति या भूमि प्रबन्धक समिति के किसी सदस्य को {***}⁸ अथवा न्याय पंचायत के किसी पंच, सहायक सरपंच या सरपंच को हटा सकती है, यदि—}⁵

(1) वह बिना पर्याप्त कारण के लगातार तीन से अधिक सभाओं अथवा बैठकों में अनुपस्थिति रहे;

(2) वह कार्य करने से इंकार करे अथवा किसी भी कारण से कार्य करने के लिये अक्षम हो जाय अथवा यदि उस पर ऐसे अपराध का अभियोग लगाया गया हो अथवा दोषारोपण किया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो;

(3) उसने इस रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया हो अथवा उसने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा आरोपित कर्तव्यों के पालन में निरन्तर चूक की हो अथवा उसका इस रूप में बना रहना जनहित में वांछनीय न हो; {***}²

{(3-क) उसने किसी ऐसे मिथ्या घोषणा-पत्र, जिसे उसके द्वारा यह अभिव्यक्त करते हुए कि वह यथास्थिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है, हस्ताक्षरित किया गया हो, के आधार पर यथास्थिति, धारा 11-क की उपधारा (2) या धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त किया हो;}¹¹

{(4) वह न्याय पंचायत का सहायक का सहायक सरपंच या सरपंच होने से राजनीति में सक्रिय भाग लेता हो;}¹ {या}³

{(5) उसमें धारा 5-क के खण्ड (क) से (ड) तक में उल्लिखित अनर्हताओं में से कोई अनर्हता हो : }⁴

{प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई प्रधान या उप प्रधान ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति से, जैसी नियत की जाय, की गयी किसी जांच में प्रथम दृष्टया वित्तीय और अन्य अनियमितताओं का दोषी पाया जाय, वहां ऐसा प्रधान या उप प्रधान वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन नहीं करेगा और जब तक कि वह अन्तिम जांच में आरोपों से मुक्त न हो जाय ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त ग्राम पंचायत के तीन सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जायेगा।}⁹

{(छछ) {***}¹⁰

{प्रतिबन्ध यह है कि—

-
1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 76 की उपधारा (4) द्वारा बढ़ाया गया।
 2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 19, 1957 की धारा 5(1) द्वारा निकाला गया।
 3. उपर्युक्त की धारा 5 (1) (2) द्वारा बढ़ाया गया।
 4. उपर्युक्त की धारा 5 (1) (3) द्वारा बढ़ाया गया।
 5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1973 की धारा 13 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
 6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 49 (क) (दो) द्वारा निरसित।
 7. उपर्युक्त की धारा 49(क) (तीन) (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
 8. उपर्युक्त की धारा 49 (क) (तीन) (ख) द्वारा निरसित।
 9. उपर्युक्त की धारा 49 (क) (तीन) (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
 10. उपर्युक्त की धारा 49 (क) (चार) द्वारा निरसित।
 11. उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1998 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 95क-96}

(1) खण्ड (च), {या खण्ड (छ)}⁷ के अधीन कोई कार्यवाही सम्बद्ध निकाय अथवा व्यक्ति को, प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं,

(2) {***}⁸ }⁴

(ज) {***}⁶

{(2) इस धारा की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के उपखंड (3) और (4) के अधीन हटाया गया कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी भी पद पर पांच वर्ष की अवधि या इससे कम ऐसी अवधि के लिये जैसा कि राज्य सरकार किसी मालले में आदेश दे, पुनः निर्वाचित या पुनः नियुक्त किये जाने का हकदार न होगा।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिये गये आदेश पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(4) यदि कोई {***}⁹ {ग्राम पंचायत}⁵, संयुक्त समिति अथवा भूमि प्रबन्धक समिति³ {विघटित}¹⁰ की जाय, तो उसकी शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का पालन करने के लिये राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे।²

{95-क— (1) यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि {ग्राम सभा}⁵ या ग्राम पंचायत ने इस अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम द्वारा उस पर आरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में चूक की हो तो राज्य सरकार उस कर्तव्य का पालन करने के लिये कोई अवधि लिखित आदेश द्वारा निश्चित कर सकती है।

(2) यदि इस प्रकार निश्चित की गई अवधि के भीतर कर्तव्य का पालन न किया जाये तो राज्य सरकार ऐसे प्राधिकारी को जो विनिर्दिष्ट किया जाये उसे पालन करने का आदेश दे सकती है और अग्रेतर यह भी निदेश दे सकती है कि कर्तव्य पालन के व्यय, यदि कोई हो तो {ग्राम सभा}⁵ निधि से किया जायेगा और तदुपरान्त वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में वह निधि हो, उक्त धनराशि का भुगतान ऐसी निधि से करेगा।¹

96— (1) नियत प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य अधिकारी सूचना प्राप्त होने पर अथवा स्वप्रेरणा से लिखित आदेश द्वारा इस जो विनिर्दिष्ट किया जाये, उसे पालन करने का इस अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के अधीन पारित संकल्प या दिये गये आदेश का किसी {ग्राम सभा}⁵, ग्राम पंचायत⁵, संयुक्त समिति या उसके किसी अधिकारी या सेवक द्वारा निष्पादन किये जाने या उसके अग्रेतर निष्पादन किये जाने का प्रतिषेध कर सकता है, यदि जनता या विधिसम्मत रूप से सेवायोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग या समुह को बाधा, क्षोभ अथवा चोट पहुँचे या पहुँचने की संभावना हो अथवा जिससे मानव जीवन, उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिये संकट उपस्थित हो या होने की संभावना हो, अथवा बलवा या दंगा हो या होने की संभावना हो। वह किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे संकल्प या आदेश के अनुसरण में अथवा उसकी आड़ में कोई कार्य किये जाने अथवा उसे जारी रखने का प्रतिषेध कर सकता है।

कतिपय कार्यवाहियां का प्रतिषेध

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 6, 1952 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 76 की उपधारा (5) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 33, 1961 की अनुसूची 8(2) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1973 की धारा 13 (3) द्वारा अन्तर्विष्ट।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 49 (क) (पांच) द्वारा निरसित।
7. उपर्युक्त की धारा 49 (क) (छः) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उपर्युक्त की धारा 49(क)(सात) द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उपर्युक्त की धारा 49 (ख) (एक) द्वारा निरसित।
10. उपर्युक्त की धारा 49 (ख) (दो) द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 96क-98}

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश दिया जाये तो उसे दिये जाने के कारणों के विवरण सहित उसकी एक प्रतिलिपि नियत प्राधिकारी अथवा उक्त अधिकारी द्वारा तत्क्षण राज्य सरकार को भेजी जायेगी, जो {ग्राम सभा}³, {ग्राम पंचायत}³, संयुक्त समिति अथवा उसके अधिकारी या सेवक से स्पष्टीकरण मांगने और उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् आदेश को विखंडित, परिष्कृत करेगी अथवा उसकी पुष्टि करेगी ।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश दिया जाये और सतत् प्रवृत्त आदेश द्वारा किसी संकल्प या आदेश के निष्पादन या उसके अग्रेतर निष्पादन का निषेध किया जाय तो {ग्राम सभा}³, {ग्राम पंचायत}³, संयुक्त समिति अथवा उसके अधिकारी या सेवक का यदि ऐसा आदेश देने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये, यह कर्तव्य होगा कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे जिसे वह उस दशा में करने का हकदार होता, यदि उक्त संकल्प कभी पारित न किया गया होता या उक्त आदेश कभी दिया न गया होता और जो किसी व्यक्ति को, उक्त संकल्प अथवा आदेश की आड़ में जिसके अग्रेतर निष्पादन का प्रतिषेध है, किसी कार्य को करने या करना जारी रखने से रोकने के लिये आवश्यक हो ।

{96-क-— राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त शक्तियों या उनमें से किसी भी शक्ति को अपने, अधीनस्थ अधिकारी अथवा प्राधिकारी को ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये, जिन्हें आरोपित करना वह उचित समझे, प्रतिनिहित कर सकते हैं।¹

राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रतिनिहित किया जाना

अध्याय 8

शास्तियां तथा प्रक्रिया

97— जो कोई इस {अधिनियम की धारा 12—खगक या धारा 12—खगग के उपबन्धों के सिवाय किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा,⁶ वह जब तक अन्यथा नियत न किया हो, जुर्माने का जो {पांच सौ रुपये}⁴ तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक और ऐसे जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्ध के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान अपराधी अथवा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हुआ हो, {पचास रुपये}⁴ तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

इस अधिनियम के उपबन्धों का अतिलंघन करने के लिये शास्ति

{97-क-— जहां कोई व्यक्ति धारा 12—खगक या धारा 12—खगग के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।⁷

अधिग्रहण संबंधी किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति

98— कोई नियत बनाते समय राज्य सरकार और {नियत प्राधिकारी की स्वीकृति से}² कोई उपविधि बनाते समय {ग्राम पंचायत}³ निदेश दे सकती है कि इसका उल्लंघन जुर्माने से जो {पांच सौ रुपये}⁵ तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक और ऐसे जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्ध के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान अपराधी अथवा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हुआ हो, {पचास रुपये}⁵ तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

नियमों तथा उपविधियों का अतिलघन

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 10, 1950 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 77 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उपर्युक्त की धारा 50 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उपर्युक्त की धारा 51 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 29, 1995 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उपर्युक्त की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया ।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 99-102}

99— (1) जो कोई सार्वजनिक सड़क की किसी पटरी, नाले अथवा अन्य सामग्री अथवा उसके किसी घेरे, दीवाल अथवा खंभे को अथवा बत्ती के खंभे या ब्रेकेट, निदेश स्तम्भ खंभे, हाईड्रेण्ट, अथवा [ग्राम सभा की ऐसी हो, अन्य संपत्ति को ग्राम पंचायत की]⁴ अथवा विधि सम्मत प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना हटायेगा, विस्थापित करेगा अथवा उसमें कोई परिवर्तन करेगा अथवा इस प्रकार से हस्तक्षेप करेगा, वह जुर्माने से जो [एक हजार रुपये]⁵ तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

गांव पंचायत की सम्पत्ति को अन्तःक्षेपित करने के लिए शास्ति

(2) यदि किसी व्यक्ति ने अपने किसी कार्य, अपनी किसी उपेक्षा अथवा चूक के कारण उपधारा (1) द्वारा आरोपित कोई शास्ति उपगत की है और [ग्राम पंचायत]⁶ की संपत्ति को कोई क्षति पहुँचाई है तो ऐसी शास्ति उपगत करने वाला, व्यक्ति ऐसी क्षति को पूरा करने तथा ऐसी शास्ति को भुगतान करने का भागी होगा और अपराधी से उक्त क्षतियां नियत रीति से वसूल की जा सकती है ।

100— यदि इस अधिनियम के अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति को नोटिस दिया गया हो जिसमें उसे किसी जंगम अथवा स्थावर सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति के संबंध में कोई निर्माण कार्य निष्पादित करने अथवा नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी बात की व्यवस्था करने अथवा उससे विरत रहने की अपेक्षा की गयी हो और ऐसा व्यक्ति नोटिस का पालन करने में चूक करे, तब—

जारी किये गये नोटिस की अवज्ञा

(क) [ग्राम पंचायत]³ उक्त निर्माण कार्य को संपादित करा सकती है या ऐसी बात की व्यवस्था करा सकती है, अथवा उसे करा सकती है और इस संबंध में अपने द्वारा किये गये समस्त व्यय को ऐसे व्यक्ति से [भू राजस्व को बकाया के रूप में]¹ नियत रीति से वसूल कर सकती है ;

(ख) ऐसा व्यक्ति [न्याय पंचायत]² के समक्ष दोषसिद्ध ठहराये जाने पर जुर्माने का जो [पाँच सौ रुपये]⁷ तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक और ऐसे जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्ध के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान अपराधी अथवा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हुआ हो, [पचास रुपये]⁷ तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

101— अपने प्रारूप में किसी दोष या लोप के कारण कोई नोटिस अवैध न होगा ।

नोटिस अवैध न होगा

102— (1) यदि इस अधिनियम के अथवा इस अधिनियम के अधीन [ग्राम पंचायत]³ द्वारा दिय गये आदेश अथवा निदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, जब तक अन्यथा नियत न किया हो, ऐसे आदेश अथवा निदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर, जिसमें उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये अपेक्षित समय सम्मिलित नहीं होगा, नियत प्राधिकारी को अपील कर सकता है जो उक्त आदेश या निदेश को परिवर्तित रद्द अथवा पुष्ट कर सकता है और अपील करने वाले व्यक्ति को या उसके विरुद्ध वाद व्यय भी अधिनिर्णित कर सकता है ।

अपील

(2) नियत प्राधिकारी, यदि उचित समझे, तो वह उपधारा (1) में अपील के लिये अनुज्ञात अवधि को बढ़ा सकता है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियत प्राधिकारी का निर्णत अन्तिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी ।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 78 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उपर्युक्त की धारा 78 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उपर्युक्त की धारा 52 (क) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित
5. उपर्युक्त की धारा 52 (क) (दो) द्वारा प्रतिस्थापित
6. उपर्युक्त की धारा 52 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित
7. उपर्युक्त की धारा 53 द्वारा प्रतिस्थापित

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 103-105}

103— यदि धारा 102 में किसी आदेश अथवा निदेश के विरुद्ध कोई अपील की गई हो, तो ऐसे आदेश अथवा निदेश को प्रवृत्त करने के लिये कोई कार्यवाही और उसके उल्लंघन के लिये कोई अभियोजन नियत प्राधिकारी के आदेश से, अपील का निर्णय होने तक, निलम्बित किया जा सकता है और यदि अपील में ऐसा आदेश या निदेश रद्द कर दिया जाये तो उसकी अवज्ञा को अपराध नहीं समझा जायेगा ।

कतिपय मामलों में
अभियोजन का निलम्बन

104— (1) तदर्थ बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुए {ग्राम पंचायत}³ किसी अपराधिक वाद के संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा उपविधि के विरुद्ध किये गये अपराध का शमन {ग्राम पंचायत}³ की ऐसी धनराशि जो नियत की जाये, के नकद भुगतान किये जाने पर कर सकती है ।

अपराध को शमन करने की
शक्ति

(2) जब किसी अपराध का शमन किया गया हो तो अपराधी, यदि वह अभिरक्षा में हो, छोड़ दिया जायेगा और इस प्रकार शमित अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध अग्रेतर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

इस धारा के अधीन शासन के रूप में भुगतान की गयी समस्त धनराशियाँ {गांव निधि}¹ में जमा की दी जायेगी ।

105— {ग्राम पंचायत}³ का {प्रधान}² और यदि {ग्राम पंचायत}³ द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया गया हो, {ग्राम पंचायत}³ का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी अथवा सेवक किसी भवन या भूमि में अथवा पर सहायकों और कर्मकारों के साथ अथवा उसके बिना ऐसे निर्माण कार्य का निरीक्षण या सर्वेक्षण अथवा निष्पादन करने के लिये प्रवेश कर सकता है जिसे करने या निष्पादित करने के लिये {ग्राम पंचायत}³ इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों अथवा उपविधियों द्वारा प्राधिकृत हो अथवा जिसे इस अधिनियम के या नियमों के अथवा उपविधियों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण या उनमें से किन्हीं प्रयोजनों के निमित्त करना या निष्पादित करना {ग्राम पंचायत}³ के लिये आवश्यक हो :

प्रवेश तथा निरीक्षण

प्रतिबंध यह है कि—

(क) सिवाय उस दशा के जबकि इस अधिनियम या नियमों अथवा उपविधियों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित हो ऐसा कोई प्रवेश सूर्यास्त और सूर्यादय के बीच न किया जायेगा ; और

(ख) सिवाय उस दशा के जबकि इस अधिनियम या नियमों अथवा उपविधियों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित हो किसी भवन में जो मनुष्यों के निवास गृह के रूप में प्रयुक्त होता हो, उसके अध्यासी की सहमति के बिना और उक्त अध्यासी को ऐसा प्रवेश करने के अभिप्राय का लिखित रूप में चार घंटे से कम का पहले से नोटिस दिये बिना इस प्रकार नोटिस न किया जायेगा ; और

(ग) प्रत्येक मामले उस दशा में भी पर्याप्त नोटिस दिया जायेगा जब किसी भू गृहादि में नाटिस दिये बिना अन्यथा प्रवेश किया जा सकता हो, जिससे उस कक्ष की, जो स्त्रियों के रहने के लिये प्रयुक्त होता हो, स्त्रियों हटकर भूगृहादि के ऐसे भाग में चली जा सकें, जहां उनकी एकान्तता में कोई बाधा न पहुंचे ; और

(घ) जिस भूगृहादि में प्रवेश किया जायेगा उसके अध्यासियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सम्यक ध्यान रखा जायेगा ।

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 79 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उपर्युक्त की धारा 82 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 106—108}

{106— (1) {ग्राम सभा}⁴ या {गांव {पंचायत}⁴ अथवा भूमि प्रबंधक समिति के विरुद्ध अथवा उसके या न्याय पंचायत के सदस्य या अधिकारी या सेवक}³ गांव के विरुद्ध जो इन निकायों अथवा व्यक्तियों में से किसी के निदेश के अधीन कार्य करता हो, किसी ऐसे कार्य के लिये, जो उसने इस अधिनियम के अधीन अधिकारिक रूप में किया हो या जिसका किया जाना तात्पर्यित हो, कोई सिविल वाद या अन्य कोई विधिक कार्यवाही तब तक न संस्थित की जायेगी जब तक कि {ग्राम सभा}⁴ या {ग्राम पंचायत}⁴ की दशा में लिखित नोटिस, जिसमें वाद कारण, अपेक्षित उपशमी का प्रकार, दावा किये जाने वाले प्रतिकर की धनराशि, यदि कोई हो, और वादी का नाम तथा निवासगृह का पता स्पष्ट रूप से वर्णित होगा, संबंधित {ग्राम पंचायत}⁴ के कार्यालय में परिदत्त दिये जाने या वहां छोड़ दिये जाने और सदस्य अधिकारी या सेवक अथवा ऐसे व्यक्ति की दशा में जो उसके निदेश के अधीन अथवा {ग्राम सभा}⁴, {ग्राम पंचायत}⁴ अथवा न्याय पंचायत के निदेश के अधीन कार्य कर रहा हो, उसे परिदत्त किये जाये अथवा उसके कार्यालय या उसके निवास गृह पर छोड़ दिये जाने के बाद दो मास न व्यतीत हो गये हों, और वाद पत्र में इस आशय का कथन होगा कि ऐसा नोटिस इस प्रकार परिदत्त किया गया है या छोड़ दिया गया है ।}¹

{ग्राम सभाओं}⁴ {ग्राम पंचायत}⁴ उनके अधिकारियों अथवा न्याय पंचायतों के अधिकारियों और सेवकों के विरुद्ध सिविल वाद

(2) कोई ऐसी कार्यवाही, जो उपधारा (1) में वर्णित है,, वादकरण प्रोदभूत होने के पश्चात 6 मास के भीतर ही प्रारम्भ करने के सिवाय अन्यथा प्रारम्भ नहीं की जायेगी ।

107— (1) जूडीशियल आफिसर्स प्रोटेक्शन ऐक्ट, 1850 के उपबंध न्याय पंचायत के सदस्यों पर लागू होंगे ।

{ग्राम पंचायत}⁴ तथा न्याय पंचायत को संरक्षण 1850 का 8

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के अधीन सदभावपूर्वक किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में {ग्राम पंचायत}⁴ या उसके किसी सदस्य या अधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो उसके निदेश के अधीन कार्य कर रहा हो, कोई सिविल वाद अथवा अभियोजन किसी न्यायालय में ग्रहण न किया जायेगा ।

{107—क— इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर {ग्राम सभा}⁴, {ग्राम पंचायत}⁴ अथवा उसकी कोई समिति इस बात के होते हुए भी उसकी सदस्यता में कोई रिक्ति थी अथवा उसके किसी सदस्य का नाम दर्ज करने में कोई त्रुटि या अनियमितता थी, कार्य करने के लिये सशस्त होगी {और किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत}⁵ अथवा उसकी कोई समिति में कोई कार्यवाही इस बात के होते हुये भी वैध होगी किसी सदस्य का नाम दर्ज करने में कोई त्रुटि या अनियमितता थी अथवा व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, मतदान किया अथवा उपस्थित व्यक्तियों में से कम से कम दो तिहाई व्यक्ति सदस्य होने के लिये अनर्ह न रहे हों ।}²

कार्यवाहियों की वैधता

108— पुलिस का प्रत्येक अधिकारी किसी ऐसे अपराध की, जो इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा उपविधि के विरुद्ध किया गया हो और जिसकी उसे जानकारी हो जाये, सूचना तत्काल {ग्राम पंचायत}⁴ का देगा और {ग्राम पंचायत}⁴ और न्याय पंचायत के समस्त सदस्यों तथा सेवकों को उनके विधि सम्मत प्राधिकारी के प्रयोग में सहायता देगा ।

पंचायतों को सहायता देने तथा अपराधों के संबंध में पुलिस की शक्तियां तथा कर्तव्य

1. उ0प्र0अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 81 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उपर्युक्त की धारा 82 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0प्र0अधिनियम सं0 33, 1961 की अनुसूची 8(2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उपर्युक्त की धारा 54 द्वारा प्रतिस्थापित

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 109-110}

109— यदि {न्याय पंचायत की अधिकारिता के संबंध में अथवा}¹ दो या दो से अधिक {ग्राम पंचायतों}⁶ के बीच अथवा {ग्राम पंचायत}⁶ अथवा टाउन एरिया अथवा म्युनिसिपल बोर्ड अथवा जिला परिषद् के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे नियत प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायलय में आपत्ति नहीं की जायेगी ।

{109-क— (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, —

अभिलेखों की अभिरक्षा और उन्हें प्रमाणित करने का ढंग

(क) ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख उसके {प्रधान}⁸ की अभिरक्षा में रहेंगे;

(ख) {प्रधान/}⁹ सचिव, आवेदन करने पर और ऐसी फीस के भुगतान करने पर, जैसी नियत की जाय, किसी व्यक्ति को ऐसे किसी अभिलेख की प्रति देगा और उसे अपने हस्ताक्षर और ग्राम पंचायत की मुहर से सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित करेगा;

{(ग) अभिलेखों के समुचित अनुरक्षण एवं उनमें प्रविष्टियां करने का दायित्व ग्राम पंचायत के सचिव का होगा।}¹⁰

(2) ग्राम पंचायत के किसी अभिलेख की सम्यक रूप से प्रमाणित प्रति को अभिलेख के अस्तित्व के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में उस सीमा तक ग्रहण किया जायगा, जहाँ और जिस सीमा तक अभिलेख, यदि वह प्रस्तुत किया जाता, ऐसे विषयों को प्रमाणित करने के लिए ग्राह्य होता।⁷

अध्याय 9 नियम, उपविधियां तथा निरसन

110— {(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।}⁴

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

(2) विशेषतः तथा पूर्वोक्त शक्ति का व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित व्यवस्था की जा सकती है—

(1) कोई विषय, जिसके लिये व्यवस्था करने की शक्ति इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त अथवा विवक्षित रूप से राज्य सरकार को प्रदत्त की जाये ;

{(2) {ग्राम सभा}⁶ या न्याय पंचायत की स्थापना या {ग्राम पंचायत}⁶ का संघटन;}³

²(2-क) उपप्रधान के लिये अर्हतायें ;

²(2-ख) {ग्राम सभा}⁶ या न्याय पंचायत की स्थापना का सर्किलों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उनके परिसम्मत और दायित्वों का विवरण ;

{(2-ग) धारा 12-ग के अधीन निर्वाचन याचिकाओं और पुनरीक्षण के लिये आवेदन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना और उनका निस्तारण।}⁵

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 83 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उपर्युक्त की धारा 85 (1) (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 15, 1960 की धारा 15 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1973 की धारा 14 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 43 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 33 वर्ष 1999 के अध्याय-दो की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
8. उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 26 वर्ष 2003 की धारा 2 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
9. उपर्युक्त की धारा 2 (2) द्वारा अन्तर्विष्ट ।
10. उपर्युक्त की धारा 2 (3) द्वारा बढ़ाया गया ।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 110}

²(2-घ) प्रधान, उपप्रधान, [ग्राम पंचायतों]⁵ के सदस्यों, पंच, सहायक सरपंच, तथा सरपंच द्वारा शपथ ग्रहण ;

²(2-ङ) प्रधान, उपप्रधान, [ग्राम पंचायतों]⁵ के सदस्यों, पंच, सहायक सरपंच, तथा सरपंच द्वारा पद त्याग पत्र का निवेष्टित किया जाना ;

¹(2-च) सामान्य निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों का आयोजन ;

{(2-छ) न्याय पंचायत के पंचों की नियुक्ति ;}⁵

¹(2-ज) [ग्राम पंचायत]⁴ और न्याय पंचायत के पदाधिकारियों को अवकाश प्रदान करना ;

¹(2-झ) किस कारण से प्रधान और उपप्रधान की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का पालन किया जाना ;

(3) [ग्राम सभाओं]⁴ [ग्राम पंचायत]⁴ और न्याय पंचायत की बैठकों का समय और स्थान और बैठकें बुलाने और उनकी सूचना देने की रीति ;

(4) कार्यवाहियों का संचालन, जिसके अन्तर्गत बैठकों में सदस्यों द्वारा प्रश्नों का पूछा जाना और बैठकों का स्थगित किया जाना और बैठकों की कार्यवृत्ति पुस्तकें भी हैं ;

(5) समितियों का स्थापित किया जाना और ऐसी समितियों में संघटन और प्रक्रिया से संबंधित सभी विषयों का अवधारण ;

(6) पदाधिकारियों का निलम्बन तथा हटाया जाना ;

(7) अभिलेख और रजिस्टर, जो [ग्राम पंचायत]⁴ और न्याय पंचायतों द्वारा रखे जायेंगे तथा प्रपत्र जिसमें वे होंगे ;

{(7-क) [ग्राम सभा]⁴ तथा [ग्राम पंचायत]⁴ के रजिस्ट्रों का नियतकालिक, पुनरीक्षण तथा संशोधन ;}¹

(8) कार्यवाही जो कार्यकारिणी समिति, संयुक्त समिति या किसी अन्य समिति और न्याय पंचायत में कोई रिक्ति होने पर की जायेगी ;

(9) प्राधिकारी जिसके द्वारा कार्यकारिणी समिति, संयुक्त समिति, किसी अन्य समिति अथवा न्याय पंचायत में नियुक्तियों के संबंध में विवादों का निर्णय किया जा सकता है, तथा उसमें पालन की जाने वाली प्रक्रिया ;

(10) [ग्राम पंचायत]⁴ [अथवा न्याय पंचायत]² के ऐसे सेवकों द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि और उसका प्रकार जिससे प्रतिभूति की अपेक्षा करना इष्टकर समझा जाय ;

{(11) [ग्राम पंचायत]⁴ और न्याय पंचायत के सेवकों की नियुक्ति, अर्हतायें, पर्यवेक्षण, पदच्युति, सेवामुक्ति, उन्हें हटाया जाना अथवा दण्ड तथा उनकी सेवा, अवकाश स्थानान्तरण, वेतन तथा विशेषाधिकारों से संबंधित अन्य विषय और अपील करने के उनके अधिकार ;}³

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 2, 1955 की धारा 85 (1) (क) तथा (ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उपर्युक्त की धारा 85 (1) (ग) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उपर्युक्त की धारा 85 (1) (घ) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ०प्र० अधिनियम सं० 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ०प्र० अधिनियम सं० 21 वर्ष 1995 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(12) {ग्राम पंचायत}⁷ {तथा न्याय पंचायत}¹ के सेवकों के लिये भविष्य निधि का प्रबंध और विनियमन, यदि किसी {ग्राम पंचायत}⁷ द्वारा भविष्य निधि की प्रणाली अपनायी जाये ;

(13) प्रारम्भिक विद्यालयों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रबंध तथा उनके भवनों का निर्माण और मरम्मत ;

(14) किसी संयुक्त समिति को सौंपे गये पुस्तकालयों, वाचनालयों, औषधालयों की स्थापना, प्रशासन तथा नियंत्रण और उनसे सम्बद्ध भवनों का निर्माण और मरम्मत तथा {पंचायत क्षेत्र}⁸ के निर्धन निवासियों को औषधि और चिकित्सा संबंधी सहायता का सम्भरण ;

(15) किसी भूमि, भूगृहादि अथवा जल पर उत्पन्न जल वनस्पति {घास, तृणादि अथवा जंगली उपज}² को खोज निकालना, उससे हटाना और नष्ट करना, उसके फैलाव को रोकने के लिये घेरों और अवरोधों का बनाया जाना और ऐसे कार्य को करने में होने वाला व्यय ;

(16) स्वच्छता, सफाई, जल निस्तारण, भवनों, सार्वजनिक सड़कों तथा जल सम्भरण के संबंध में कार्यवाही और लोक न्यूसेन्स का प्रतिशोध ;

{(16-क) धारा 15, 16 तथा 17 में उल्लिखित {ग्राम पंचायत}⁷ के कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन करना ;}³

(17) आय तथा व्यय के वार्षिक अनुमान तैयार करना तथा विषिष्ट प्रयोजनों के लिये निधि {को}⁴ पृथगरक्षित करना ;

(18) {ग्राम पंचायतों}⁷ और न्याय पंचायतों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां तथा प्रपत्र जिनमें वे होगी और प्राधिकारी, जिसको और समय, जब वे प्रस्तुत की जायेगी ;

(19) करों और लाइसेंस फीस का लगया जाना, प्राधिकारी जिसके द्वारा और रीति जिसके अनुसार कर निर्धारित किये जा सकते हैं और प्राधिकारी जिसको कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है ;

{(19-क) {ग्राम पंचायतों}⁷ द्वारा राज्य के देयों तथा अन्य देयों की वसूली और उसके लिए दिया जाने वाला पारिश्रमिक;}⁵

(20) करों तथा अन्य देयों के भुगतान का ढंग और समय, वसूली की प्रक्रिया और प्राधिकारी, जिसकी सहायता करों तथा देयों की वसूली करने में {ग्राम पंचायत}⁷ द्वारा ली जा सकती है ;

(21) {ग्राम पंचायतों}⁷ {और न्याय पंचायतों}⁶ द्वारा लेखा रखने का ढंग ;

(22) सार्वजनिक भवनों और नजूल भूमि का अनुरक्षण ;

(23) किसी सम्पत्ति को अन्तरित करते समय पालन की जाने वाली औपचारिकतायें और वह रीति जिसके अनुसार संविदा विलेख {ग्राम पंचायत}⁷ द्वारा निष्पादित किया जायेगा ;

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85 (1)(ड) द्वारा बढ़ाया गया ।
 2. उपर्युक्त की धारा 85 (1)(च) द्वारा बढ़ाया गया ।
 3. उपर्युक्त की धारा 85 (1)(छ) द्वारा बढ़ाया गया ।
 4. उपर्युक्त की धारा 85 (1)(ज) द्वारा बढ़ाया गया ।
 5. उपर्युक्त की धारा 85 (1)(झ) द्वारा बढ़ाया गया ।
 6. उपर्युक्त की धारा 85 (1)(ञ) द्वारा बढ़ाया गया ।
 7. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
 8. उपर्युक्त की धारा 56 (क) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(24) लेखा परीक्षकों, निरीक्षकों तथा अधीक्षक प्राधिकारियों की जांच करने की, साक्षियों को बुलाने और उनकी परीक्षा करने की, लेख्यों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करने की शक्तियां तथा लेखा परीक्षा, निरीक्षण तथा अधीक्षण से संबंधित अन्य समस्त विषय ;

(25) न्याय पंचायत के समनों, नोटिसों तथा अन्य आदेशिकाओं का जारी किया जाना, उनकी तामील अथवा निष्पादन किया जाना और {ग्राम पंचायतों}³ द्वारा नोटिस का जारी किया जाना तथा उनकी तामील किया जाना ;

{(25-क) साक्षियों की परीक्षा करने के लिए कमीशनों का जारी किया जाना;}¹

{(25-ख) यदि सरपंच आपराधिक वाद ग्रहण करने से इंकार करे तो उनका संस्थित किया जाना;}¹

(26) समनों तथा अन्य आदेशिकाओं का तामील किये जाने या निष्पादित किया जाने के लिये न्याय पंचायतों द्वारा किसी अन्य न्याय पंचायत या न्यायालय को अन्तरित किया जाना ;

(27) सिविल वादों तथा आपराधिक वादों के संस्थित किये जाने, आदेशिकाओं के जारी किये जाने, लेख्यों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने तथा अन्य विषयों के लिये न्याय पंचायतों द्वारा लगायी जाने वाली फीस ;

(28) उस दशा में देय न्यायालय फीस तथा अन्य फीस जब न्याय पंचायत पक्षों की सहमति से ऐसा सिविल वाद ग्रहण करे जो अन्यथा उसकी आधिकारिता के बाहर हो;

(29) न्याय पंचायत द्वारा दी गयी डिक्कियां, दिये गये आदेशों और दण्डादेशों के निष्पादन की प्रक्रिया ;

(30) इस अधिनियम के अधीन न्याय पंचायतों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन किये जाने के लिये {ग्राम पंचायतों}³ द्वारा धनराशि प्रविष्ट किया जाना और वह सीमा जिस तक न्याय पंचायतों को भुगतान की गयी फीसों का {ग्राम पंचायतों}³ द्वारा प्रयोग किया जा सकता है ।

(31) शक्तियां, जिनका प्रयोग जिला परिषद अथवा किसी नियत प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने दायित्वों का निर्वहन करने में किया जासकता है और वह रीति जिससे ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है ।

(32) {ग्राम पंचायतों}³ के लिए {ग्राम पंचायतों}³ द्वारा उपविधियां बनाने में नियत प्राधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया ;

{(33) सामान्यतया इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी विषय के संबंध में प्रपत्रों तथा रजिस्ट्रों का नियत किया जाना और उनका मुद्रण ;}²

(34) नक्शों, डिजायनों, विशिष्ट विवरण तथा अनुमानों का अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना ;

(35) गांव स्वयं सेवक दल के कर्तव्य, शक्तियां और कृत्य ;

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85(1)(ट) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उपर्युक्त की धारा 85 (1) (ठ) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 111}

(36) {ग्राम पंचायतों}⁴, {न्याय पंचायतों}¹ द्वारा वार्षिक रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना और उनका पुनर्विलोकन,

(37) {ग्राम पंचायतों}⁴ के सदस्यों से भिन्न व्यक्ति, जो {ग्राम पंचायतों}⁴ की बैठकों में परामर्शदाता के रूप में उपस्थित हो सकते हों ;

(38) {ग्राम पंचायतों}⁴ और न्याय पंचायत तथा अन्य प्राधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार का माध्यम ;

(39) {ग्राम सभाओं अथवा ग्राम पंचायतों}⁵ अथवा न्याय पंचायतों के समाप्त किये जाने पर उनके परिसम्पत्ति और दायित्वों का निस्तारण ;

(40) किसी {ग्राम पंचायतों}⁴ के सम्पूर्ण स्थानीय क्षेत्र या उसके किसी भाग का किसी {नगर}³, म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया, टाउनएरिया अथवा केन्टोमेंट में सम्मिलित कर लिये जाने पर की जाने वाली कार्यवाही और वह रीति जिससे ऐसी परिस्थितियों में {ग्राम पंचायतों}⁴ के परिसम्पत्ति और दायित्वों का निस्तारण किया जा सकेगा ;

(41) शर्तें, जिनके अधीन गांव पंचायत को देय धनराशियां वसूल न होने योग्य होने के कारण बट्टे खाते में डाली जा सकती है और शर्तें, जिसके अधीन सम्पूर्ण फीस अथवा उसके किसी भाग की छूट दी जा सकती है, और इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने से संबंधित किसी विषय में सामान्यतया {ग्राम पंचायतों}⁴, न्याय पंचायतों, संयुक्त समितियों, अन्य समितियों सरकार के सेवकों तथा अन्य प्राधिकारियों के पथ प्रदर्शन के लिये;

{(42) अनुसचित जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिये {ग्राम पंचायतों}⁴ के सदस्यों का निर्वाचन का विनियमन ;

²(43) सामान्य प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले किसी विषय पर सरकारी सेवकों को {ग्राम पंचायतों}⁴ द्वारा दी जाने वाली सहायता ;

²(44) सहायक सरपंच और उपप्रधान की शक्तियां और कर्तव्य ;

²(45) {ग्राम पंचायतों}⁴ द्वारा धन का ऋण लिया जाना तथा दिया जाना;

²(46) विषय, जो नियत किये जाने हों और नियत किये जाये ; तथा

(47) कोई भी विषय, जिसके संबंध में धारा 111 में किसी {ग्राम पंचायतों}⁴ के लिये उपविधि बनाने की शक्ति नियत प्राधिकारी को प्रदान की गयी हो ।}²

(3) {***}⁶

111— नियत प्राधिकारी गांव पंचायत की अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा की अभिवृद्धि और अनुरक्षण के प्रयोजन के लिये तथा इस अधिनियम के अधीन {ग्राम पंचायतों}⁴ के प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिये अपनी अधिकारिता के भीतर {ग्राम पंचायतों}⁴ के इस अधिनियम से और इसके अधीन बनाये गये नियमों से संगत उपविधियां बना सकता है और राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा किये जाने पर अवश्य बनायेगा ।

उपविधियां बनाने की
जिला परिषदों की शक्ति

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 85 (1) (ड) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उपर्युक्त की धारा 85 (1) (त) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 73 (ख) द्वारा अन्तर्विष्ट ।
4. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उपर्युक्त की धारा 56 (क) (दो) द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उपर्युक्त की धारा 56 (ख) द्वारा निरसित ।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 112-113}

112— (1) इस अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाये गये सभी नियमों के और नियत प्राधिकारी द्वारा बनायी गयी उपविधियों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुये, {ग्राम पंचायत}³ निम्नलिखित के लिये उपविधियां बना सकती है—

उपविधियां बनाने की {ग्राम पंचायतों}³ की शक्ति

(क) पीने के प्रयोजन के लिये किसी ऐसे स्रोत से जल के हटाने अथवा उसके प्रयोग का प्रतिषेध करना जिससे स्वास्थ्य के लिये संकट उत्पन्न होने की संभावना हो और किसी ऐसे कार्य करने का प्रतिषेध करना जिससे पीन के जल के स्रोत के दूषित होने की संभावना हो ;

(ख) किसी नाली अथवा भूगृहादि से किसी सार्वजनिक सड़क पर अथवा नदी, पोखर, तालाब कुएं में अथवा किसी अन्य स्थान पर जल के निस्तारण का प्रतिषेध अथवा उसे विनियमित करना ;

(ग) सार्वजनिक सड़क तथा {ग्राम पंचायतों}³ की संपत्ति को क्षति से बचना ;

(घ) {ग्राम पंचायतों}³ के क्षेत्र में स्वच्छता, सफाई तथा जल निस्तारण को विनियमित करना ;

(ङ) दुकानदारों अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक सड़कों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अथवा सार्वजनिक सड़कों पर तहबाजारी के संग्रहण का प्रतिषेध करना या उसे विनियमित करना ;

(च) उस रीति को विनियमित करना, जिससे तालाब, पोखर, नलकूप, चरागाह, खेल के मैदान, खाद के गड्ढे, मृतक शरीर के निस्तारण के लिये भूमि तथा नहाने के स्थान अनुरक्षित तथा प्रयुक्त किये जायें ;

{छ} {ग्राम पंचायतों}³ के किसी ऐसे अन्य कर्तव्यों अथवा कृत्यों का विनियमित करना जैसा कि नियत प्राधिकारी द्वारा निदेश दिया जाये।¹

(2) {ग्राम पंचायतों}³ द्वारा बनाई गई उपविधियों का प्रारूप नियत रीति से प्रकाशित किया जायेगा। उसके संबंध में प्राप्त किन्हीं आपत्तियों पर {ग्राम पंचायतों}³ की बैठक में विचार किया जायेगा और तब उपविधियां प्राप्त, आपत्तियों, यदि कोई हो, और उन पर किये गये निर्णयों सहित नियम रीति से प्रकाशित किये जाने के बाद प्रवृत्त होंगे।²

{प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार इस प्रकार स्वीकृत किन्हीं उपविधियों को किसी भी समय विखंडित कर सकती है।}²

113— (1) {***}⁵

निरसन और संक्रमण—
कालीन उपबन्ध

{(2) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, किसी नियम, विनियम, उपविधि, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में, {ग्राम सभा}³ या {ग्राम पंचायतों}³ के प्रति किसी निर्देश को 'ग्राम पंचायत' के प्रति निर्देश समझा जायेगा।}⁴

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 86(1) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उपर्युक्त की धारा 86 (2) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 58 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 21 वर्ष 1995 की धारा 12 द्वारा निरसित।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 114-117}

{114— [(1)]² यदि इस अधिनियम के अधीन संघटित किसी निकाय में किसी सदस्य अथवा पदाधिकारी की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग करने, हटाये जाने अथवा निर्वाचन का परिवर्जन करने के कारण कोई रिक्ति हो जाये और ऐसे सदस्य अथवा पदाधिकारी का कार्यकाल सामान्य घटनाक्रम में ऐसी रिक्ति होने के छः मास के भीतर समाप्त हो जाता हो तो नियत प्राधिकारी निदेश दे सकता है कि रिक्ति को इस अधिनियम के अधीन आगामी सामान्य निर्वाचन होने तक बिना भरे रखा जायेगा ।}

कतिपय दशाओं में
आकस्मिक रिक्तियों को
बिना भरे रखा जाना

{(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दिये गये निदेश के कारण प्रधान तथा उपप्रधान दोनों के पक्षों की रिक्तियों बिना भरे रह जाये तो प्रधान के निर्वाचित होने तक प्रधान के कृत्यों के निर्वहन के लिये नियत प्राधिकारी, आदेश द्वारा, ऐसा प्रबंध कर सकता है जो वह ठीक समझे ।}

⁴{115— (1) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से —

कुछ दशाओं में सम्पत्ति,
आस्तियों, अधिकारों,
दायित्वों तथा आभारों का
उत्तराधिकार

(क) समस्त सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित और आस्तियां, जिनके अन्तर्गत रोकड़ बाकी भी है, जहां कहीं भी वे स्थित हों, जो उक्त दिनांक के ठीक पहले [ग्राम सभा]³ में निहित थी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, ग्राम पंचायत में निहित हो जायेंगी और इसके अधिकार में रहेंगे; तथा

(ख) पूर्वोक्त [ग्राम सभा]³ के ऐसे समस्त अधिकार, दायित्व और आभार चाहे वे किसी संविदा से उत्पन्न हुए हों या अन्यथा, जो उक्त दिनांक से ठीक पहले विद्यमान हो, यथास्थिति, उस ग्राम पंचायत के अधिकार, दायित्व और आधार हो जायेंगे।

(2) यदि कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो कि कोई सम्पत्ति, हित या आस्ति उपधारा (1) के अधीन ग्राम पंचायत में निहित हो गई है या नहीं अथवा कोई अधिकार, दायित्व या आधार ग्राम पंचायत का अधिकार, दायित्व या आधार हो गया है या नहीं तो ऐसा संदेह या विवाद, राज्य सरकार को नियत रीति से निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्णय, जब तक कि वह किसी विधि न्यायालय के किसी निर्णय से अवकान्त न हो जाए, अन्तिम होगा।

116— किसी गांव सभा को देय समस्त धनराशियां, चाहे वे किसी कर के मद में देय हो या किसी अन्य खाते में, ग्राम पंचायत द्वारा वसूल की जायेगी और ग्राम पंचायत ऐसी वसूली के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा कार्य करने के लिए सक्षम होगी या कोई ऐसी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगी, जिसे उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रवृत्त न होने की दशा में उक्त [ग्राम सभा]³ करने या प्रारम्भ करने की अधिकारी होती।

देय धनराशियां

117— (1) किसी [ग्राम सभा]³ द्वारा या उसकी ओर से धारा 115 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दिनांक के पूर्व उपगत सभी ऋणों और आभारों और की गई सभा संविदाओं के सम्बन्ध में, जो उक्त दिनांक को विद्यमान हों, यह समझा जायगा कि वे इस अधिनियम द्वारा उसे प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके, ग्राम पंचायत द्वारा हुए अथवा किए गए हैं और तदनुसार वे प्रवर्तन में बने रहेंगे।

ऋण, आभार, संविदाएं तथा
विचाराधीन कार्यवाहियां

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 87 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 6 वर्ष 1969 की धारा 9 द्वारा पुनर्संख्यांकित तथा अन्तर्विष्ट।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 59 द्वारा बढ़ाया गया।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{धारा 118-119}

(2) उक्त {ग्राम सभा}¹ के किसी प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन ऐसी समस्त कार्यवाहियों, जिनका इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ग्राम पंचायत के समक्ष प्रारम्भ किया जाना अथवा उसके द्वारा सम्पन्न किया जाना अपेक्षित हो, ग्राम पंचायत को संक्रमित कर दी जायेगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेगी और ऐसी अन्य समस्त कार्यवाहियाँ भी, यथासम्भव, उस प्राधिकारी को संक्रमित कर दी जायेगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेगी, जिसके समक्ष अथवा जिसके द्वारा वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रारम्भ या सम्पन्न की जाती।

(3) उक्त {ग्राम सभा}¹ के प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन समस्त अपीलें, यथाव्यवहार्य, इस प्रकार निस्तारित की जायेंगी मानों उसके प्रारम्भ किये जाने के समय ग्राम पंचायत विद्यमान थी।

(4) उक्त {ग्राम सभा}¹ द्वारा या उसकी ओर से चलाये गये अभियोजन और उक्त गांव सभा द्वारा या उसके विरुद्ध या उक्त {ग्राम सभा}¹ के किसी अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध चलाये गये सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियाँ, जो उक्त दिनांक को विचाराधीन हो, यथास्थिति, ग्राम पंचायत या अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध उसी प्रकार जारी रहेगी मानों ऐसे अभियोजन, वाद या कारवाही चलाये जाने के समय ग्राम पंचायत संघटित की जा चुकी हो।

118— इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, [उक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के अधीन प्रथम बार]³ ग्राम पंचायतों के संगठन तक की अवधि के दौरान गांव पंचायत और उसके प्रधान, उपप्रधान और सदस्य कमशः ग्राम पंचायत और उसके प्रधान, उपप्रधान और सदस्यों के अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और ग्राम पंचायत के प्रधान, उपप्रधान और सदस्य समझे जायेंगे।

ग्राम पंचायतों के संगठन तक के लिए व्यवस्था

119— (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावी बनाने में कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो, अधिसूचित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो, प्रभावी होगा, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझें।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा बनाए गए उपबन्ध प्रभाव होंगे, मानो इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हैं और ऐसा कोई आदेश किसी भूतलक्षी दिनांक से, किन्तु जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व का दिनांक नहीं होगा, दिया जा सकता है।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।²

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 वर्ष 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 59 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 21 वर्ष 1995 की धारा 13 द्वारा बढ़ाया गया।

{संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947}

{अनुसूची}

अनुसूची

[धारा 68 देखिये]

सिविल वादों का विवरण	परिसीमा अवधि	वह समय जब से अवधि प्रारम्भ होती है
1— किसी संविदा पर देय धनराशि के लिये	3 वर्ष	जब धनराशि वादी को देय हो जाये।
2— जंगम सम्पत्ति या उसके मूल्य की वसूली के लिये	3 वर्ष	जब वादी जंगम सम्पत्ति के परिदान का हकदार हो गया हो ।
3— किसी जंगम सम्पत्ति को दोषपूर्ण रूप से लेने या हानि पहुंचाने के निमित्त प्रतिकर के लिये	3 वर्ष	जब जंगम सम्पत्ति को दोषपूर्ण रूप से ली गयी थी या जब उसे हानि पहुँचायी गयी थी ।
4— पशुओं के अनधिकृत प्रवेश द्वारा पहुँची क्षति के लिये	6 मास	जब पशुओं के अनधिकृत प्रवेश द्वारा क्षति पहुँची थी।

THE UNITED PROVINCES PANCHAYAT RAJ ACT, 1947¹
[U. P. ACT No. XXVI OF 1947]

Amended by

U. P. Act No. X of 1950

U. P. Act No. VI of 1952

U. P. Act No. XVIII of 1952

U. P. Act No. VI of 1954

U. P. Act No. II of 1955

U. P. Act No. 19 of 1957

U. P. Act No. 15 of 1960

U. P. Act No.3 of 1961

U. P. Act No. 33 of 1961

U. P. Act No.9 of 1962

U. P. Act No. 20 of 1963

U. P. Act No. 10 of 1965

U. P. Act No. 20 of 1966

U. P. Act No. 14 of 1968

U. P. Act No.6 of 1969

U. P. Act No. 19 of 1970

U. P. Act No. 18 of 1971

U. P. Act No. 31 of 1972

U. P. Act' No.3 of 1973

U. P., Act No. 37 of 1978

[Passed by the United Provinces Legislative Assembly On June 5, 1947, and by the United Provinces Legislative Council on September 16, 1947.]

Received the assent of the Governor General of the Dominion of India on December 7; 1947, under section 76 of the Government of India Act, 1935, and was published in the United Provinces Government Gazette, dated December 27, 1947.]

AN

ACT

to establish and develop local self-government on the rural areas of the United Provinces.

Whereas it is expedient to establish and develop local self government in the rural area, of the United Provinces and to make better provision for village administration and development;

It is hereby enacted as follows:

¹ For statement of objects and reasons see Gazette, Extraordinary, dated August 8, 1946.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 1-2]

CHAPTER I PRELIMINARY

Short title,
extent and
commencement

- 1- (1) This Act may be called the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947.
- (2) It shall extend to the whole of the United Provinces except the area, which has been, or may hereafter be, declared as, or included in 8[a city under the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, or]⁵ a municipality [or]¹ notified area under the provisions of the United Provinces Municipalities Act, 1916, or as a cantonment under the provisions of the Cantonments Act, 1924, or as a town area under the United Provinces Town Areas Act, 1914.

[* * *]⁶

- (3) It shall come into force at once.

Definitions

- 2- In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-
- (a) "Nyaya Panchayat" means a Nyaya Panchayat established under section 42 and includes bench thereof;
- (b) "adult" means a person who has [attained the age of twenty-one years]² ;
- [(bb) "backward classes" means the backward classes of citizens specified in Schedule-I of the Uttar Pradesh public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994;]⁹
- (c) ["Criminal Case"]³ means a criminal proceeding in respect of an offence triable by a Nyaya Panchayat; [and includes a proceeding under section 53]⁷;
- (d) "circle" means the area within which a Nyaya Panchayat exercises jurisdiction under section 42 ;
- [(e) "Collector" or "District Magistrate" or "Sub-Divisional Magistrate", with reference to a [Gram Sabha]⁸, means the Collector, District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate of the district or the sub-division, as the case may be, in which such [Gram Sabha]⁸ is constituted. and shall respectively include Additional Collector, Additional District Magistrate and Additional Sub-Divisional Magistrate;]⁴
- [(f) "Zila Panchayat" shall have the meaning assigned to it under clause (ii) of section 2 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961;

1. Subs. by sub-section (2) of section 2 of U. P. Act no. II of 1955.

2. Subs. by section 3 (1) *ibid*.

3. Subs. by section 3 (2) *ibid*.

4. Added and be deemed always to have been added by sub-section (2) (i) of U. P. Act no. XIX of 1957.

5. Ins. by section 2 (a) of U. P. Act no. 37 of 1978.

6. Del. by section 2(b) *ibid*.

7. Ins. by section 3(a) *ibid*.

8. Substituted by section 2 of U.P. Act No. 9, 1994.

9. Added by section 3(a) *ibid*.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 2]

<p>UP Act III of 1901 UP Act I of 1951 UP Act XIV of 1980</p>	<p>(g) "Gram Sabha " means a body established under section 3, consisting of persons registered in the electoral rolls relating to a village comprised within the area of a Gram Panchayat;</p> <p>(h) "Gram Panchayat" means the Gram Panchayat "constituted" under section 12 ;]⁶</p> <p>[(hh) "Finance Commission" means the Finance Commission constituted under Article 243-I of the Constitution;</p> <p>(hhh) "Kshettra Panchayat" shall have the meaning assigned to it under clause (6) of section 2 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961;]⁷</p> <p>[(i) "Electoral Registration Officer" means an officer so nominated or designated under sub-section (1) of section 9;]³;</p> <p>(j) [* * *]¹</p> <p>[(k) "Munsif " and "Judicial Magistrate", with reference to a Nyaya Panchayat, mean the Munsif or the Magistrate, as the case may be, having local jurisdiction in respect of civil or criminal case respectively, in the circle of such Nyaya Panchayat;]⁴</p> <p>[(kk) "State Election Commission" means the State Election Commission referred to in Article 243-K of the Constitution;</p> <p>[(kkk) 'Mukhya Nirvachan Adhikari (Panchayat)' means an officer of the State Government appointed, designated or nominated as such by the State Election Commission in consultation with the State Government;]¹⁰</p> <p>(l) "population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;</p> <p>(ll) "Panchayta area" means the territorial area of a Gram Panchayat declared as such under sub-section (1) of section 11-F;]⁸</p> <p>(m) [* * *]⁵</p> <p>[(mm) "Public property" and "public land" means any public building, park or garden or other place to which for the time being the public have or are permitted to have access whether on payment or otherwise;]²</p> <p>(n) "public servant" means a public servant as defined in section 21 of the Indian Penal Code, 1860 ;</p>
--	---

1. Del. by section 3(3) of U. P. Act no. II of 1955.

2. Added by sub-section (5) of section 3 *ibid*.

3. Subs. by section 3(b) of U. P. Act no. 37 of 1978.

4. Subs. by section 3(c) *ibid*.

5. Del. by section 3 (d) *ibid*.

6. Substituted by section 2 (b) of U.P. Act No. 9, 1994.

7. Added by section 3(c) *ibid*.

8. Subs. by section 3 (d) *ibid*.

9. Subs. by section 2 of U. P. Act No. 29 of 1995.

10. Added by section 2 of U. P. Act No. 21 of 1995.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 2]

(o) "public street" means any road, street, bridge, lane, square, court, alley or passage which the public has a right to pass along, and includes on either side the drains or gutters and the land up to the defined boundary of any abutting property notwithstanding any projection over such land of any verandah or other superstructure [but does not include any such road, street, bridge, lane, square, court, alley or passage owned, maintained or repaired by the State Government or the Central Government or any other local authority;]¹

(p) "prescribed" means prescribed by this Act or rules made thereunder ;

[(q) "Prescribed authority" means : -

(i) for the purposes of the provisions of this Act mentioned in Schedule III of the [Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961]¹⁰, the [Zila Panchayat]⁹ or the [Kshettra Panchayat]⁹, as may be specified in column 3 of that Schedule, and

(ii) in respect of any other provisions of this Act the authority notified as such by the State Government whether generally or for any particular purpose.]⁷

(r) [* * *]²

(s) ["Civil case"]³ means a civil triable by a Nyaya Panchayat ;

[(ss) "Sub Divisional Officer"; includes an Additional Sub-divisional Officer designated or appointed as such by the appropriate authority;]⁶

(t) "village" means any local area, recorded as a village in the revenue records of the district in which it is situate [and includes any area which the State Government may by general or special order, declare to be a village for the purposes of this Act]⁴;

(u) [* * *]⁵

(v) [* * *]⁵

(w) [* * *]⁶

[(x) "Bhumi Prabandhak Samiti" means a Bhumi Prabandhak Samiti established or deemed to be established under section 28-A.]⁸

1. Added by sub-section (6) of section 3 of U. P. Act no. II of 1955.

2. Del. by sub-section (7) of section 3 *ibid*.

3. Subs. by sub-section (8) of section 3 *ibid*.

4. Added by sub-section (9) of section 3 *ibid*.

5. Del. by sub-section (10) of section 3 *ibid*.

6. Added by section 2 (2) of U. P. Act No. 19 of 1957.

7. Subs. by Schedule VIII of U. P. Act no. 33 of 1961.

8. Subs. by Schedule 8 (ii) *ibid*.

9. Substituted by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.

10. Subs. by section 3 (e) *ibid*.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 3-5A]

CHAPTER II

ESTABLISHMENT AND CONSTITUTION OF [GRAM SABHAS]¹

- [Gram Sabhas] 3- The State Government shall by notification in the *official Gazette*, establish a Gram Sabha for a village or group of villages by such name as may be specified :
- Provided that where a Gram Sabha is established for a group of villages, the name of the village having the largest population shall be specified as the name of the Gram Sabha.]²
- 4- [***]³
- 5- [***]³

[CHAPTER II-A

Disqualifications of members of Gram Panchayat and electoral rolls etc.]⁴

- Disqualifica- [5- A person shall be disqualified for being chosen as and for being, a member of a Gram
tion for membership A Panchayat, if he --
- (a) is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of elections to the State Legislature :
- Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than twenty-five years of age, if he has attained the age of twenty-one years;
- (b) is a salaried servant of the Gram Panchayat or a Nyaya Panchayat;
- (c) holds any office of profit under a State Government or the Central Government or [local authority, other than a Gram Panchayat or Nyaya Panchayat”, the words “local authority, other than a Gram Panchayat or Nyaya Panchayat or a Board, Body or Corporation owned or Controlled by a state Government or the Central Government”]⁵
- (d) has been dismissed from the service of a State Government, the Central Government or a local authority or a Nyaya Panchayat for misconduct;
- (e) is in arrears of any tax, fee, rate or any other dues payable by him to the Gram Panchayat, Kshettra Panchayat or Zila Panchayat for such period as may be prescribed, or has, in spite of being required to do so by the Gram Panchayat, Nyaya Panchayat, Kshettra Panchayat or Zila Panchayat failed to deliver to it any record or property belonging to it which had come into his possession by virtue of his holding any office under it;
- (f) is an undischarged insolvent;
- (g) has been convicted of an offence involving moral turpitude;
- (h) has been sentenced to imprisonment for a term exceeding three months or to transportation for contravention of any order made under the Essential Commodities Act, 1955;

1. Substituted by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.
2. Subs. by section 4 *ibid*.
3. Deleted by section 5 *ibid*.
4. Chapter II-A added by section 6 *ibid*.
5. Subs. by section 2 of U.P. Act No. 21 of 1998.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 5B-6A]

(i) has been sentenced to imprisonment for a term exceeding six months or to transportation for contravention of any order made under the Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946, or the U.P. Control of Supplies (Temporary powers) Act, 1947;

(j) has been sentenced to imprisonment for a term exceeding three months under the U.P. Excise Act, 1910;

(k) has been convicted of an offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985;

(l) has been convicted of an election offence;

(m) has been convicted of an election offence under the U. P, Removal of Social Disabilities Act, 1947 or the Protection of Civil Rights Act, 1955; or

(n) has been removed from office under sub-clause (iii) or (iv) of clause (g) of sub-section (1) of section 95 unless such period, as has been provided in that behalf in the said section or such lesser period as the State Government may have ordered in a particular case has elapsed :

Provided that the period of disqualification under clauses (d), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) or (m) shall be five years from such date as may be prescribed:

Provided further that the disqualification under clause (e) shall cease upon payment of arrears or delivery of the record or property, as the case may be:

Provided also that a disqualification under any of the clauses referred to in the first proviso may, in the manner prescribed be removed by the State Government.]⁵

5-

[***]⁶

B

Cessation of membership

6-

(1) A [member of Gram Panchayat]⁷ shall cease to be such member if the entry relating to that member is deleted from the electoral [roll for a territorial constituency of Gram Panchayat]⁸.]⁴

[(2) Where any person ceases to be a member of a [Gram Panchayat]⁹ under sub-section (1) he shall also cease to hold any office to which he may have been elected, nominated or appointed by reasons of his being a member thereof.]¹

[Decision on question as to disqualification

6-

A

If any question arises as to whether [a person has become subject to any disqualification mentioned in [sections 5-A]³ or in sub-section (1) of section 6, the question shall be referred to the prescribed authority for the decision and his decision shall, subject to the result of any appeal as may be prescribed, be final.]²

-
1. Substituted by section 7 of U. P. Act no. II of 1955.
 2. Subs. by section 8 *ibid*.
 3. Added by section 3 (2) of U. P. Act no. 19 of 1957.
 4. Subs. by section 3 of U.P. Act No. 38 of 1968.
 5. Subs. by section 7 of U. P. Act no. 9 of 1994.
 6. Omitted by section 8 *ibid*.
 7. Subs. by section 9 (a) (i) *ibid*.
 8. Subs. by section 9 (a) (ii) *ibid*.
 9. Subs. by section 9 (b) *ibid*.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 7-8]

7- [* * *]¹

[7- A (a) Where a [Gram Panchayat]⁴ existing on July 3, 1989, the number of woman members, whether elected or co-opted, is less than thirty per cent of the total number of members prescribed for the [Gram Panchayat]⁴ the members of the [Gram Sabha]⁴ shall, in a supplementary elections, to be held as soon as may be after such date elect from amongst its women members, such number of woman members as falls short of thirty per cent of the total number of members prescribed for the [Gram Panchayat]⁴ and thereupon the constitution of the [Gram Panchayat]⁴ shall stand altered to that extent :

Provided that in such supplementary election seats shall be reserved for the Scheduled Castes women in such number as shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled in supplementary election as the population of the Scheduled Castes in the area of the [Gram Sabha]⁴ bears to the total population of such area :

Provided further that where in any [Gram Panchayat]⁴ there is no Scheduled Caste woman member, whether elected or co-opted, the reservation under the preceeding proviso shall be made so however that atleast one seat is reserved for a Scheduled Caste woman;

(b) For the purpose of calculating the number of women members at thirty percent of the total number of members prescribed for the [Gram Panchayat]⁴ , any fraction being one-half or less shall be ignored and any fraction exceeding one-half shall be counted as one;

(c) The electoral roll for the Assembly constituency prepared under the Representation of the Peoples Act, 1950 as in force on the last date for making nominations for the supplementary elections, so far as it relates to the area of a [Gram Sabha]⁴ shall be deemed to be the electoral roll for that [Gram Sabha]⁴ and the provisions of sections 9-A, 12-A, 12-BB, 12-BC, 12-BD, 12-C and 12-I shall *mutatis mutandis* apply to such supplementary election as they apply to general election of the members of [Gram Panchayat]⁴ ;

(d) If in holding a supplementary election under this sub-section any difficulty arises regarding the interpretation of any provision of this Act or any rule made thereunder or any matter not provided in this Act or rules made thereunder, the State Government may for removal of the difficulty pass such order not inconsistent with the provisions of this Act, as it thinks fit.]³

Effect of change
in population or
inclusion of the
area of a [Gram
Sabha]³ in
municipalities
etc.

8- If the whole of the area, of a Gaon Sabha is included in a [city, municipality]², cantonment, notified area or town area, the [Gram Sabha]⁴ shall cease and its assets and liabilities shall be disposed of in the manner prescribed. If a part of such area is so included, its jurisdiction shall be reduced by that part.

1. Deleted by section 9 of U. P. Act no. 2 of 1955.
2. Subs. by section 5 of U. P. Act no. 37 of 1978.
3. Chapter-III added by section 3 of U.P. Act No. 27 of 1989.
4. Subs. by section 10 of U. P. Act no. 9 of 1994.

¹[Electoral roll for each territorial constituency

9- (1) For each territorial constituency of a Gram Panchayat, an electoral roll shall be prepared, in accordance with the provisions of this Act, [and the rules made thereunder]² under the superintendence, direction and control of the State Election Commissions.

[(1-A) Subject to the superintendence, direction and control of the State Election Commission, the Mukhya Nirvachan Adhikari (Panchayat) shall supervise and perform all functions relating to the preparation, revision and correction of the electoral rolls in the State in accordance with this Act and the rules made thereunder.

(1-B) The preparation, revision and correction of the electoral rolls shall be done by such persons and in such manner, as may be prescribed.]³

(2) The electoral roll referred to in sub-section (1) shall be published in the prescribed manner and upon its publication it shall, subject to any alteration, addition or modification made [in accordance with this Act and the Rules made thereunder]⁷ be the electoral roll for that territorial constituency prepared in accordance with the provisions of this Act.

(3) Subject to the provisions of sub-sections (4), (5), (6), and (7) every person who has attained the age of 18 years on the first day of January of the year in which the electoral roll is prepared or revised, and who is ordinarily resident in the territorial constituency of a Gram Panchayat shall be entitled to be registered in the electoral roll for the territorial constituency.

Explanation:--

(i) A person shall not be deemed to be ordinarily resident in the territorial constituency on the ground only that he owns or is in possession of, a dwelling house therein.

(ii) A person absenting himself temporarily from his place of ordinary residence shall not by reason thereof cease to be ordinarily resident therein.

(iii) A member of Parliament or of the Legislature of the State shall not during the term of his office cease to be ordinarily resident in the territorial constituency merely by reason of his absence from that area in connection with his duties, as such member.

(iv) Any other factors that may be prescribed shall be taken into consideration for deciding as to what persons may or may not be deemed to be ordinarily residents of a particular area at any relevant time.

(v) If in any case a question arises as to where a person is ordinarily resident at any relevant time, the question shall be determined with reference to all the facts of the case.

1- Substituted and section 9-A added by section 11 of U. P. Act no. 9 of 1994.
2- Subs. by section 4 (a) of U.P. Act No. 21 of 1995.
3- Added by section 4 (b) *ibid*.
4- Subs. by section 4 (c) *ibid*.

(4) A person shall be disqualified for registration in an electoral roll, if he-

(i) is not a, citizen of India; or

(ii) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(iii) is for the time being disqualified from voting under the provisions of any law relating to corrupt practices and other offences in connection with elections.

(5) The name of any person who becomes disqualified under sub- section (4) after registration shall forthwith be struck off the electoral roll in which it is included :

Provided that the name of any person struck off the electoral roll by reason of any such disqualification shall forthwith be reinstated in that roll, if such disqualification is, during the period such roll is in force, removed under any law authorizing such removal.

(6) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one Gaon Sabha or more than once in the electoral roll for the same Gaon Sabha.

(7) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any territorial constituency , if his name is entered in any electoral roll pertaining to any city, municipality or cantonment unless he shows that his name has been struck off such electoral roll.

(8) Where the State Election Commission is satisfied after making such inquiry as it may deem fit, whether on an application made to it or on its own motion, that any entry in the electoral roll should be corrected or deleted or that the name of any person entitled to be registered should be added in the electoral roll, it shall subject to the provisions of this Act and rules and orders made thereunder correct , delete or add the entry as the case may be:

Provided that no such correction, deletion or addition shall be made after the last date for making nominations for an election in the Gram Panchayat and before the completion of that election:

Provided further that no deletion or correction of any entry in respect of any person affecting his interest adversely shall be made without giving him reasonable opportunity of being heard in respect of the action proposed to be taken in relation to him.

(9) The State Election Commission may, if it thinks it necessary so to do for the purposes of a general or by-election, direct a special revision of the electoral roll for any territorial constituency of a Gram Panchayat in such manner as it may think fit:

Provided that subject to the other provisions of this Act, the electoral roll for the territorial constituency, as in force at the time of issue of any such direction, shall continue to be in force until the completion of the special revision so directed.

(10) [In so far as provision is not made by this Act or the rules, the State Election Commission]¹ may, by order, make provisions in respect of the following matters concerning the electoral roll, namely: --

(a) the date on which the electoral roll prepared under this Act shall come into force and its period of operation ;

(b) the correction of any existing entry in the electoral roll on the application of the elector concerned;

(c) the correction of clerical or printing errors in electoral rolls;

(d) the inclusion in the electoral roll of the name of any person --

(i) whose name is included in the Assembly electoral roll for the area relatable to the territorial constituency but is not included in the electoral roll for that territorial constituency or whose name has been wrongly included in the electoral roll for some other territorial constituency; or

(ii) whose name is not so included in the Assembly electoral roll but who is otherwise qualified to be registered in the electoral roll for the territorial constituency;

(e) the custody and preservation of the electoral rolls ;

(f) fees payable on applications for inclusion or exclusion of names;

(g) generally all matters relating to the preparation and publication of the electoral rolls.

(11) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the State Election Commission may, for the purposes of preparation of the electoral roll for a territorial constituency adopt the electoral roll for the Assembly constituency prepared under the Representation of the People Act, 1950 for the time being in force so far as it relates to the area of that territorial constituency:

Provided that the electoral roll for such territorial constituency shall not include any amendment, alteration or correction made after the last date for making nomination of such election.

(12) No civil court shall have jurisdiction --

(a) to entertain or adjudicate upon the question whether any person is or is not entitled to be registered in an electoral roll for a territorial constituency; or

(b) to question the legality of any action taken by or under the authority of the State Election Commission [or of any decision given by any authority or officer appointed in this behalf]² in respect of preparation and publication of electoral rolls.

1. Subs. by section 4 (d) of U.P. Act No. 21 of 1995.

2. Added by section 4 (e) ibid

Right to vote etc. 9-A Except as otherwise provided by or under this Act, every person whose name is for the time being included in the electoral roll for a territorial constituency [of a gram panchayat]⁶ shall be entitled to vote at any election and be eligible for election, nomination or appointment to any office in [that Gram Panchayat or the concerned Nyaya Panchayat]⁷ :

Provided that a person who has not completed the age of twenty-one years shall not be qualified to be elected as a member or office bearer of the Gram Panchayat.]³

Removal of difficulty in the establishment of [Gram Sabha]² and in the working of a [Gram Panchayat]² 10 - If, in establishing a [Gram Sabha]² or in the working of a [Gram Panchayat]² any dispute or difficulty arises regarding the interpretation of any provision of this Act or any rule made thereunder or any matter arising out of or relating to such interpretation or any matter not provided in this Act, the same shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final and conclusive.

CHAPTER III

THE [GRAM SABHA]² : ITS MEETINGS AND FUNCTIONS

[Meetings and functions of Gram Sabha]⁴ 11 - [(1) Every [Gram Sabha]² shall hold two general meetings in each year, one soon after harvesting of the kharif crop (hereinafter called the kharif meeting) and the other soon after harvesting of the rabi crop (hereinafter called the rabi meeting) [which shall be presided over by the Pradhan of the concerned Gram Panchayat]⁵:

Provided that the Pradhan at any time may, or upon a requisition in writing by the prescribed authority or by not less than one-fifth of the number of the members shall, within thirty days from the receipt of such requisition, call an extraordinary general meeting. The time and place of all the meetings of the [Gram Sabha]² shall be published in the prescribed manner :

Provided further that where the Pradhan fails to call a meeting as aforesaid the prescribed authority may do so within a period to be prescribed.

(2) For any meeting of the [Gram Sabha]² one-fifth of the number of members shall form the quorum; provided that no quorum shall be necessary for a meeting adjourned for want of quorum.]¹

[(3) The Gram Sabha shall consider the following matters and may make recommendations and suggestions to the Gram Panchayat –

(a) the annual statement of accounts of the Gram Panchayat, the report of administration of the preceding financial year and the last audit note and replies, if any, made thereto;

(b) the respect in respect of development programmes of the Gram Panchayat relating to the preceding year and the development programmes proposed to be undertaken during the current financial year;

-
1. Substituted by section 11 of U. P. Act no. II of 1955.
 2. Subs. by section 2 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 3. Section 9-A added by section 11 ibid.
 4. Subs. by section 12 (a) ibid
 5. Subs. by section 12 (b) ibid.
 6. Subs. by section 5 (a) of U.P. Act No. 21 of 1995.
 7. Subs. by section 5 (b) ibid

(c) the promotion of unity and harmony among all sections of society in the village;

(d) programmes of adult education within the village;

(e) such other matters as may be prescribed.

(4) The Gram Panchayat shall give due consideration to the recommendations and suggestions of the Gram Sabha.

(5) The Gram Sabha shall perform the following functions; namely :-

(a) Mobilising voluntary labour and contributions for the community welfare programmes;

(b) Identification of beneficiaries for the implementation of development schemes pertaining to the village;

(c) Rendering assistance in the implementation of development schemes pertaining to the village.]¹

[CHAPTER III-A

Gram Panchayats]²

[Pradhan and Up-Pradhan of Gram Panchayat

11-A

(1) There shall be a Pradhan and an Up-Pradhan of the Gram Panchayats, who shall respectively be the Chairperson and Vice-Chairperson thereof.

(2) The State Government shall, by order, reserve offices of Pradhans for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes :

Provided that the number of offices of Pradhans reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes in the State or of the Backward Classes as nearly as may be, the same proportion to the total number of such offices as the population of the Scheduled Castes in the State of the Scheduled Tribes and the Backward Classes in the State bears to the total population of the State:

Provided further that the reservation for the Backward classes shall not exceed twenty seven percent of the total number of offices of Pradhans.

[Provided also that if the figures of population of the Backward Classes are not available, their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner.]⁴

(3) [Not less than one half]⁶ of the total number of offices of Pradhans reserved under sub-section (2) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes.

(4) [Not less than one half]⁶ of the total number of offices of Pradhans, including the number of offices of Prashand reserved under sub-section (3), shall be reserved for women.

(5) The offices of the Pradhans reserved under this section shall be allotted by rotation to different Gram Panchayats in such order as may be prescribed.

(6) The reservation of the offices of Pradhans for the Schedule Castes and the Scheduled Tribes under this section shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334 of the Constitution.

Explanation – It is clarified that nothing in this section shall prevent persons belonging to the Scheduled Casts, the Scheduled Tribes, the Backward Classes and the women from contesting election to unreserved seats.]³

1. Subs. by section 12 (c) of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Added by section 13 ibid.

3. Subs. by section 14 ibid

4. Subs. by section 6 of U.P. Act No. 21 of 1995.

5. Subs. by section 2 of Uttarakhand Act No. 30 of 2005.

6. Subs. by section 2 of Uttarakhand Act No. 07 of 2008.

[Election of
Pradhan

11-B

(1) The Pradhan of the Gram Panchayat shall be elected by the persons registered in the electoral rolls for the territorial constituencies of the Panchayat area from amongst themselves.

(2) If at any general election to a Gram Panchayat, the Pradhan is not elected and less than two-thirds of the total member of Gram Panchayat are elected, the State Government or an officer authorized by it in this behalf may, by order, either appoint

—
(i) an Administrative Committee consisting of such member of person qualified to be elected as members of the Gram Panchayat, as it may consider proper; or

(ii) an Administrator.

(3) The member of the Administrative Committee or the Administrator shall hold office for such period not exceeding six months as the State Government may specify in the order referred to in sub-section (2).

(4) On the appointment of an Administrative Committee or an Administrator under sub-section (2), the person, if any, chosen as Pradhan or member of the Gram Panchayat before such appointment shall cease to be such Pradhan or member, as the case may be and all powers, functions and duties of the Gram Panchayat, its Pradhan and Committees shall vest in and be exercised, performed and discharged by such Administrative Committee or the Administrator, as the case may be.

(5) The Administrative Committee or the Administrator shall be deemed to be duly constituted Gram Panchayat for the purposes of this Act :

Provided that if at any time after the appointment of the Administrative Committee or the Administrator under sub-section (2), the State Government is satisfied that there is no difficulty in duly constituting the Gram Panchayat, the State Government may, notwithstanding that the period for which the Administrative Committee or the Administrator had been appointed has not expired, direct the State Election Commission for holding the elections for constituting the Gram Panchayat.

(6) Except as otherwise provided in this Act, the term of office of Pradhan shall be coterminus with the term of the “Gram Panchayat.”]²

Election of Up-
Pradhan and his
term

11-C

(1) The Up-Pradhan shall be elected by the members of the [Gram Panchayat]¹ from amongst themselves in such manner as may be prescribed :

Provided that if a [Gram Panchayat]¹ fails to so elect an Up-Pradhan within the time fixed by or under the rules in that behalf the prescribed authority may nominate as Up-Pradhan any member of the [Gram Panchayat] and the person so nominated shall be deemed to have been duly elected.

(2) The term of office of the Up-Pradhan whether elected or nominated before or after the commencement of the, Uttar Pradesh Rural Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 1972, shall commence from the date of his election or nomination, as the case, may be, and unless otherwise determined under the provisions of this Act, shall expire With the term of the [Gram Panchayat]¹.

(3) [***]³

1. Substituted by section 2 of U.P. Act No. 9 of 1994.

2. Subs by section 15 *ibid*.

3. Omitted by section 2 of Uttarakhand Act No. 13 of 2006.

[Prohibition of holding certain offices simultaneously]

11-D

No person shall simultaneously-

(a) be the Pradhan of the Gram Panchayat and a Panch of the Nyaya Panchayat ; or

(b) be a member of a Gram Panchayat for more than one territorial constituency; or

(c) be a member of a Gram Panchayat and a Panch of a Nyaya Panchayat; or

(d) hold any office in more than one Gram Panchayat or Nyaya Panchayat ;

and the rules may provide for the vacation of all but one office by any person chosen to fill offices which he cannot hold simultaneously.

[Further bar on holding two offices simultaneously]

11-E

(1) A person shall be disqualified for being elected to or holding the office of Pradhan or member of Gram Panchayat or a Panchayat of a Nyaya Panchayat, if he is--

(a) a member of Parliament or of the State Legislature; or

[(b) member, Pramukh or Up-Pramukh of a Kshettra Panchayat; or

(c) member, Adhyaksha or Upadhyaksha of a Zila Panchayat; or]¹

(d) Adhyaksha or Upadhyaksha of any co-operative society.

(2) A person shall cease to hold the office of Pradhan or member of the Gram Panchayat or Panch of a Nyaya Panchayat, as the case may be, if subsequently he is elected to any of the offices mentioned in clauses (a) to (d) of sub-section (1), with effect from the date of such subsequent election and a casual vacancy shall thereupon occur in the office of such Pradhan or member or Panch, as the case may be.

[(3) Notwithstanding anything in this Act, if in the first elections held after the commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994 to constitute Panchayats at the village, khand and district levels, a person is chosen member of panchayats at two or more levels, he shall submit his resignation from all but one of these seats within sixty days of the date of the declaration of the result of elections, or if the declaration of the results of elections in respect of the Panchayats at the said two or more levels has been made on different dates, within sixty days of the last of such dates and in the event of failure to so resign seats in all the Panchayats except the seat in the highest level amongst the Panchayats to which he had been elected shall be deemed vacant.]²

[Declaration of Panchayat area]

11-F

(1) For the purposes of this Act the State Government may by notification declare any area comprising a village or group of villages, having, so far as practicable, a population of 300 in hill area and 1000 in plane area to be a panchayat area for the purpose of this Act by such name as may be specified:

Provided that the population shall not exceed 1000 in hill area and 5000 in plane area of the State as far as practicable:

1. Substituted by section 3 (a) of U.P. Act No. 29 of 1995.

2. Added by section 3 (b) ibid.

Further provided that for the purpose of declaration of a Panchayat area no revenue village or any hamlet thereof shall be divided.

Also Provided that if it is not practically possible to follow the above provisions then the State Government may relaxed the aforesaid restrictions by order in the specific and unavoidable circumstances.

(2) The State Government may, on the request of the Gram Panchayat concerned or otherwise, and after previous publication of the proposal, by notification at anytime:

(a) modify the area of any Panchayat area by including therein or excluding there form any area of a village or group of villages;

(b) alter the name of the Panchayat area; or

(c) declare that any area shall cease to be a Panchayat area; or]⁵

Gram
Panchayat

[12-

(1) (a) There shall be [constituted]⁶ for every Gram Panchayat area, a Gram Panchayat bearing the name of the Panchayat area;

(b) Every Gram Panchayat shall be a body corporate;

[(c) A Gram Panchayat shall consist of a Pradhan and in the case of a Panchayat area having a population of –

(1) Upto 500 ; 5 members

(2) 501 to 1000 ; 7 members

(3) 1001 to 2000 ; 9 members

(4) 2001 to 3000 ; 11 members

(5) 3001 to 5000 ; 13 members

(6) 5001 and above ; 15 members]⁶

(d) for the purpose of election of members of Gram Panchayat every Panchayat area shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the member of seats allotted to it shall, so far as practicable, be the same throughout the Panchayat area;

(e) each territorial constituency of a Gram Panchayat shall be represented by one member in the Gram Panchayat;

[(f) the territorial constituency of a Gram Panchayat may be delimited in the prescribed manner and if necessary, rules in this regard may be made with retrospective effect from a date not earlier than the date of commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994.]²

(2) [***]³

1. Subs. by section 8 (a) of U.P. Act No. 21 of 1995.

2. Subs. by section 8(a) (ii) *ibid*.

3. Delete. by section 8 (b) *ibid*

4. Subs. by section 4 of U.P. Act No. 29 of 1995.

5. Substituted. by section 3 of Uttarakhand Act No. 8 of 2002.

6. Subs. by section 4 *ibid*.

section (1) of section 95, continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer;

(b) An election to constitute a Gram Panchayat shall be completed –

(i) before the expiry of its duration specified in clause (a);

(ii) before the expiration of a period of six months from the date of its dissolution :

Provided that where the remainder of the period for which the dissolved Gram Panchayat would have continued is less than six months, it shall not be necessary to hold any election under this sub-section for constituting the Gram Panchayat;

(c) A Gram Panchayat constituted upon the dissolution of a Gram Panchayat before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved Gram Panchayat would have continued under clause (a) had it not been so dissolved;

(d) The constitution of a Gram Panchayat shall be notified in such manner as may be prescribed and thereupon the Gram Panchayat shall be deemed to have been duly constituted, any vacancy therein notwithstanding :

Provided that the constitution of a Gram Panchayat shall be notified till the Pradhan and at least two-thirds of the members of the Gram Panchayat have been elected.

[(3-A) notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, where, due to unavoidable circumstances or in public interest, it is not practicable to hold an election to constitute a Gram Panchayat before the expiry of its duration, the State Government or an officer authorized by it in this behalf may, by order, appoint an administrative Committee consisting of such number of persons qualified to be elected as members of the Gram Panchayat, as it may consider proper or an Administrator and the members of the Administrative Committee or the Administrator shall hold office for such period not exceeding six months as may be specified in the said order and all powers, functions and duties of the Gram Panchayat, its Pradhan and Committees shall vest in and be exercised, performed and discharged by such Administrative Committee or the Administrator, as the case may be.]¹

(4) The term of a member of Gram Panchayat shall, unless otherwise determined under the provisions of this Act, expire with the term of the Gram Panchayat.

(5) (a) In every Gram Panchayat, seats shall be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes and the number of seats so reserved shall, as nearly as may be the same proportion to the total number of seats in the Gram Panchayat, as the population of the Scheduled Castes in the Panchayat area or of the Scheduled Tribes in the Panchayat area or of the Backward classes in the Panchayat area bears to the total population of such area and such seats may be allotted by rotation to different territorial constituencies in a Gram Panchayat in such order as may be prescribed :

Provided that the reservation for the Backward classes shall not exceed [fourteen]² percent of the total number of seats in the Gram Panchayat :

1. Added by U.P. Act No. 15 of 2002.

2. Subs. by section 2 of Uttarakhand Act No. 30 of 2005.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 12A-12BB]

[Provided further that if the figures of population of the Backward Classes are not available, their population may be determined by carrying out a survey in the prescribed manner.]⁷

(b) [Not less than one half]⁹ of the seats reserved under clauses (a) shall be reserved for the women belonging respectively to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes;

(c) [Not less than one half]⁹ of the total number of seats in a Gram Panchayat, including the number of seats reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different territorial constituencies in a Gram Panchayat in such order as may be prescribed ;

(d) The reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334 of the Constitution.

Explanation – It is clarified that nothing in this section shall prevent the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes and the women from contesting election to unreserved seats.

(6) The Pradhan shall be deemed a member of the Gram Panchayat.]³

[Manner of election	12-A	The election to the office of a Pradhan or Up-Pradhan [***] ⁴ or a member of [Gram Panchayat] ² shall be held by secret ballot in the manner prescribed.] ¹
[Allowances to Pradhan, Up-Pradhan and Members	12-AA	(1) The Pradhan and Up-Pradhan of a Gram Panchayat shall receive such allowances and honoraria as may be prescribed. (2) The member of a Gram Panchayat, other than Pradhan and Up-Pradhan shall receive such allowances as may be prescribed.] ⁵
[Meetings of Gram Panchayat	12-B	(1) A Gram Panchayat shall ordinarily meet for the transaction of business at least once every month but two months shall not intervene between two consecutive meetings. (2) The meetings of the Gram Panchayat shall be held at such place and in such manner as may be prescribed.] ¹⁰
[Superintendence of the elections	12-BB	[(1)] ⁸ The Superintendence, direction and control of the conduct of the elections to the office of Pradhans, Up-Pradhans or a Member of a Gram Panchayat shall be vested in the State Election Commission.] ⁶ [(2) Subject to the superintendence, direction and control of the State Election Commission, the Mukhya Nirvachan Adhikari (Panchayat) shall supervise and perform all functions relating to the conduct of the election to the office of Pradhan, Up-Pradhan or a Member of a Gram Panchayat in the State.] ⁸

1. Sub. by section 6 of U. P. Act no. 38 of 1968.

2. Subs. by section 2 of U.P. Act No. 9 of 1994.

3. Subs. by section 17 ibid.

4. Omitted by section 18 ibid

5. Added by section 19 ibid

6. Subs by section 21 ibid.

7. Subs. by section 8(c) of U.P. Act No. 21 of 1995.

8. Added and renumbered by section 9 ibid.

9. Subs. by section 3 of Uttarakhand Act No. 7 of 2008.

10. Subs. by section 2 of Uttarakhand Act No. 14 of 2008.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 12BC-BCA]

[(3) The State Government shall, in consultation with the State Election Commission, by notification, appoint the date or dates for general election or bye-election of the Pradhan, Up-Pradhan or members of a Gram Panchayat.]⁴

Other provisions relating to holding of elections

[12-BC

(1) Subject to the supervision and control of Nirvachan Nideshak (Panchayat), the District Magistrate shall supervise the conduct of all elections of members of Gram Panchayats and Pradhans and Up-Pradhans of Gram Sabhas in the district.]¹

(2) Every local authority and-the management of every educational institution receiving grant-in-aid from the State Government in the district shall, when so required by the District Magistrate make available to him or to any other officer appointed by the District Magistrate as Nirvachan Adhikari such staff as may be necessary for the performance of any duties in connection with such election.

(3) The [State Election Commission]² may likewise, require all or any of the local authorities and the managements of any or any of such institutions as aforesaid in the State to make available to any officer referred to in sub-section (2) such staff as may be necessary for the performance of any duties in connection with such election, and they shall comply with every such requisition.

(4) Where any employee of any local authority or institution referred to in sub-section (2) or sub-section (3) is appointed to perform any duty in connection with such elections he shall be bound to perform such duty.

³[Requisitioning of premises vehicles etc. for election purpose

12-BCA

(1) If it appears to the District Magistrate that in connection with an election under this Act to be held within the district –

(a) any premises are needed or are likely to be needed for the purpose of being used as a polling place or for the storage of ballot boxes after a poll has been taken, or

(b) any vehicle, vessel or animal is needed or is likely to be needed for the purpose of transport of ballot boxes to or from any place or transport of members of the police force for maintaining order during the conduct of such election, or transport of any officer or other person for performance of any duties in connection with such election, he may, by order in writing, requisition such premises, or such vehicle, vessel or animal, as the case may be and may make such further orders as may appear to it to be necessary or expedient in connection with the requisitioning :

Provided that no vehicle, vessel or animal which is being lawfully used by a candidate or his agent for any purpose connected with the election of such candidate shall be requisitioned under this sub-section until the completion of the poll at such election.

1. Subs by section 21(a) of U. P. Act no. 9 of 1994.
2. Subs. by section 22 (b) ibid.
3. Added by section 5 of U. P. Act no. 29 of 1995.
4. Added by section 3 of U. P. Act no 22 of 2000.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 12BCB]

(2) The requisition shall be affected by an order in writing addressed to the person deemed by the District Magistrate to be the owner or person in possession of the property and such order shall be served in the prescribed manner on the person to whom it is addressed.

(3) Whenever any property is requisitioned under sub-section (1), the period of such requisition shall not extend beyond the period for which such property is required for any of the purposes mentioned in that sub-section.

(4) In this section –

(a) ‘premises’ means any land, building or part of a building and includes a hut, shed or other structure or any part thereof;

(b) ‘vehicle’ means any vehicle used or capable of being used for the purpose of road transport, whether propelled by mechanical power or otherwise.

Payment of 12-BCB
compensation

(1) Whenever in pursuance of section 12-BCA the District Magistrate requisitions any premises, there shall be paid to the persons interested compensation the amount of which shall be determined by taking into consideration the following; namely—

(i) the rent payable in respect of the premises or if no rent is so payable, the rent payable for similar premises in the locality;

(ii) if in consequence of the requisition of the premises the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses (if any) incidental to such change :

Provided that where any person interested being aggrieved by the amount of compensation so determined makes an application within the prescribed time to the District Magistrate for referring the matter to an arbitrator, the amount of compensation to be paid shall be such as the arbitrator appointed in this behalf by the District Magistrate may determine:

Provided further that where there is any dispute as to the title to received the compensation or as to the apportionment of the amount of compensation, it shall be referred by the District Magistrate to an arbitrator appointed in this behalf by him for determination and shall be determined in accordance with the decision of such arbitrator.

Explanation— In this sub-section, the expression “person interested” means the person who was in actual possession of the premises requisitioned under section 12-BCA immediately before the requisition, or where no person was in such actual possession, the owner of such premises.

(2) Whenever in pursuance of section 12-BCA, the District Magistrate requisitions any vehicle, vessel or animal, there shall be paid to the owner thereof compensation the amount of which shall be determined by the District Magistrate on the basis of the fares or rates prevailing in the locality for the hire of such vehicle, vessel or animal :

Provided that where the owner of such vehicle, vessel or animal being aggrieved by the amount of compensation so determined makes an application within the prescribed time to the District Magistrate for referring the matter to an arbitrator, the amount of compensation to be paid shall be such as the arbitrate or appointed in this behalf by the District Magistrate may determine :

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 12BCC-BCF]

Provided further that where immediately before the requisitioning, the vehicles or vessel was by virtue of the hire-purchase agreement in the possession of a person other than the owner, the amount determined under this sub-section as the total compensation payable in respect of the requisition shall be apportioned between that person and the owner in such manner as they may agree upon and in default of agreement, in such manner as an arbitrator

appointed by the District Magistrate in this behalf may decide.

Power to obtain information	12-BCC	The District Magistrate may with a view to requisitioning any property under section 12-BCA or determining the compensation payable under section 12-BCB by order, require any person to furnish to such authority as may be specified in the order such information in his possession relating to such property as may be so specified.
Powers of entry into and inspection of premises etc.	12-BCD	<p>(1) Any person authorized in this behalf by the District Magistrate may enter into any premises and inspect such premises and any vehicle, vessel or animal therein for the purpose of determining whether and if so in what manner, an order under section 12-BCA should be made in relation to such premises vehicle, vessel or animal or with a view to securing compliance with any order made under that section.</p> <p>(2) In this section the expressions “premises” and “vehicle” have the same meaning as in section 12-BCA.</p>
Eviction from requisitioned premises	12-BCE	<p>(1) Any person remaining in possession of any requisitioned premises in contravention of any order made under section 12-BCA may be summarily evicted from the premises by any officer empowered by the District Magistrate in this behalf.</p> <p>(2) Any officer so empowered may, after giving to any woman not appearing in public reasonable warning and facility to withdraw, remove or open any lock or bolt or break open any door of any building or do any other act necessary for effecting such eviction.</p>
Release of premises from requisition	12-BCF	<p>(1) When any premises requisitioned under section 12-BCA are to be released from requisition, the possession thereof shall be delivered to the person from whom possession was taken at the time when the premises were requisitioned, or if there were no such person to the person deemed by the District Magistrate from all liabilities in respect of such delivery, but shall not prejudice any rights in respect of the premises which any other person may be entitled by due process of law to enforce against the person to whom possession of the premises is so delivered.</p> <p>(2) Where the person to whom possession of any premises requisitioned under section 12-BCA is to be given under sub-section (1) cannot be found or is not readily ascertainable or has no agent or any other person empowered to accept delivery on his behalf, the District Magistrate shall cause a notice declaring that such premises are released from requisition to be affixed on some conspicuous part of such premises and publish the notice in the Official Gazette.</p>

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 12BD-12C]

(3) When a notice referred to in sub-section (2) is published in the Official Gazette, the premises specified in such notice shall cease to be subject to requisition on and from the date of such publication and be deemed to have been delivered to the person entitled to possession thereof and the District Magistrate shall not be liable for any compensation or other claim in respect of such premises for any period after the said date.]⁷

[Breaches of official duty in connection with elections]

12-BD

(1) If any person to whom this section applies is without reasonable cause guilty of any act or omission in breach of his official duty, he shall be punishable with fine which may extend five hundred rupees.

(2) An offence punishable under sub-section (1) shall be cognizable.

(3) No suit or other legal proceedings shall lie against any such person for damages in respect of any such act or omission as afore said.

(4) The persons to whom this section applies are the Nirvachan Adhikaris, Sahayak Nirvachan Adhikaris, Matdan Adhyakshas, Matdan Adhikaris and any other person appointed to perform any duty in connection with the receipt of nominations or withdrawal of candidature, or the recording or counting of votes at an election, and the expression official duty shall for the purpose of this section be constructed accordingly, but shall not include duties imposed otherwise than by or under this Act.⁴

¹[Application for questioning the elections]

12-C

(1) The election of a person, Pradhan [***]⁶ or as members of a [Gram Panchayat]⁵ including the election of [a person appointed]³ as a Panch of a [Nyaya Panchayat]² under section 43 shall not be called in question except by an application presented to such authority within such time and in such manner as may be prescribed on the ground that-

(a) the election has not been a free election by reason that the corrupt practice of bribery or undue influence has extensively prevailed at the election, or

(b) that the result of the election has been materially affected-

(i) by the improper acceptance or rejection of any nomination; or

(ii) by gross failure to comply with the provisions of this Act or the rules framed thereunder.

(2) The following shall be deemed to be corrupt practices of bribery or undue influence for the purposes of this Act :

-
1. Added by section 14 of U. P. Act II of 1955.
 2. For the term 'Panchayati Adalat' wherever it occurs in the Act, Subs. by the term 'Nyaya Panchayat. by section 4(a) ibid.
 3. Subs. by sect., 9 of U. P. Act No, 15 of 1960.
 4. Insertion by section 3 U. P. Act No. 31 of 1972.
 5. Subs by section 2 of U. P. Act no. 9 of 1994.
 6. Omitted by section 23 ibid.
 7. Added by section 5 of U. P. Act no. 29 of 1995.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 12C]

(A) (1) Bribery, that is to say, any gift, offer or promise by a candidate or by any other person with the connivance of a candidate of any gratification to any person whomsoever with the object, directly or indirectly, of inducing-

(a) a person to stand or not to stand as or to withdraw from being a candidate at an election; or

(b) an elector to vote or refrain voting at an election; or as a reward to-

(i) a person for having so stood or not stood, or for having withdrawn his candidature; or

(ii) an elector for having voted or refrained from voting.

(B) Undue influence, that is to say, any direct or indirect interference or attempt to interfere on the part of a candidate or of any other person with the connivance of the candidate with the free exercise of any electoral right :

Provided that without prejudice to the generality of the provisions of this clause any such person as is referred to therein who-

(i) threatens any candidate, or any elector, or any person in whom a candidate or an elector is interested with injury of any kind including social ostracism and ex-communication or expulsion from any caste or community ; or

(ii) induces or attempts to induce a candidate or an elector to believe that he or any person in whom he is interested will become or will, be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or elector within the meaning of this clause,

(3) The application under sub-section (1) may be presented by any candidate at the election or any elector and shall contain such particulars as may be prescribed.

Explanation- Any person, who filed a nomination paper at the election whether such nomination paper was accepted or rejected, shall be deemed to be a candidate at the election.

(4) The authority to whom the application under sub-section (1) is made shall, in the matter of-

(i) hearing of the application and the procedure to be followed at such hearing,

(ii) setting aside the election or declaring the election to be void or declaring the applicant to be duly elected or any other relief that may be granted to the petitioner have such powers and authority as may be prescribed.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 12BD-12C]

(5) Without prejudice to the generality of the power to be prescribed under sub-section (4) the rules may provide for the summary hearing and disposal of an application under sub-section (1).

[(6) Any party aggrieved by an order of the prescribed authority upon an application under sub-section (1) may, within thirty days from the date of the order, apply to the District Judge for revision of such order or any one or more on the following grounds; namely : -

(a) that the prescribed authority has exercised a jurisdiction not vested in it by law ;

(b) that the prescribed authority has failed to exercise a jurisdiction so vested ;

(c) that the prescribed authority has acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity.

(7) The District Judge may dispose of the application for revision himself or may assign it for disposal to any Additional District Judge, civil Judge or Additional Civil Judge under his administrative control and may recall it from any such officer or transfer it to any other such officer.

(8) The revising authority mentioned in sub-section (7) shall follow such procedure as may be prescribed, and may confirm, vary or rescind the order of the prescribed authority or remand the case to the prescribed authority for re-hearing and pending its decision pass such interim orders as may appear to it to be just and convenient.

(9) The decision of the prescribed authority, subject to any order passed by the revising authority under this section, and every decision of the revising authority passed under this section, shall be final.]⁴

[Disputes
pertaining to
the election of
Up-Pradhan,
Sarpanch or
Sahayak
Sarpanch

12-D

The provisions of section 12-C shall *mutatis mutandis* apply to the election of person as Up Pradhan of a [Gram Panchayat]⁵ or as Sarpanch or Sahayak Sarpanch of a Nyaya Panchayat]²

[Oath of office

12-E

(1) [Every person]⁶ shall, be entering upon any office referred to in sections 11-A [12]³, 43 or 44, make and subscribe before such authority as may be prescribed on oath or affirmation in the form to be prescribed.]¹

(2) Any member who declines or otherwise refuses to make and subscribe an oath or affirmation as aforesaid shall be deemed to have vacated the office forthwith.

1. Added by section 14 of U. P. Act No. II of 1955.

2. Substituted by section 10 of U. P. Act no. 15 of 1960.

3. Subs. by section 11 *ibid*.

4. Subs. by section 10 of Act no. 37 of 1978.

5. Subs. by section 24 of U. P. Act no. 9 of 1994

6^v Subs. by section 25 *ibid*

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 12F-14]

[Resignation

12-F

A Pradhan Up-Pradhan or a member of a [Gram Panchayat]³ may, by writing under his hand addressed to such authority as may be prescribed, resign his office and his office shall thereupon become vacant.]¹

12-G

[***]⁴

[Casual
vacancy

12-H

If a vacancy in the office of Pradhan, Up-Pradhan or of a member of a Gram Panchayat arises by reason of his death, removal, resignation, voidance of his election or refusal to take oath of office, it shall be filled before the expiration of a

period of six months from the date of such vacancy, for the remainder of his term in the manner, as far as may be, provided in sections 11-B, 11-C or 12, as the case may be :

Provided that if on the date of occurrence of such vacancy the residue of the term of the Gram Panchayat is less than six months, the vacancy shall not be filled.]⁶

[Jurisdiction of Civil courts in election matters barred]	12-I	No Civil Court shall have jurisdiction to question the legality of any action taken or any decision given by an officer or authority appointed under this Act, in connection with the conduct of elections thereunder.] ¹
[Power of Up-Pradhan]	12-J	(1) Where the office of Pradhan is vacant by reason of death, removal, and resignation or otherwise or where the Pradhan is incapable to act by reason of absence, illness or otherwise, the Up-Pradhan shall exercise all powers and discharge all duties of the Pradhan. (2) Where the offices of both, Pradhan and Up Pradhan are vacant for any reason whatsoever, or when both, Pradhan and Up-Pradhan are incapable to act for any reason whatsoever, the prescribed authority shall nominate a member of a [Gram Panchayat] to discharge the duties and exercise the powers of the Pradhan until such vacancy in the office of either the Pradhan or the Up Pradhan is filled in, or until such incapacity of either of the two is removed.] ²
	12-K	[***] ⁴
	13-	[***] ⁴
[Removal of Pradhan and Up-pradhan]	14-	(1) The [Gram Panchayat] ³ may, at a meeting specially convened for the purpose and of which at least 15 days previous notice shall be given, remove the Pradhan by a majority of two-thirds of the [all the then members.] ⁶ (2) A meeting for the removal of a Pradhan shall not be convened within [one year's] ⁵ of his election.

-
1. Added by section 14 of U. P. Act 2 of 1955.
 2. Subs. by section 11 of Act no. 37 of 1978.
 3. Subs. by section 2 of U. P. Act no. 9 of 1994.
 4. Omitted by section 26 *ibid*.
 5. Subs. by section 3(b) of U. P. Act no. 21 of 1998.
 6. Subs. by section 2 of Chapter –II of U.P. Act No. 33 of 1999.
 7. Omitted by section 4 (a) of Uttarakhand Act No. 13 of 2006.
 8. Subs. by section 4(b) *ibid*.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 14A-15]

(3) If the motion is not taken up for want of quorum or fails for lack of requisite majority at the meeting, no subsequent meeting for the removal of the same Pradhan shall be convened within a [one year's]⁶ of the date of the previous meeting.

(4) Subject to the provisions of this section, the procedure for the removal of a Pradhan, including that to be followed at such meeting, shall be such as may be prescribed.]¹

[Punishment for 14-A

Outgoing Pradhan obligation to deliver records and money of [Gram Sabha]⁴ -

failure to
handover
records, etc.

[(1) Any person on ceasing to act as Pradhan, Sarpanch or Sahayak Sarpanch wilfully fails, in spite of being required to do so by the prescribed authority, to handover all records, money or other property of [Gram Sabha]⁴, [Gram Panchayat]⁴ or Nyaya Panchayat, as the case may be, to his successor or to any person authorised in this behalf by the prescribed authority, he shall be punishable with imprisonment which may extend to three years or with fine or with both.]³

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), any such money may on a certificate issued in that behalf by the prescribed authority be recovered as arrears of land revenue.]²

[14-B

(1) The Gram Panchayat may at a meeting specially convened for the purpose and of which at least fifteen days previous notice shall be given, remove the Up-Pradhan by a majority of two-third of the members of the Gram Panchayat.”]⁸

(2) A meeting for the removal of a Up-Pradhan shall not be Convened within two years of his election.

(3) If the motion is not taken up for lack of requisite majority at the meeting, no subsequent meeting for the removal of the same Up-Pradhan shall be convened within two years of the date of the previous meeting.

(4) Subject to the provisions of the section, the procedure for the removal of a Up-Pradhan, including that to be followed at such meeting, shall be such as may be prescribed.”]⁷

Chapter IV

POWERS, DUTIES, FUNCTIONS AND ADMINISTRATION OF

[GRAM PANCHAYATS]⁴

⁵[Functions of 15-
Gram Panchayat

Subject to such conditions as may be specified by the State Government, from time to time a Gram Panchayat shall perform the following functions; namely :-

-
1. Subs. by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1962.
 2. Subs. by section 5 of U. P. Act No. 3 of 1973.
 3. Subs. by section 11 of Act No. 37 of 1978.
 4. Subs by section 2 of U. P. Act no. 9 of 1994
 5. Subs by section 28 *ibid*.
 6. Subs by section 4 (c) of Uttarakhand Act no. 13 of 2006
 7. Subs by section 5 *ibid*.
 8. Subs by section 2 of Uttarakhand Act no. 5 of 2007

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]
[Section 15]

- (i) Agriculture including agricultural extension :
 - (a) Promotion and Development of agriculture and horticulture;
 - (b) Development of wastelands and grazing lands and preventing their unauthorized alienation and use,
- (ii) Land development, land reform implementation, land consolidation and soil conservation :
 - (a) Assisting the Government and other agencies in land development, land reform and soil conservation;

- (b) Assisting in land consolidation;
- (iii) Minor irrigation, water management and watershed development :
 - (a) Managing and assisting in water distribution from minor irrigation projects;
 - (b) Construction, repair and maintenance of minor irrigation projects, regulation of supply of water for irrigation purpose;
- (iv) Animal husbandry, dairying and poultry :
 - (a) Improving breed of cattle, poultry and other live-stock;
 - (b) Promotion of dairying, poultry, piggery etc.
- (v) Fisheries :
 - Development of fisheries in the village;
- (vi) Social and farm forestry :
 - (a) Planting and preserving trees on the sides of roads and public lands;
 - (b) Development and promotion of social and farm forestry and sericulture;
- (vii) Minor forest produce :
 - Promotion and development of minor forest produce;
- (viii) Small industries :
 - (a) Assisting the development of small industries;
 - (b) Promotion of local trades;
- (ix) Cottage and village industries :
 - (a) Assisting in the development of agricultural and commercial industries;
 - (b) Promotion of cottage, industries;
- (x) Rural housing :
 - (a) Implementation of rural housing programmes;
 - (b) Distributing house sites and maintenance of records relating to them;
- (xi) Drinking water :
 - Construction, repair and maintenance of public wells, tanks and ponds for supply of water for drinking, washing, bathing purposes and regulation of sources of water supply for drinking purposes.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 15]

- (xii) Fuel and fodder land :
 - (a) Development of grass and plants relating to fuel and fodder lands;
 - (b) Control on irregular transfer of fodder land.
- (xiii) Roads, culverts, bridges, ferries, water-ways and other means of communication :
 - (a) Construction and maintenance of village roads, bridges, ferries and culverts;
 - (b) Maintenance of water-ways;

- (c) Removal of encroachment on public places.
- (xiv) Rural electrification :
Provision for and maintenance of lighting of public street and other places.
- (xv) Non-conventional energy source :
Promotion and development of programmes of non- conventional energy source and its maintenance in village.
- (xvi) Poverty alleviation programmes :
Promotion and implementation of poverty alleviation programmes.
- (xvii) Education including primary and secondary schools;
Public awareness about education.
- (xviii) Technical training and vocational education :
Promotion of rural art artisans.
- (xix) Adult and informal education :
Supervision of adult literacy.
- (xx) Library :
Establishment and maintenance of libraries and reading rooms.
- (xxi) Sports and cultural affairs :
 - (a) Promotion of social and cultural activities;
 - (b) Organising cultural seminars on different festivals;
 - (c) Establishment and maintenance of rural clubs for sports.
- (xxii) Markets and fairs :
Regulation of melas, markets and fairs in Panchayat areas.
- (xxiii) Medical and sanitation :
 - (a) Promoting rural sanitation;
 - (b) Prevention against epidemics;
 - (c) Programmes of human and animal vaccination;
 - (d) Preventive actions against stray cattle and live-stock
 - (e) Registering births, deaths and marriages.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 15A-16]

- (xxiv) Family welfare :
Promotion and implementation of family welfare programmes.
- (xxv) Plan for economic development:
Preparation of plan for economic development of the area of the Gram Panchayat.
- (xxvi) Maternity and child development :
 - (a) Participation in the implementation of women and child welfare

programmes at Gram Panchayat level;

(b) Promoting child health and nutrition programmes.

(xxvii) Social welfare including welfare of the handicapped and mentally retarded :

(a) Assisting in old-age and widow pension schemes;

(b) Participation in the social welfare programmes including welfare of the handicapped and the mentally retarded.

(xxviii) Welfare of the weaker sections and in particular of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes :

(a) Participation in the implementation of the specific programmes for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other weaker sections of the society;

(b) Preparation and implementation of schemes for social justice.

(xxix) Public Distribution system :

(a) Promotion of public awareness with regard to the distribution of essential commodities;

(b) Monitoring the public distribution system.

(xxx) Maintenance of community assets :

Preservation and maintenance of community assets.

Preparation of plan	15-A	A Gram Panchayat shall prepare every year a development plan for the Panchayat area and submit it to the Kshettra Panchayat concerned before such date and in such form and manner as may be prescribed.
---------------------	------	--

Functions that may be assigned to Gram Panchayat	16-	<p>The State Government may, by notification and subject to such conditions as may be specified therein assign to Gram Panchayats any or all of the following functions; namely –</p> <p>(a) management and maintenance of a forest situated in the Panchayat area;</p> <p>(b) management of wastelands, pasture lands or vacant lands belonging to the Government situated within the Panchayat area;</p> <p>(c) Collection of any tax or land revenue and maintenance of related records.]¹</p>
--	-----	--

1. Subs by section 2 of U. P. Act no. 9 of 1994

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 16A- 18]

[Power to make contributions for organisations, etc. outside jurisdiction	16-A	A [Gram Panchayat] ³ may contribute such amounts for such organisations, institutions and functions outside the jurisdiction of the [Gram Panchayat] ⁴ as the State Government may by general or special order permit.] ¹
---	------	--

Power of [Gram Panchayat] ² as	17-	A [Gram Panchayat] ³ shall have control of all public streets, waterways, other than canals as defined in sub-section (1) of section 3 of the Northern India Canal
---	-----	---

to public
streets, water-
ways and other
matters
U.P. act VIII
of 1873

and Drainage Act, 1873, situate within its jurisdiction not being a private street or waterways and not being under the control of the State Government or the district Board or any other authority specified by the State Government and may do all things necessary for the maintenance and repair thereof and may-

(a) construct new bridges or culverts;

(b) divert, discontinue or close any public street; culvert or bridge;

(c) widen, open, enlarge or otherwise improve any public street, culvert or bridge with minimum damage to the neighboring fields ;

(d) deepen or otherwise improve waterways;

[(e) with the sanction of the prescribed authority and where a canal exists under the Northern India Canal and Drainage Act, 1873, with the sanction also of such officer of the Irrigation Department as the State Government may prescribe, undertake small irrigation projects in addition to those specified by order under clause (u) of section 15;]²

(f) cut any hedge or branch of any tree projecting on a public street;

(g) notify the setting a part of any public watercourse for drinking or culinary purposes, and prohibit bathing, washing of clothes and animals or doing of other acts likely to pollute the course so set a part :

Provided that nothing shall be done under clause (g) which may affect a canal government by the Northern India Canal and Drainage Act, 1873, without the prior permission of the authority prescribed by the State Government in this behalf.

Improvement
of sanitation

18-

For the improvement of sanitation, a [Gram Panchayat]³ may, by notice, direct the owner or occupier of any land or building, taking into consideration his financial position and giving him reasonable time for compliance thereof- --

-
1. Ins. by Schedule VIII (II) of U. P. Act no. 33 of 1961.
 2. Subs. by section 3 of U. P. Act No. 10 of 1965.
 3. Subs. by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.
 4. Subs. by section 29 *ibid*.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]
[Section 19]

(a) or close, remove, alter, repair, cleanse disinfect or put in good order any latrine, urinal, water-closet, drains, cesspool or other receptacle for filth, sullage water, rubbish or refuse pertaining to such land or building or to remove or alter any door or trap or construct any drain for any such latrine, urinal or water-closet which opens on to a street or drain, or to shut off such latrine, urinal or water closet by a sufficient roof and wall or fence from the view of persons passing by or dwelling in the neighborhood ;

(b) to cleanse, repair, cover, fill up, drain off, deepen or to remove water from a private well, tank, reservoir, pool, pit, depression at excavation therein which may appear to the [Gram Panchayat]³ to be injurious to health or offensive to the neighbourhood ;

(c) to clear off any vegetation, undergrowth, prickly pear or shrub-jungle ;

(d) to remove any dirt, dung, night soil, manure or any noxious or offensive matter therefrom and to cleanse the land or building :

Provided that a person on whom a notice under clause (b) is served may, within 30 days of the receipt of the notice appeal to the District Medical Officer of Health against the said notice who may vary, set aside or confirm it.

Maintenance and improve-
ment of
schools and
hospitals

(1) A [Gram Panchayat]³ -

(a) shall subject to such rules as may be prescribed regarding the curriculum, employment and qualification of teachers and supervision of a school, maintain any existing primary school including the buildings and furniture thereof and be responsible for its proper working and may similarly establish and maintain a new school or improve any existing school;

(b) shall subject to such rules as may be prescribed regarding the establishment, maintenance and supervision, maintain any existing Ayurvedic, [Homoeopathic]¹ or Unani hospital or dispensary including the building and equipments thereof and may similarly establish and maintain a new hospital or dispensary for one or more of the systems of medicine mentioned above.

(2) The district board and the State Government shall make such grants for such school, hospital or dispensary, as may be prescribed.

[X X X]²

-
1. Added by section 19 of U. P. Act No. 2 of 1955.
 2. Ommitted by section 15 of U.P. Act No. 37 of 1978.
 3. Subs. by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 20-24]

[Establishment of primary school, hospital, dispensary, road or bridge for a group of [Gram Sabha]⁸

20- Where a group of neighboring [Gram Panchayats]⁸ has no primary school or Ayurvedic Homoeopathic or Unani hospital or dispensary, or it needs a road or bridge for its common benefit, the [Gram Panchayats]⁶ thereof shall, if so directed by the prescribed authority, combine to, establish and maintain such a school such hospital or dispensary, or to construct and maintain, a road or bridge and it shall be managed and financed in the manner prescribed. The State Government and the Zila Parishad, shall make such grants for such school, hospital, dispensary, road or bridge as may be prescribed.]⁷

Assistance to Government servants	21-	A [Gram Panchayat] ⁵ shall make; if so prescribed by the State Government servant in the performance of his duties with in its area.
Representations and recommendations by [Gram Panchayats] ⁸	22-	<p>A [Gram Panchayat]⁵ may make to the proper authority -----</p> <p>(a) any representation concerning the welfare of the persons residing within its jurisdiction, and</p> <p>(b) any recommendations as to the appointment, transfer or dismissal of a patrol of the Irrigation Department, patwari [or lekhpal, village chaukidar]¹ or mukhia serving in any area within the jurisdiction of such [Gram Panchayat].⁸</p>
Power to enquire and report about the misconduct of certain officials	23-	On receiving a complaint from any person residing within the jurisdiction of a [Gram Panchayat] ⁵ about any misconduct in the discharge of [his] ² official duties by any am in, process-server, vaccinator, constable, [village chaukidar] ³ patwari [patrol and tube-well operator of the Irrigation Department, forest guard, forest chaukidar, teacher of a primary school, pound-keeper, village stockman] ⁴ or peon of any Government, such Panchayat may, if there be prima facie evidence, forward the complaint to the proper authority with its own report. The authority shall, after such further enquiry as may be required take suitable action and inform the [Gram panchayat] ⁵ of the result.
Power to contract for collection of taxes and other dues for proprietors	24-	<p>A [Gram Panchayat]⁶ may, as prescribed and in respect of any area within its jurisdiction enter into a contract--</p> <p>[(a) with the State Government or any local authority for carrying out any work on such terms as State or to such local authority upon payment of such collection charges as may be prescribed ; or]⁵</p> <p>[(b) with the State Government or any local authority for carrying out any work on such terms as may be agreed upon.]⁶</p>

-
1. Added by section 20 of U. P. Act no, II of 1955.
 2. Subs. by section 21 (1) ibid.
 3. Added by section 21 (2) ibid.
 4. Subs. by section 21 (3) ibid.
 5. Subs. by section 22 (1) ibid.
 6. Subs. by section 22 (2) ibid.
 7. Subs. by Schedule VIII (II) of U. P. Act no. 33 of 1961.
 8. Subs. by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 25]

[Staff	25-	<p>(1) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act any Uttar Pradesh Act, rules, regulations or bye-laws or in any judgment, decree or order of any court: --</p> <p>(a) the State Government may, by general or special order, transfer any employee or class of employees serving in connection with the affairs of the State to serve under Gram Panchayats with such designation as may be specified in the order and thereupon posting of such employee or employees in Gram Panchayats of a district shall be made by such authority in such manner as may be notified by the State Government;</p>
--------	-----	--

(b) employee or employees on being so transferred and posted in a Gram Panchayat, shall serve under the supervision and control of the Gram Panchayat on the same terms and conditions and with the same rights and privileges as to retirement benefits and other matters including promotion as would have been applicable to him immediately before such transfer and shall perform such duties as may be specified from time to time by the State Government.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), a Gram Panchayats may, after prior approval of the prescribed authority, appoint from time to time such employee as may be considered necessary for efficient discharge of its functions under this Act in accordance with such procedure as may be prescribed:

Provided that the Gram Panchayat shall not create any post except with the previous approval of he prescribed authority.

(3) The Gram Panchayat shall have power to impose punishment of any description upon the employees appointed under sub-section (2) subject to such conditions and restrictions and in accordance with such procedure as may be prescribed.

(4) The Gram Panchayat may delegate to the Pradhan or to any of its Committes, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, the power to impose any minor punishment upon the employees appointed under sub-section (2).

(5) An appeal from an order imposing any punishment on an employee under sub-section (3) shall lie to such officer or commit as may be specified by the Statte Government by notification.

(6) The prescribed authority may, subject to such conditions as may be prescribed, transfer any employee referred to in clause (b) of sub-section (1) from one Gram Panchayat to any other Gram Panchayat within the same district and the State Government or such other officer as may be empowered in this behalf by the State Government may similarly transfer any such employee from one district to another.

(7) A Nyay Panchayat may, with the previous approval of the prescribed authority, appoint any person so appointed shall be under the administrative control of the prescribed authority that shall have power to transfer, punish, suspend, discharge or dismiss him.

(8) Appeal shall lie from an order of the prescribed authority punishing, suspending, discharging or dismissing a person under sub-section (7) to an authority appointed in this behalf by the State Government.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 25A-28]

Secretary	25-A	The State Government, or such officer or authority as may be empowered by it in this behalf shall appoint a Secretary from amongst the employees referred in clause (b) of sub-section (1) or sub-section (2) of section 25, who shall act as Secretary of such Gram Panchayat or Gram Panchayats, within whose territorial limits such Gram Panchayats are situated and perform such other duties as may be specified by the State Government or such officer or authority as may be empowered in this behalf by the State Government.] ⁵
-----------	------	---

Right of individual members	26-	A member of a [Gram Panchayat] ² may, at any meeting move any resolution and put question to the Pradhan or Up-Pradhan on matters connected with the administration of the [Gram Panchayat] ² in the manner prescribed.
-----------------------------	-----	---

Surcharge

27- (1) Every Pradhan or Up-Pradhan of a [Gram Panchayat]³, every member of a [Gram Panchayat]² or of a Joint Committee or any other committee constituted under this Act and every Sarpanch, Sahayak Sarpanchor Panch of a Nyaya Panchayat shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of money or property [belonging to the Gram Panchayat or Nyaya Panchayat]⁴ as the case may be, if such loss, waste or misapplication is direct consequence of his neglect of misconduct while he was such Pradhan, Up-Pradhan, Member, Sarpanch, Sahayak Sarpanch or Panch:

Provided that such liability shall cease to exist after the expiration of ten years from the occurrence of such loss, waste or misapplication, or five years from the date on which the person liable ceases to hold this office, whichever is later.

(2) The prescribed authority shall fix the amount of the surcharge according to the procedure that may be prescribed and shall certify the amount to the collector who shall, on being satisfied that the amount is due, realize it as if it were an arrear of land revenue:

(3) A person aggrieved by the order of the prescribed authority fixing the amount, of surcharge may, within thirty days of such order, appeal against the order to the State Government or such other or appellate, authority as may be prescribed.

(4) Where no proceeding for fixation and realization of surcharge as specified in sub-section (2) is taken the State Government may institute a suit for compensation for such loss, waste or misapplication, against the person liable for the same.]¹

Member and servants to be public servants

28- Every member or servant of a Nyaya Panchayat, a [Gram Panchayat]², a joint committee or any other committee constituted under this Act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

¹ Subs. by section 17 of U.P. Act No. 37 of 1978.

² Substituted by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.

³ Subs. by section 33 (a) of *ibid.*

⁴ Added by section 33 (b) of *ibid.*

⁵ Substituted by section 2 of U. P. Act No. 27 of 1999.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 28A-28B]

Bhumi Prabandhak Samiti

28-A (1) The [Gram Panchayat]³ [***]⁴ shall also be the Bhumi Prabandhak Samiti and as such discharge the duties of up-keep, protection and supervision of all property belonging to or vested in or held [by the Gram Panchayat]⁵ under section 117 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, or under any other provision of that Act.

(2) The Pradhan and Up-Pradhan shall respectively be the Chairman and the Vice-Chairman of the Bhumi Prabandhak Samiti, and the Lekhpal of the area comprised in the jurisdiction of the [Gram Panchayat]⁶ shall be its Secretary.]¹

[Function of the Bhumi Prabandhak Samiti]

28-B (1) The Bhumi Prabandhak Samiti shall for and on behalf of the [Gram Panchayat]⁷ be charged with the general management, preservation and control of all property referred to in section 28-A including-

U.P. Act no. 1
1951

(a) the settling and management of land but not including the transfer of any property for the time being vested in the [Gram Panchayat]⁷ under section 117 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 or under any other provision of that Act,

(b) the preservation, maintenance and development of forests and trees;

(c) the maintenance and development of *abadi* sites and village communications;

(d) the management of *hats*, *bazare* and *melas*;

(e) the maintenance and development of fisheries and tanks;

(f) the rendering of assistance in the consolidation of holdings ;

(g) the conduct and prosecution of suits and proceedings by or against the [Gram Panchayat]³ relating to or arising out of the functions of Samiti ;

(h) the performance of functions specifically assigned to the Bhumi Prabandhak Samiti under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 or any other enactment ; and

(i) any other matter relating to such management, preservation and control as may be prescribed ;

and may exercise all powers of the [Gram Panchayat]³ necessary for or incidental to the discharge of such duties.]²

(2) The Bhumi Prsbandhak samiti shall function subject to the provisions of U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

-
1. Substituted by section 7 of U. P. Act no. 3 of 1973.
 2. Substituted by section 8 of U. P. Act No 37 of 1978.
 3. Substituted by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.
 4. Omitted by section 34 (a) (i) *ibid*.
 5. Subs. by section 34 (a) (ii) of *ibid*.
 6. Subs. by section 34 (b) of *ibid*.
 7. Subs. by section 35 of *ibid*.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 28C-29]

Members and
Officers
not acquire
interest in
contracts, etc.
with Bhumi
Prabandhak
Samiti

[28-
C

(1) No member or office bearer of a [Gram Panchayat]² or, Bhumi Prabandhak Samiti shall, otherwise than with the permission in writing of the Collector etc. knowingly acquire or attempt to acquire or stipulate for or agree to receive or continue to have himself or through a partner or otherwise any share or interest in any licence, lease, sale, exchange, contract or employment with, by or on behalf of the Samiti concerned :

Provided that a person shall not be deemed to acquire or attempt to acquire or continue to have or stipulate for or agree to receive any share or interest in any contract or employment by reason only of his-

(a) having acquired any interest before he became a member or office-bearer ;

(b) he holds a part in the joint stock company that has contracted.

(c) having a share or interest in the occasional sale through the Samiti concerned of an article in which he regularly trades up to a value not exceeding Rs.50 in anyone year.

(2) No Court or other authority shall enforce at the instance of any person a claim based upon a transaction in contravention of the provisions of sub-section (1).¹

Committees

29-

[(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act or the rules made thereunder, every Gram Panchayat shall constitute such committee or committees as may be notified by the State Government from time to time, to assist the Gram Panchayat in the performance of all or any of its functions and may delegate to such committee or committees such of its powers of functions as it may deem fit.

(2) Every committee constituted under sub-section (1) shall consist of a Chairman and six other members, who shall be elected by the members of the Gram Panchayat from amongst themselves in the prescribed manner :

Provided that in each such committee there shall be atleast one woman member, one members belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and one member belonging to Backward Classes :]³

Provided further that the State Government may designate any Government servant as Co-Secretary to a committee related to any particular subject.”]⁴

[(3) The State Government may, if and when so required, Constitute a Sub-committee for a particular subject to assist the main Committee by notification.”]⁵

-
1. Added by Schedule VIII (II) of U. P. Act No. 33 of 1961.
 2. Substituted by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.
 3. Chapter 2 of Substituted by section 3 of U. P. Act No. 33 of 1999.
 4. Subs. and ins. by section 2 (i) of Uttarakhand Act No. 28 of 2003.
 5. Added by section 2 (2) ibid.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 30-32]

Joint Committee 30-

(1) Subject to such rules as may be prescribed, two or more [Gram Panchayats]⁴ may combine by means of a written instrument to appoint a joint committee consisting of their representatives, for the purpose of transacting any business in which they are jointly interested and may-

(a) delegate to such committee power, with such conditions as they may think proper to impose, to frame any scheme binding on each such [Gram Panchayat]⁴ as to the construction and maintenance of any joint work and as to the power which may be exercised by any such [Gram Panchayat]⁴ in relation to such scheme; and

(b) Frame or modify rules regarding the continuation of such committee and the term of office, members thereof and the method of

conducting proceedings and correspondence.

(2) If any difference of opinion arises, between the [Gram Panchayats]⁴ acting under this section, it shall be referred to the prescribed authority whose decision thereon shall be final.

[(3) Where the prescribed authority so directs, two or more [Gram Panchayats]⁴ shall appoint a Joint Committee under this section for the joint discharge of any of the functions specified in sections 15 and 16.]²

31- [***]⁵

CHAPTER V

ACQUISITION OF LAND, GAON FUND AND PROPERTY

Gaon Fund [32- (1) There shall be a [Gaon Fund for each Gram Panchayat]⁶ and the same shall subject to the provisions of the annual estimate of income and expenditure passed under section 41, be utilized for carrying out the duties or obligations imposed upon the [Gram Sabha]³ or [Gram Panchayat]³ or any committee thereof by this or any other enactment :]¹

[Provided that such amount up to the total of all sums credited to the Gaon Fund under the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, minus the amount credited to the Consolidated Gaon Fund under section 125-A of that, Act as may be required by the Bhumi Prabandhak Samiti being utilized in carrying out its duties or obligations shall be made available out of the Gaon Fund to the Bhumi Prabandhak Samiti every year :

-
1. Substituted by section 26 of U. P. Act II of 1955.
 2. Ins. by section 9 of U.P. Act No. 3 of 1973.
 3. Substituted by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.
 4. Substituted by section 37 *ibid*.
 5. Omitted by section 38 *ibid*.
 6. Substituted by section 39 (a) *ibid*.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 32-A]

Provided further that in the event of any difference between the Bhumi Prabandhak Samiti on the one hand and the [Gram Panchayat]³ or [Gram Sabha]³ on the other about the requirements of funds by the Bhumi Prabandhak Samiti the matter shall be referred by the Pradhan to the prescribed authority whose decision shall be binding.]¹

(2) The following shall be credited to the Gaon Fund : --

(a) The proceeds of any tax imposed under this Act;

(b) All sums handed over by the State Government to the [Gram Panchayat;]³

(c) The balance, if any, standing to the credit of the Village panchayat previously in existence under the “Village Panchayat Act”.

(d) All sums ordered by a court [or required under any law]¹ to be placed to the credit of the Gaon Fund.

(e) All sums received under section 104;

(f) The sale-proceeds of all dust, dirt, dung or refuse including the dead bodies of animals, collected by the servants of the [Gram Panchayat]³;

(g) Such portion of the rent or other proceeds of nazul property as the State Government may direct to be placed to the credit of the Gaon Fund.

(h) Sums contributed to the Gaon Fund by any [Zila Parishad]² or other local authority;

(i) All sums received by way of loan or gift;

(j) Such other sums as may be assigned to the Gaon Fund by any special or general order of the State Government ;

(k) All sums received by the [Gram Panchayat]³ from any individual or corporation or the State Government under section 24 or any other law;

[(l) All sums received by way of grants-in-aid from the Consolidated Fund of the State.]⁵

(3) Nothing in this section shall affect any obligation of a [Gram Panchayat]⁶ arising from a trust legally imposed upon or accepted by it.

[(4) All withdrawal of moneys from the Gaon Fund and disbursement thereof shall be made jointly by the Pradhan and the Secretary of the Gram Panchayat.]⁷

-
1. Added by Schedule VIII (In U. P. Act no. 33 of 1961.
 2. For the term district board wherever it occurs in the Act, subs. by the term 'Zila Parishad by Schedule VIII (II) of U. P. Act. no. 33 of 1961.
 3. Substituted by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.
 4. Substituted by section 39 (a) *ibid*.
 5. Substituted by section 39 (b) *ibid*.
 6. Substituted by section 10 of U.P. Act No.21,1995
 7. Chapter-II added by section 4 of U.P. Act No. 33 of 1999.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 32-A]

[Finance
commission

32-A

(1) The Governor shall, as soon as may be within one year from the commencement of the Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992 and thereafter at the expiration of every fifth year, constitute a Finance Commission to review the financial position of the Gram Panchayat, Kshettra Panchayat and Zila Panchayat and to make recommendations to the Governor as to –

(a) the principles which should govern—

(i) the distribution between the State and the Gram Panchayats, Kshettra Panchayats and Zila Panchayats of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and fees leviable by the State, which may be divided between them and the allocation between the Gram Panchayats, Kshettra Panchayats and Zila Panchayats of their

respective shares of such proceeds ;

(ii) the determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to, or appropriated by the Gram Panchayats, Kshettra Panchayats and Zila Panchayats;

(iii) the grants in-aid to the Gram Panchayats, Kshettra Panchayats and Zila Panchayats;

(b) the measures needed to improve the financial position of the Gram Panchayats, Kshettra Panchayats and Zila Panchayats;

(c) any other matter referred to the Finance Commission by the Governor in the interest of sound finance of the Gram Panchayats, Kshettra Panchayats and Zila Panchayats.

(2) The Finance Commission shall consist of a Chairman and two other members who shall possess such qualifications and shall be selected in such manner as may be prescribed.

(3) The Finance Commission shall determine their procedure.

(4) The Chairman or a member of the Finance Commission may resign his office by writing under his hand addressed to the Governor but shall continue in his office till the resignation is accepted.

(5) A casual vacancy in the office of the Chairman or a member of the Finance Commission may be filled for the remainder of the period of his predecessor.

(6) The Finance Commission shall have the following powers for their performance of its functions; namely –

(a) call for any record from any officer or authority;

(b) summon any person to give evidence or produce a record; and

(c) such other powers as may be prescribed.

(7) The Governor shall cause every recommendation made by the Finance Commission under this section together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon to be laid before both the Houses of the State Legislature.]¹

1. Added by section 40 of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 33-37]

Power to
acquire land

33-

Where a [Gram Panchayat]⁵ or a number of a [Gram Panchayats]² which have combined under the provisions of section 20 or 30 require any land to carry out any purpose of this Act, it or they shall first try to have the land by private negotiation and if the parties concerned fail to arrive at an agreement, such [Gram Panchayat]⁵ or [Gram Panchayats]⁵ may make an application in the prescribed form to the Collector to acquire the land and the Collector may acquire such land for such [Gram Panchayat]⁵ or [Gram Panchayats]⁵.

Explanation-- In this chapter the expression "land" includes benefits to arise out of land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth.

Property

34-

(1) Subject to any special reservation made by the State Government, all

vested in the
Gram Sabha

public property situated within the jurisdiction of a [Gram Panchayat]⁶ shall vest in and belong to the [Gram Panchayat]⁶ and shall, with all other property which may become vested in the [Gram Panchayat]⁶, be under its direction, management and control.

(2) All markets and fairs or such portion thereof as are held upon public land shall be managed and regulated by the [Gram Panchayat]⁶ and the [Gram Panchayat]⁶ shall receive to the credit of the Gaon Fund all dues levied or imposed in respect thereof.

Disposal
claims

35-

Where any dispute arises as regards the ownership of any property mentioned in section 34 between a [Gram Panchayat]⁶ and any person, the [Gram Panchayat]⁶ shall give such persons a reasonable opportunity of being heard and then decide whether to treat the said property as the property of the [Gram Panchayat].⁶

[36-

A [Gram Panchayat]⁶ may borrow money from the State Government or with the prior sanction of the prescribed authority and subject to such conditions as may be prescribed from any financial corporation established by law or any scheduled bank or the Uttar Pradesh Co-operative Bank or a District Co-operative Bank [or from any other Goan Shabha]² to carry out any of the purpose of this Act.]¹

[37-

(1) A [Gram Panchayat]⁸ shall levy the taxes described in clauses (a) and (b), and may levy all or any of the taxes, fees and rates described in clauses (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j) and (k), hereinafter appearing, namely -]³

[(a) in areas where the right, title and interest of intermediaries have been acquired under the Zamindari Abolition and Land Reforms Act 1950 the Jaunsar Bawar Zamindari Abolition and Land Refonds Act: 1956 or the Kumaun and Uttara khand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960, a tax on land [not less than twenty-five paise but not exceeding fifty paise]⁴ in a rupee on the amount of land revenue payable or deemed to be payable therefor :

-
1. Subs. by section 10 of U. P. Act no. 3 of 1973.
 2. Ins. by section 18 of U. P. Act no. 37 of 1978.
 3. Subs. section 19 (a) ibid
 4. Subs. section 19 (b) ibid
 5. Subs. by section 41 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 6. Subs. by section 42 and 43(a) ibid.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 37]

Provided that where the land is in the actual cultivation of a person other than the person by whom the land revenue therefor is payable or deemed to be payable, the tax shall be payable by the person in actual cultivation;

(b) in areas other than those referred to in clause (a), a tax on land revenue [not less than twenty five paise but not exceeding fifty paise]⁵ in a rupee on the amount of land revenue payable by a tenant, by whatever name called, under the law in force relating to land tenures:

Provided that where the land is in the actual cultivation of the person other than the person liable to pay land revenue therefor, the tax shall be

payable by the person in actual cultivation of such land;]⁴

[(c) a tax on theatre, cinema or similar entertainment temporarily stationed in the area of the [Gram Panchayat]⁷ not exceeding five rupees per diem;]³

(d) a tax payable by the owner thereof on animals and vehicles other than mechanically propelled vehicles kept within the area of the [Gram Panchayat]⁷ and plied for hire, at the rate –

(i) in the case of animals, not exceeding three rupees per animal per annum ;

(ii) in the case of vehicles, not exceeding six rupees per vehicle per annum ;

(e) [a tax]¹ on persons, not being persons assessed to [tax]¹ under clause (c), exposing, goods for sale in markets, fairs or melas belonging to or under the control of the [Gram Panchayat]⁷ concerned ;

(f) fees on the registration of animals sold in any market or place belonging to or under the control of the [Gram Panchayat]⁷ ;

(g) fees for the use of slaughter houses and encamping grounds;

[(h) a water rate where water for domestic consumptions is supplied by the [Gram Panchayat]⁷ ;]²

(i) a tax for cleaning private latrines and drains payable by the owners or occupiers of the houses to which the private latrine or drain is attached, where such cleaning is done through the agency of the [Gram Panchayat]⁷ ; and

[(j) a tax for cleaning and lighting of streets and sanitation;]⁶

1. Subs. by section 4 (2) of U. P. Act no. 19 of 1957.

2. Subs. by section 4 (a) of U. P. Act no. 10 of 1965.

3. Added by schedule VIII (II) U.P Act no. 33 of 1961.

4. Subs. by section 11 (2) of U. P. Act no. 3 of 1973.

5. Subs. by section 19 (c) of U. P. Act no. 37 of 1978.

6. Subs. by section 19 (d) ibid.

7. Subs. by section 2 of U. P. Act no. 9 of 1994.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 37A-37C]

[(k) an irrigation rate where water for irrigation purposes is supplied by the [Gram Panchayat]² from any small irrigation project constructed or maintained by it;]¹

[(l) any other tax which the State Legislature has the power under the Constitution, including Article 277 thereof, to impose in the State and of which imposition by the Gram Panchayat has been authorized by the State Government.]³

(2) The taxes, rates and fees under sub-section (I) shall be imposed, assessed and realized in such manner and at such times as may be prescribed.

37-A (1) An appeal against the levy of a tax, rate or fees by the [Gram Panchayat]⁴ shall lie to the prescribed authority.

(2) Where it is brought to the notice of the prescribed authority that a tax, rate or fee has not been imposed on any person on whom it should have been imposed it may direct the [Gram Panchayat]⁴ to impose it on that person or persons and the [Gram Panchayat]⁴ shall thereupon act accordingly.

Taxes and
dues recover-
able as arrear
of land revenue

37-B All dues on account of the taxes imposed and other sums payable to a [Gram Panchayat]⁴ under this Act shall be recovered as arrears of land revenue if the [Gram Panchayat]⁴ concerned passes a resolution to that effect Within three months from the date of assessment :

Provided that where a [Gram Panchayat]⁴ fails to pass such a resolution Within the said period of three months the prescribed authority shall authorize the recovery of the arrears of taxes as arrears of land revenue.

Remission of
tax, rate or
fee.

37-C (1) The State Government may remit the whole or part of any tax, rate or fee levied by a [Gram Panchayat]⁴ in respect of a period whether before or after the commencement of the U. P. Panchayat Raj (Amendment) Act, 1954.

(2) The power exercisable by the State Government under sub-section (1) shall also be exercisable either generally or in any specified area by the prescribed authority under such circumstances as the State Government may prescribe.

(3) A [Gram Panchayat]⁴ also may by resolution and under such circumstances as may be prescribed remit the whole or part of any such tax, rate or fee imposed or levied by it :

Provided that no such resolution shall take effect unless it is approved by the prescribed authority.

-
1. Added by section 4 (b) of U. P. Act no. 10 of 1965.
 2. Subs. by section 2 of U. P. Act no. 9 of 1994.
 3. Subs. by section 43 (b) *ibid*.
 4. Subs. by section 44 *ibid*.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 38-42]

(4) Where any tax, rate or fee has been remitted under sub-sections (1) to (3), any sum realized from the assessee on account of the tax, rate or fee so remitted shall be refunded to him by the [Gram Panchayat]⁵.¹

Realization of
dues, custody
of funds and
accounts

38- The Gaon Panchayat shall, as prescribed, arrange for the realization of panchayat taxes and dues, custody of its funds and maintenance of accounts.

Expenses of
Nyaya pancha-
yat to be
charge on
Gaon Fund

39- [(1) The expenses of Nyaya Panchayat shall be charged to the Gaon Fund or Gaon Funds of the [Gram Panchayats]⁵ comprised in the circle in such proportion as may be determined by the prescribed authority.

(2) All sums realized by way of court fees or fines in a case tribal under this

Audit Act shall be credited to the State Government, but the State Government, shall out of the sums so realized by way of grant such portion not exceeding fifty per centum as it may fix to the [Gram Panchayat]⁵ concerned for defraying the expenses of the Nyaya Panchayat.]²

Audit [40- The accounts of every [Gram Panchayat]⁵ and Nyaya Panchayat shall be audited [every year]⁶ and in such manner [and on payment of such fee]⁴ as may be prescribed.]³

Budget of Gram Panchayat [41- Every Gram Panchayat shall, within such period and in such manner as may be prescribed, prepare a statement of the estimated receipts and expenditure of the Gram Panchayat for the financial year commencing on the first day of April next following which shall be passed by the Gram Panchayat by a simple majority of the members present and voting at a meeting of the Gram Panchayat and the quorum for such a meeting shall be more than half of the total number of the members of the Gram Panchayat.]⁷

CHAPTER VI

The Nyaya Panchayat

Establishment of Naya panchayat 42- (1) The State Government or the prescribed authority shall divide a district into circles, each circle comprising as many areas subject to the jurisdiction of the Gram Panchayat]⁸ as may be expedient, and establish a Nyaya Panchayat for each such circle:

Provided that the areas of Gram Panchayats]⁸ within each circle shall, as far as possible, be contiguous.

-
1. Added by section 29 of U. P. Act II of 1955.
 2. Added by section 30 ibid.
 3. Added by section 31 ibid.
 4. Ins. by section 20 of U. P. Act no. 37 of 1978.
 5. Subs. by section 45 of U. P. Act no. 9 of 1994.
 6. Subs. by section 46 ibid.
 7. Subs. by section 47 ibid.
 8. Subs. by section 48 ibid.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 43-47]

(2) Subject to a minimum often and a maximum of twenty-five, every Nyaya Panchayat shall have such number of members, as may be prescribed, but it shall be lawful for a Nyaya Panchayat to function notwithstanding any vacancy therein :

Provided the number of Panches therein is not less than two thirds of the prescribed strength.

Appointment of Panches and their term 43- (1) There shall be appointed by the prescribed authority out of the members of a [Gram Panchayat]⁷ such number of persons, as may be prescribed, to be Panches of the Nyaya Panchayat and thereupon the persons so appointed shall cease to be members of the [Gram Panchayat]⁷ and their seats in the [Gram Panchayat]⁷ shall be filled, as far as may be, in the manner provided in section 12:

[Provided that if the requisite number of members of a [Gram Panchayat]⁷

are not available for being Panches of the Nyaya Panchayat it shall be lawful for the prescribed authority to fill in any seat so remaining vacant by nomination from amongst other members of the [Gram Panchayat].⁶

(2) No person may be appointed as a Panch of the Nyaya Panchayat unless he has the qualifications that may be prescribed:

[Provided that where suitable persons having the prescribed qualifications are not available for such appointment any or all of such qualifications may, by an order in writing, be relaxed by the prescribed authority.]⁴

Election of
sarpanch and
Sahayak
Sarpanch

44- [The panches appointed under section 43 shall, in the manner and within the period to be prescribed, elect from amongst them two persons who are able to record proceedings, one as the Sarpanch and the other as the Sarpanch :

Provided that if the panches fail to elect the Sarpanch or the Sahayak Sarpanch as aforesaid the prescribed authority may appoint the Sarpanch or the Sahayak Sarpanch.]¹

Term of a
Panch

45- [The term of every Panch of a Nyaya Panchayat shall commence on the date of his appointment as such and, unless otherwise determined under the provisions of this Act, shall expire with the term of the [Gram Panchayat]⁶, from which he was appointed:

Provided that the Sarpanch and the Sahayak Sarpanch shall continue in office until their respective successors are elected or appointed.]⁵

46- [***]²

Resignation of
Panches

47- [A Panch, a Sarpanch or Sahayak Sarpanch may resign his office as such by writing under his hand addressed to such authority as may be prescribed and his office shall thereupon become vacant.]³

-
1. Substituted by section 34 of U. P. Act II of 1955.
 2. Sub.by section 36 ibid.
 3. Del. by section 37 ibid.
 4. Subs. by section 13 of U.P. Act No. 15 of 1960.
 5. Subs. by section 14 ibid.
 6. Subs. by section 12 of U.P. Act No. 3 of 1973.
 7. Sub. by section 2 of U.P. Act No. 9 of 1994.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 48-51]

48- [***]¹

Bench of
Nyaya
Panchayat

49- [(1) The Sarpanch shall form Benches consisting of five Panches each for the disposal of cases and inquiries coming up before the Nyaya Panchayat.

(2) The formation of Benches, the period for which they will work including the hearing of part heard cases, the method of distribution transfer or re-transfer of work among the Benches and procedure generally to be followed by them in cases and enquiries shall be governed by rules.

(3) No Panch, Sarpanch or Sahayak Sarpanch shall take part in the trial of or inquiry in any case to which, he or any near relation, employer, employee, debtor, creditor or partner of his is a party or in which any of them is personally interested.

(4) Notwithstanding anything contained in this section, the State Government

may prescribe the constitution. of Special Benches for the trial of any class or classes of cases :

Provided that the State Government may at any time order for the re-constitution of such a Special Bench.

(5) Any dispute relating to the formation of Benches or method of their working shall be referred to the prescribed authority whose decision shall be final.]²

Filling of
casual
vacancies

[50-

(1) If a vacancy in the office of a Panch arises by reason of his death, removal or resignation it shall, subject to the provisions of section 45, be filled for the unexpired part of his term by the prescribed authority by appointing a person from amongst the member for the time being of the [Gram Panchayat]⁶, and if the Panch vacating the office was also the Sarpanch or Sahayak Sarpanch a new Sarpanch or Sahayak Sarpanch, as the case may be, shall be elected in the manner provided in section 44.

(2) Any person appointed as Panch under sub-section (1) shall cease to be a member of the [Gram Panchayat]⁶ from the date of his appointment and the vacancy so caused in the [Gram Panchayat]⁶ shall be deemed to be a casual vacancy for the purpose of section 12-H.]³

Power of
Sahayak
Sarpanch

[50-A

The Sahayak Sarpanch shall exercise such powers of the Sarpanch as may be prescribed.]⁴

Territorial
jurisdiction V
of 1898

[51-

(1) Notwithstanding anything contained in the [Code of Criminal Procedure, 1973]⁷ every criminal case triable by a Nyaya Panchayat shall be instituted before the Sarpanch of the Nyaya Panchayat of the circle in which the offence is committed.]⁵

V of 1908

-
- 1 Deleted by section 38 of U. P. Act no. 2, 1955.
 - 2 Sub. by section 39 ibid.
 - 3 Sub. by section 40 ibid.
 - 4 Added by section 41 ibid.
 - 5 Subs. by section 42 (i) ibid.
 - 6 Sub. by section 2 of U.P. Act No. 9 of 1994.
 - 7 Subs. by section 21 (a) of U.P. Act No. 37 of 1978.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 52-53]

Act no.5 of
1908

(2) Notwithstanding anything contained in the Civil Procedure Code, 1908 every civil case instituted under this Act shall be instituted before the Sarpanch of the Nyaya Panchayat of the circle in which [the defendant or, where there are more than one, all the defendants ordinarily reside or carry on business]³ at the time of the institution of the civil case irrespective of the place where the cause of action arose.

(3) [***]¹

Offences
cognizable
by Nyaya
panchayats

[52-

(1) The following offences as well as abetments of and attempts to commit such offences, if committed within the jurisdiction of a Nyaya Panchayat, shall be cognizable by such Nyaya Panchayat----

(a) offences under sections 140, 160, 172, 174, 179, 269, 277, 283, 285, 289, 290, 294, 323, 334, 341, 352, 357, 358, 374, 379, 403, 411 (where

Act XLV of 1860 the value of the stolen or mis-appropriated property in cases under sections 379, 403 and 411 does not exceed fifty rupees), 426, 428, 430 , 431, 447, 448, 504, 506, 509 and 510 of the Indian Penal Code, 1860 ;

Act I of 1871 (b) offences under sections 24 and 26 of the Cattle Trespass Act, 1871 ;

Act I of 1926 (c) offences under sub-section (1) of section 10 of the United Provinces District Board Primary Education Act, 1926 ;

(d) offences under sections 3,4, 7 and 13 of the Public Gambling Act, 1867 ;

Act III of 1867 (e) any other offence under aforesaid enactments or any other enactment as may, by notification in the official Gazette, be declared by the State Government to be cognizable by a Nyaya Panchayat ; and

(f) any offence under this Act or any rule made thereunder ;

(1-A) The State Government may by order published in the official Gazette empower any Nyaya Panchayat to take cognizance of offences under sections 279,286, 336 and 356 of the Indian Penal Code, 1860 and may like-wise withdraw any offence referred to in clauses (a) to (d) of sub-section (1) from the cognizance of Nyaya Panchayats generally or such Nyaya Panchayats as may be specified.]²

(2) Any criminal case relating to an offence under sections 143, 145, 151 or 153 of the Indian Penal Code, 1860, pending before any court may be transferred for trial to the Nyaya Panchayat if in the opinion of such court the offence is not serious.

Security for keeping the peace 53-

(1) Whenever the Sarpanch of a Nyaya Panchayat has reason to apprehend that any person is likely to commit a breach of peace or disturb public tranquility he may call upon such person to show cause why he should not execute a bond for an amount not exceeding Rs.100 with or without sureties for keeping the peace for a period not exceeding 15 days.

-
1. Omitted by section 42 (2) of U. P. Act II of 1955.
 2. Substituted by sec. 43 ibid.
 3. Subs. by sec. 21 (b) of U. P. Act no. 37 of 1978.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 54-55]

(2) The Sarpanch, shall after issue of such notice [refer the matter to a Bench]². The Bench may either confirm the order or discharge the notice after hearing such person and such witnesses as he may desire to produce.

[(3) If the person required to execute a bond as aforesaid under sub-section (2) fails to do so, he shall be liable to pay a penalty up to five rupees as the Bench may fix for every day the default continues during the period fixed in the order.]³

Penalties 54-

(1) No Nyaya Panchayat shall inflict a substantive sentence of imprisonment.

(2) A Nyaya Panchayat may impose a fine not exceeding [two hundred and fifty rupees]⁶ hut no imprisonment may be awarded in default of payment :

[Provided that no accused shall be tried for more than three offences in the same criminal case and the fine that may be imposed on anyone accused in a criminal case shall not in the aggregate exceed [two hundred and fifty rupees]⁶.]⁴

Cognizance of
case [55-

(1) After a Nyaya Panchayat has been established for any area, no court except as otherwise provided in this Act shall take cognizance of any case triable by such Nyaya Panchayat.

Act XLV of
1860

(2) When a Nysya Panchayat is suspended, superseded or dissolved under section 95, or for any other reason ceases to function, all cases pending before it shall stand transferred to the court of competent jurisdiction which shall dispose them of according to law:

Provided that the trial of all such cases in court shall commence de novo:

Provided further that a Nyaya Panchayat shall not be deemed to cease to function merely for the reason that its Panches have to be re-elected.

(3) Notwithstanding anything contained in section 52 and in sub-section (1) of this section any court may take cognizance of any offence under sections 431 and 447 of the Indian Penal Code, 1860, if it is otherwise competent to do so.

(4) Notwithstanding anything contained in section 52 and sub-sections (1) to (3) of this sections but subject always to the provision of the Code of Criminal Procedure 1898, where any court has taken cognizance of any offence referred to in the said sections and a summons or warrant, as the case may be, has issued for the appearance of the accused in such case,-the offence may be enquired into and tried by such court.]⁵

-
1. Subs. by see 43 of U. P. Act II of 1955.
 2. Subs. by sec. 44(1) *ibid*.
 3. Added by sub-section (2) section 44 of *ibid*.
 4. Added by section 45 *ibid*
 5. Subs. by section 46 *ibid*.
 6. Subs. by sec. 22 of U. P. Act no. 37 of 1978.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 56-59]

Transfer of
cases by courts
to Nyaya
Panchayats

[56-

A court if it finds that a case is triable by a Nyaya Panchayat shall except as provided in sub-section (4) of section 55 transfer the case to the Nyaya Panchayat of competent jurisdiction, which shall thereafter try the same de novo.]¹

57-

Nyaya Panchayat may dismiss any complaint if after examining complainant and taking such evidence as he produces it is satisfied that the complaint is frivolous, vexatious or untrue.

Transfer of
cases by Nyaya
Panchayat to

[58-

If at any time it appears to a Nyaya Panchayat--

(a) that it has no jurisdiction to try any case pending before it,

courts

(b) that the offence involved is one for which it cannot award adequate punishment, or

(c) that the case should otherwise be tried by a court, it shall transfer the same to the court of competent jurisdiction and shall give information of such transfer to the parties concerned.]²

Certain persons not to be tried by Nyaya Panchayats

[59-

No Nyaya Panchayat shall take cognizance of any criminal case against a person where such person- ----

(a) has been previously convicted of an offence punishable with imprisonment of either description for a term of three years or more,

(b) has been previously fined for theft by any Nyaya Panchayat,

(c) has been bound over to be a good behavior under section 109 or 110 of the Code of Criminal Procedure, 1898 [or of the Code of Criminal Procedure, 1973.]⁴

(d) has been previously convicted under the Public Gambling Act, 1867, or

(e) is a public servant.]³

Compensation to complainants

60-

In imposing any fine the Nyaya Panchayat may order any portion or the whole of the fine recovered to be applied-

(a) in defraying the expenses properly incurred in the criminal case by the complainant,

1. Substituted by sec, 47 U. P. Act no. II of 1955

2. Subs. by sec. 48 *ibid*.

3. Substituted by sec. 49 *ibid*.

4. Subs. by section 23 of U.P. Act No. 37 of 1978.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 60-64]

[(b) in the payment of any person of compensation for any material loss or injury caused by the offence, or]¹

[(c) in compensating any bona fide purchaser of stolen property for loss of the same, where property is restored to the possession of the person entitled thereto.]²

Compensation to the accused

[61-

(1) If in any Criminal case instituted before a Nyaya Panchayat any person is accused of any offence triable by a Nyaya Panchayat and the Nyaya Panchayat acquits the accused and is of the opinion that the accusation against him was false and either frivolous or vexatious, the Nyaya Panchayat may, call upon the complainant forthwith to show cause why he should not pay compensation to such accused.

(2) If after hearing the complainant, the Nyaya Panchayat is satisfied that the accusation was false and either frivolous or Vexatious it may direct, that compensation not exceeding twenty-five rupees be paid by such complainant to the accused.]³

U.P. Act VI of 1938
Act V of 1898

Release of offenders on probation 62- The powers under section 4 of the United Provinces First Offenders Probation Act, 1938, may be exercised by a Nyaya Panchayat.

Enquiry in cases for ward by magistrates [63- Notwithstanding anything in the Code of Criminal Procedure, [1973]⁵ a Magistrate may direct an enquiry referred to in section 202 of the Code to be made by a Nyaya Panchayat in a criminal case in which the offence was committed within the territorial jurisdiction of such Nyaya Panchayat and the Nyaya Panchayat shall enquire into the case and submit its report to the said Magistrate. On the receipt of the directions the Sarpanch or Sahayak Sarpanch and in their absence the Panch mentioned in section 75, shall entrust it to a Bench formed under section 49.]⁴

Extent of jurisdiction in civil cases [64- (1) Subject to the provisions of section 66 a Nyaya Panchayat may take cognizance of any civil case of the following description of its value does not exceed one hundred rupees--

(a) a civil case for money due on contract, other than a contract in respect of immovable property;

(b) a civil case for the recovery of movable property or for the value thereof;

(c) a civil case for compensation for wrongfully taking or injury a movable property; and

(d) a civil case for damages caused by cattle trespass.

-
1. Substituted by section of section 50 (2) U. P. Act No. II of 1955
 2. Added by section 50 (3), *ibid*.
 3. Subs by section 51 *ibid*
 4. Subs by section 52 *ibid*
 5. Subs by section 24 of U. P. Act no. 37 of 1978.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 65-68]

(2) The State Government, may by notification in the official Gazette, direct that the jurisdiction of any Nyaya Panchayat shall extend to all such civil cases of the value not exceeding five hundred rupees.]¹

65- [* * *]²

Exclusion of Nyaya Panchayat's jurisdiction [66- Subject to the provisions of section 64, a Nyaya Panchayat shall have no jurisdiction to take cognizance of the following civil cases--

(1) a civil case for a balance due on partnership account, except where the balance has been struck by the parties or their agents;

(2) a civil case for a share or part of a share under an intestacy or for a legacy or part of a legacy under a will ;

(3) a civil case by or against the State Government or the Central Government or a public servant for acts done in his official capacity;

(4) a civil case by or against a minor or a person of unsound mind;

and

(5) a civil case the cognizance of which by a Panchayat established under the U. P. Village Panchayat Act, 1920, is barred by section 25 of the United Provinces Debt Redemption Act, 1940.]³

Civil cases to include the whole claim 67-

(1) Every civil case instituted before a Nyaya Panchayat shall include the whole of the claim which the plaintiff is entitled to make in respect of the matter in dispute, but he may relinquish any portion of his claim in order to bring the civil case within the jurisdiction of the Nyaya Panchayat.

(2) If a plaintiff omits to sue in respect of or relinquishes any [portion of his claim]⁴ he shall not afterwards sue in respect of the [portion]⁴ so omitted or relinquished.

Limitations 68-

Every civil case instituted before a Nyaya Panchayat after the period of limitation prescribed therefor in the schedule shall be dismissed, even though limitation has not been set up as a defence :

[Provided that in computing the period of limitation prescribed for any civil case the time during which the plaintiff has been prosecuting with due diligence another civil case against the defendant in any court, shall be excluded where the other case is founded upon the same. cause of action and is prosecuted in good faith in a court which .from defect of jurisdiction or other cause of a like nature is unable to entertain it.]⁵

-
1. Subs. by sec. 53 of U. P. Act, II of 1955.
 2. Deleted by section 54 ibid.
 3. Subs. by section 55 ibid.
 4. Subs. by section 56 ibid.
 5. Added by section 57 ibid.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 69-74 A]

Effect of the decision by Nayaya panchayat 69-

[(1)]³ The decision of a Nyaya Panchayat on the question of title, legal character, contract or obligation shall not bind the parties except in respect of the civil case in which such matter is decided.

[(2) No conviction ordered by a Nyaya Panchayat shall by itself operate as, or be the basis of, any disqualification or penalty under any law for the time being in force.]³

70- [***]²

71- [***]²

72- [***]²

Rejudicata and pending suits 73-

(1) No Nyaya Panchayat shall try civil case, revenue case or issue in respect of any matter which is pending for decision in, or has been heard or

decided by a court of competent jurisdiction, in a former civil case between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim.

(2) Where a criminal case is instituted in respect of any offence or where an accused person has been tried for any offence, Nyaya Panchayat shall take cognizance of any such offence or on the same facts, of any other offence of which the accused might have been charged or convicted.

Concurrent jurisdiction 74- Where a [criminal or civil case]⁴ is maintainable in more than one Nyaya Panchayat, the [complainant or the plaintiff]⁵ as the case may be, may bring the complaint or the plaintiff in any one of such Nyaya Panchayat. Any dispute regarding jurisdiction shall be decided by the [Judicial Magistrate or the Munsif]⁶ having jurisdiction, as the case may be.

Trial when cause of action in a civil case [***]⁷ arises in circle, more than one U.P. Act V of 1908 [74-A Section 10 of the Code of Civil Procedure, 1908 shall apply to trial of civil cases [***]⁸ pending before two or more Nyaya Panchayats having jurisdiction.

-
1. Added by section 57 of U. P. Act no. II of 1955.
 2. Deleted by section 58 *ibid*.
 3. Renumbered by section 25 of U. P. Act no. 37 of 1978.
 4. Subs. by section 26 (a) *ibid*.
 5. Subs by section 26 (b) *ibid*.
 6. Subs. by section 26(c) *ibid*.
 7. Omitted by section 27 (a) *ibid*.
 8. Omitted by section 27 (b) *ibid*.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 74B-77 A]

Trial where scene of offence is uncertain or not in one circle only or where offence is a continuing one or consists of several acts 74-B Where it is uncertain in which of several circles an offence was committed partly in one circle and partly in another or where an offence is a continuing one and continues to be committed in more circles than one or where it consists of several acts done in different circles, it may be enquired into by a Nyaya Panchayat having jurisdiction in any such circles.]¹

Institution of suits and cases 75- (1) Any person who wishes to institute [a civil case or a criminal case]⁸ under this Act before a Nyaya Panchayat may make an application orally or in writing to the Sarpanch [and in his absence to the Sahayak Sarpanch]² in case of [their]³ absence from the circle to such other Panch as [may have been appointed by the Sarpanch]⁴ in this behalf and shall at the same time pay the prescribed fee. The Court Fees Act, 1870, shall not apply to Nyaya Panchayats except as may be prescribed. In every civil case the plaintiff shall state its value.

U. P. Act VII of 1870

[(2) Where a [* * *]⁹ case is instituted orally, the Sarpanch, Sahayak Sarpanch or Panch receiving the application shall record without delay the prescribed particulars and the signature or thumb impression of the applicant shall be taken thereon.]⁵

[Application to be laid before the Bench

76- The Sarpanch, Sahayak Sarpanch or in their absence the Panch mentioned in section 75, shall thereupon lay the application before a Bench of the Nyaya Panchayat, formed under section 49 for disposal and shall also fix a date for the first hearing of the application before the said Bench and give notice of the date to the applicant, complainant, or plaintiff as the case may be and to the members of the Bench.]⁶

[Chairman of a Bench

77- The Bench shall choose one of the members to be the Chairman of that Bench who shall conduct the proceedings.

Provided that where the Sarpanch or the Sahayak Sarpanch is a member of the Bench he, and where both of them are members of the same Bench the Sarpanch shall be the Chairman.]⁷

[Absence of a Panch from the Bench

77-A (1) If any Panch appointed to a Bench constituted under section 49 is absent at any hearing, the remaining Panches may notwithstanding anything contained in this Act, try the [criminal case or civil case]¹⁰ :

-
1. Added by section 60 of U. P. Act II of 1955.
 2. Added by section 61 (1) (a) *ibid*.
 3. Added by section 61(1) (b) *ibid*.
 4. Subs. by section 61(1) (c) *ibid*.
 5. Added by section 61(2) *ibid*
 6. Subs. by section 62 *ibid*,
 7. Subs. by section 63 *ibid*.
 8. Deleted. by section 28 (a) of U. P. Act no. 37 of 1978.
 9. Deleted by section 28 (b) *ibid*.
 10. Added by section 29 *ibid*.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 78-80]

Provided, however, that at least three Panches including the Chairman, are present and provided that at least one of the punches present is able to record evidence and proceedings.

(2) No trial as aforesaid shall be invalid by reason merely that all the five Panches forming the bench were not present at any hearing or that the same Panches were not present at all the hearings.

(3) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall *mutatis mutandis* apply to an inquiry made by a Nyaya Panchayat under section 63.]¹

Dismissal of suits and cases in the absence of the party concerned

78- [(1) If the plaintiff or the complainant, as the case may be, fails to appear after having been informed of the time and place fixed for hearing, the Nyaya Panchayat may dismiss the case or pass such other order as it may deem fit.]³

(2) The Nyaya Panchayat may hear and decide [a civil or criminal case, in the absence of the defendant or the accused as the case may be]⁴ if the summons have been served upon him or if he has been informed of the time and place fixed

for hearing.

Nyaya
Panchayat not
to revise or
alter its
decision

79- (1) Except as provided in sub-section (2), or to correct a clerical error, a Nyaya Panchayat shall have no power to cancel revise or alter any decree or order passed by it.

(2) A Nyaya Panchayat may for sufficient reasons to be recorded, on application made within one month of the date of the decree or order or knowledge thereof in case personal service of summons has not been affected restore any [civil or criminal case]⁵ which has been dismissed in default or in which a decree or order has been passed ex parte.

Legal
practitioner
not to appear
before Nyaya
Panchayat

80- No legal practitioner shall appear, plead or act on behalf of any party before a Nyaya Panchayat :

Provided that a person who is arrested and is detained in custody shall have the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice.]²

-
1. Added by section 3 of U. P. Act XXIII of 1952.
 2. Added by section 65 of U. P. Act no. 2, 1955.
 3. Added by section 30 (a) of U. P. Act no. 37 of 1978.
 4. Subs. by section 30 (b) ibid.
 5. Subs. by section 31 ibid.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 81-84]

Appearance in
person or by
representative

81
-

Subject to the provisions of section 80 any party to a [Civil case or criminal case]⁶ may appear before a Nyaya Panchayat either in person or by such servant (not being a tout), partner, relation or friend [duly authorised in writing]¹ by him as the Nyaya Panchayat may admit as a fit person to represent him :

[Provided that no stamp duty shall be required to be paid for any power of attorney filed under this section.]²

[Special
jurisdiction in
certain matter

82
-

Notwithstanding anything contained in this Act of in any other law for the time being in force, it shall be lawful for a Nyaya Panchayat to decide any dispute arising in its local area and not pending in any court in accordance with any settlement, compromise or oath agreed upon in writing by the parties.]³

Procedure and
power to
ascertain truth

83
-

[(1)]⁴ Nyaya Panchayat shall receive such evidence in a [civil case or criminal case]⁶ as the parties may adduce and may call for such further evidence as, in their opinion, may be necessary for the determination of the points in issue. It shall be the duty of the Nyaya Panchayat to ascertain the facts of every [civil case or criminal case]⁶ before it by every lawful means in its power and thereafter to make such decree or order, with or without costs, as to it may seem just and legal. It may make local investigation in the [locality]⁷ to, which the dispute relates. It shall follow the procedure prescribed by or under this Act. The Code of Civil Procedure, 1908, [the Code of Criminal Procedure 1973]⁸ the Indian Evidence Act, 1872 and the [Limitation Act, 1963]⁹ shall not apply to any [civil case or criminal case]⁶ in a

V of 1908

Nyaya Panchayat except as provided in this Act or as may be prescribed.

[(2) Nothing in this sub-section shall entitle any party to compound any offence which is not compoundable under the provisions of the Code of Criminal Procedure, [1973]¹⁰ or to compound an offence without the permission of the Bench concerned, if it is compoundable with permission under the provisions of the said Code.]⁵

[(3) Where in the opinion of the Nyaya Panchayat, any party deliberately delays the disposal of a case, it may impose on such party costs not exceeding five rupees, payable to the other party.]¹¹

Majority to 84 In the event of any disagreement between the Panches the opinion of the
prevail - majority shall prevail.

-
1. Added by section 66 (1) of U. P. Act No. 2 of 1955.
 2. Added by section 66 (2) *ibid*.
 3. Added by section 67 *ibid*.
 4. Renumbered by section 68 (1) *ibid*
 5. Added by section 68 (2) *ibid*.
 6. Subs. by section 32 and 33 (a) of U.P. Act no. 37 of 1978.
 7. Sub. by section 33(a) (ii) *ibid*.
 8. Sub. by section 33(a) (iii) *ibid*.
 9. Sub. by section 33(a) (iv) *ibid*.
 10. Sub. by section 33(b) *ibid*
 11. Sub. by section 33(c) *ibid*.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 85-87]

Power of [8 (1) On the application of any of the parties and after notice to the parties and
superior courts 5- after hearing such of them as desire to be heard or on his motion without such
to transfer notice [the Judicial Magistrate or the Munsif]² according as the case pending
cases from before a Nyaya Panchayat is a [criminal or civil case]³ may at any stage, withdraw
Nyaya the same and-

(i) try to dispose of the same, or

(ii) transfer it to another Bench of the Nyaya Panchayat,

(iii) transfer the same for trial or disposal to any other [Magistrate or Munsif]⁴ competent to try or dispose of the case.

[(2) Where any criminal or civil case has been withdrawn under sub-section (1), the court which thereafter tries it may either retry it or proceed from the stage at which it was withdrawn.]⁵

(3) If any application under sub-section (1) is either frivolous or vexatious the applicant may be fined up to fifty rupees by [the Judicial Magistrate or Munsif]⁶ as the case may be.]¹

Issue of 86 A Nyaya Panchayat may, if it considers the evidence of, or the production of a
summons to - document by, any person necessary in a [civil or criminal case]⁷ issue and cause to
witnesses be served in the prescribed manner, so summons on such person to compel his

attendance, or to produce or cause the production of such document, and such person shall be bound to comply with the direction contained in the summons. .

Penalties for
failing to
appear before
a Nyaya
panchayat

87

If any person who is summoned by a Nyaya Panchayat by a written order to appear to give evidence or to produce any document before it, willfully disobeys such summons or notice or order, the Nyaya Panchayat may make a complaint to the Magistrate having jurisdiction and the said person shall be punishable with fine which may extend to twenty-five rupees :

Provided that no woman shall be compelled to appear in person before the Nyaya Panchayat She may be examined on commission in the manner proscribed :

Provided also that if a document is produced in obedience to a summons issued under this section, the Nyaya Panchayat shall cause the document to be copied, mark the copy, after comparing with the original to be true copy and return the original document to the person producing the same:

-
1. Sub. by Sec. 69 of U. P. Act, no II, 1955.
 2. Sub. by Sec. 34(a)(i) of U. P. Act. No. 37, 1978.
 3. Sub. by Sec. 34(a)(ii) ibid.
 4. Sub. by Sec. 34(a)(iii) ibid.
 5. Sub. by Sec. 34(b) ibid.
 6. Sub. by Sec. 34(c) ibid.
 7. Substituted by section 35 ibid.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 88-89]

[Provided further that where it appears to the Nyaya Panchayat that a witness is unable to appear before it by reason of illness, or physical infirmity or that his presence cannot be procured without unreasonable delay, expense or inconvenience, it may, subject to such restrictions as may be prescribed, issue a commission in the manner prescribed to take the evidence of such witness. The evidence so taken shall form part of the record of the case.]¹

Dismissal of
civil cases etc.

88

A Nyaya Panchayat may dismiss any civil [* * *]³ case if after examining the plaintiff or the applicant it is satisfied that the civil [* * *]³ case is frivolous, vexatious or untrue.

Revision

89

(1) [A Judicial Magistrate or Munsif]⁴ according as it is a [criminal or civil case]⁵ may either on his own, motiou or on the application of any party made within 60 days from the date of the order complained of or where personal, service of summons had not been effected on the applicant from the date of the knowledge of the order call for the record of any case which has been decided by a Nyaya Panchayat and if it appears to him that in justice or material irregularity has occurred, he may make such order in the case as he thinks fit.

Explanation----Failure to exercise a jurisdiction vested by law or exercise of jurisdiction in excess of that vested by law shall for purposes of this section be

deemed to be a material irregularity.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the [Judicial Magistrate or Munsif]⁴ as the case may be, may-

- (a) quash the decree or order passed by the Nyaya Panchayat,
- (b) modify the order,
- (c) remand the case to the Nyaya Panchayat for retrial with such direction as he may deem fit, or
- (d) try the case himself or transfer it to another court or officer competent to try the same.

(3) If any application under sub-section (1) is found by the [Judicial Magistrate or Munsif]⁴ as the case may be, to be frivolous or vexatious, he may, for reasons to be recorded, make an order for the payment to the opposite party by the applicant of special costs not exceeding fifty rupees by way of compensation.

[(4) Except as aforesaid, a decree or order passed by a Nyaya Panchayat in any [civil or criminal case]⁶ shall not be open to appeal or revision in any court.]²

-
- 1. Added by section 70 of U. P. Act II of 1955.
 - 2. Substituted by section 71 *ibid*.
 - 3. Deleted by section 36 of U. P. Act no. 37 of 1978.
 - 4. Substituted by section 37(a) *ibid*.
 - 5. Subsisted by section 37(b) *ibid*.
 - 6. Substituted by section 37(c) *ibid*.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 90-94]

[(5) Notwithstanding anything contained in section 95, where any Judicial Magistrate or Munsif records a finding in an order passed under this section that any Panch or Panches (including any Sarpanch) of a Nyaya Panchayat has or have in relation to the case which gave rise to the revision, behaved in a manner unbecoming of his or their office, the prescribed authority may remove such Panch or Panches on the basis of such finding, and it shall not be necessary to give him or them any opportunity to show cause against the action proposed.]⁵

Summons to defendant or accused persons	90	A Nyaya Panchayat after an application is made under section 75, shall, unless it has been dismissed or otherwise disposed of under the provisions of this Act, cause summons in the prescribed form to be served in the proscribed manner on the defendant or the accused person [***] ⁶ requiring him to attend and produce his evidence at such time and place as may be stated in the summons and shall at the t same time direct the plaintiff or complainant [***] ⁶ to attend and produce his evidence at such time and place.
	91	[* **] ¹
	-	
Payment of adjustment of decree to be recorded	92	If on the application of the decree-holder or the judgment debtor, the Nyaya Panchayat which passed the decree finds after enquiry that the decree has been satisfied wholly or in the Nyaya Panchayat shall record the fact in the prescribed register.
	-	

Execution of decrees [93- (1) A decree or order passed by a Nyaya Panchayat shall be executed by it in such manner as may be prescribed. If the property of the defendant [***]⁷ is situated outside the jurisdiction of the Nyaya Panchayat passing the decree or order, it may in the manner prescribed transfer the decree or order for execution to the Nyaya Panchayat, within whose jurisdiction the property may be situated, and if there be no Nyaya Panchayat then to the court to the [Munsif]⁸ as the case may be, within whose jurisdiction it may be situated.

(2) If a Nyaya Panchayat finds any difficulty in executing a decree or order, it may forward the same to the [Munsif]⁹ as the case may be, who shall then execute the same as if it were a decree or order passed by him.]²

Recovery of fines 94 - [Any fine imposed, or compensation ordered to be paid in section 61]³ by a Nyaya Panchayat shall be recoverable in the manner [prescribed]⁴. But if the Nyaya Panchayat finds any difficulty in its recovery, it may request the [Judicial Magistrate]¹⁰ within whose jurisdiction the Nyaya Panchayat lies to recover it and he shall recover it as if the sentence of fine had been Passed by him.

-
1. Deleted by section 72 of U. P. Act no. 2 of 1955.
 2. Substituted by section 73 *ibid*.
 3. Substituted by section 74 (1) *ibid*.
 4. Substituted by section 74(2) *ibid*.
 5. Substituted by section 37 (d) of U. P. Act no. 37 of 1978.
 6. Deleted by section 38 *ibid*.
 7. Deleted by section 39 (a) (i) *ibid*.
 8. Substituted by section 39 (a) (ii) *ibid*.
 9. Substituted by section 39 (b) *ibid*.
 10. Substituted by section 40 *ibid*.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 94A-95]

Contempt of Nyaya Panchayat [94-A (1) If any person intentionally offers any insult to a Nyaya Panchayat or any member thereof, while it is sitting in any stage of judicial proceedings in its or his view or presence or refuses to take oath duly administered or sign a statement made by the said person when legally required to do so, the Nyaya Panchayat may at any time before rising on the same day take cognizance of the offence and sentence the offender to a fine not exceeding [tan rupees.]⁵

(2) The fine imposed under sub-section (1) shall, for the purpose of section 94, be deemed to be a fine imposed in a criminal case.]¹

CHAPTER VII

EXTERNAL CONTROL

Inspection 95 [(1)]² The Provincial Government may-

(a) cause to be inspected any immovable property owned [***]⁷, used or occupied by a [Gram Panchayat]⁶ or a joint or a [Nyaya Panchayat]³ or any work in progress under the direction of such [Gram Panchayat]⁶ or joint or a Nyaya Panchayat ;

(b) by an order in writing call for and inspect a book or document in the possession or under the control of a [Gram Panchayat]⁶ or a joint or a [Nyaya Panchayat]³.

(c) by an order in writing require a [Gram Panchayat]⁶ or a joint or a [Nyaya Panchayat]³ to furnish such statements, reports or copies Of

documents, relating to the proceedings or duties of the [Gram Panchayat]⁶ or such or a [Nyaya Panchayat]³ as it thinks fit ;

(d) record in writing for the consideration of a [Gram Panchayat]⁶ or joint committee any observation which it thinks proper in, regard to the proceedings or duties of such [Gram Panchayat]⁶ or joint committee;

(e) institute any enquiry in respect of any matter relating to a Gram Sabha , [Gram Panchayat]⁶ or Nyaya Panchayat; and

[(f) [***]⁸ dissolve any [***]⁹ [Gram Panchayat]⁶, Joint Committee, [Bhumi Prabandhak Samiti]³ or Nyaya Panchayat if in the opinion of the State Government such [***]⁹ [Gram Panchayat]⁶, Joint Committee [Bhumi Prabandhak Samiti]³ or Nyaya Panchayat has abused its position or has continuously failed to perform the duties imposed upon it by or under this Act or if its continuance is not considered desirable in public interest ;]⁴

1. ~~Added by section 75 of U. P. Act no, II of 1955.~~

2. Substituted by sub-section (1) of section 76 *ibid*.

3. Substituted by section 76(2) *ibid*.

4. Substituted by section 76(3) *ibid*.

5. Substituted by section 41 of U. P. Act no. 37 of 1978.

6. Substituted by section 2 of U.P. Act No. 9 of 1994.

7. Deleted by section 49 (a) (i) *ibid*.

8. Deleted by section 49 (a) (ii) (a) *ibid*.

9. Deleted by section 49 (a) (ii) (b) *ibid*.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 95]

Explanation- [***]⁶

[(g) [remove a Pradhan, Up-Pradhan or member of a Gram Panchayat]⁷ or a Joint Committee or Bhumi Prabandhak samiti, [***]⁸ or a Panch, Sahayak Sarpanch or Sarpanch of a Nyaya Panchayat if he-]⁵

(i) absents himself without Sufficient cause from more than three consecutive meetings or sittings.

(ii) refuses to act or becomes incapable of acting for any reason whatsoever or if he is accused of or charged for an offence involving moral turpitude,

(iii) has abused his position as such or has persistently failed to perform the duties imposed by this Act or rules made thereunder or his continuance as such is not desirable in public interest, [***]²

[(iii-a) has taken the benefit of reservation under sub-section (2) of section 11-A or sub-section (5) of section 12, as the case may be, on the basis of a false declaration subscribed by him stating that he is a member of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the Backward Classes, as the case may be;]¹¹

(iv) being a Sahaya Sarpanch or a sarpanch of the Nyaya Panchayat takes active part in politics.]¹ [or]³

[(v) suffers from any of the disqualifications mentioned in clauses (a) to (m) of section 5-A :]⁴

[Provided that where, in an enquiry held by such person and in such manner as may be prescribed, a Pradhan or Up-Pradhan is *prima facie* found to have committed financial and other irregularities such Pradhan or Up-Pradhan shall cease to exercise and perform the financial and administrative powers and functions, which shall, until he is exonerated of the charges in the final enquiry, be exercised and performed by a Committee consisting of three members of Gram Panchayat appointed by the State Government.]⁹

(gg) [***]¹⁰

[Provided that- ----

-
1. Added by sub-section (4) of section 76 of U. P. Act No. II of 1955.
 2. Del. by section 5(1) of U. P. Act No. 19 of 1957.
 3. Add. by section 5 (1) (ii) *ibid*.
 4. Add. by section 5 (1) (iii) *ibid*.
 5. Subs. by section 13 (1) of U. P. Act No. 3 of 1973.
 6. Subs. by section 49 (a) (ii) of U. P. Act No. 9 of 1994.
 7. Subs. by Section 49 (a) (iii) (a) *ibid*.
 8. Deleted by Section 49 (a) (iii) (a) *ibid*.
 9. Subs. by Section 49 (a) (iii) (c) *ibid*.
 10. Del. by Section 49 (a) (iv) *ibid*.
 11. Added by section 3 of U. P. Act No. 21 of 1998.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 95A-96]

(i) no action shall be taken under clause (f), clause (g) [***]⁷ except after giving to the body or person concerned a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed ;

(ii) [***]⁸]⁴

(h) [***]⁶

[(2) A person removed under sub-clauses (iii) and (iv) of clause (g) of sub-section (i) of this section shall not be entitled to be re-elected or re-appointed to any office under this Act for a period of five years or such lesser period as the State Government may order in any case.

(3) No order made by the State Government under this section shall be called in question in any court.

(4) Where any [***]⁹ [[Gram Panchayat]⁵, Joint Committee or Bhumi Prabandhak Samiti]³ is [dissolved]¹⁰ the State Government may appoint such person or persons to exercise and perform the powers and duties thereof as it may deem fit.]²

[95-A (1) If at any time it appears to the State Government that a [Gram Sabha]⁵ or a [Gram Panchayat]⁵ has made default in performing a duty imposed on it by or under this or any other enactment, the State Government may by order in writing fix a period for the performance of that duty.

(2) If the duty is not performed within the period so fixed, the State Government may direct such authority as may be specified to perform it and may further direct that the expenses, if any, of performing the duty shall be paid from the [Gram Sabha]⁵ Fund and thereupon the person having the custody of the fund

shall pay the amount from such fund.]¹

Prohibition of 96
certain
proceedings -

(1) The prescribed authority or any other officer specially empowered in this behalf by the State Government on information received or on his own initiative, may by order in writing prohibit the execution or further execution of a resolution or order passed or made under this or any other enactment by a [Gram Sabha]⁵, [Gram Panchayat]⁵ or a joint committee, or any officer or servant thereof if in his opinion such resolution or order is of a nature as to cause or likely to cause obstruction, annoyance or injury to the public or to any class or body of persons lawfully employed, or danger to human life, health or safety, or riot or affray. It may prohibit the doing or continuance by any person of any act in pursuance of or under cover of such resolution or order.

-
1. Added by section 7 of U. P. Act 6 of 1952.
 2. Added by sub-section (5) of section 76 of U. P. Act No. II of 1955.
 3. Subs. by Schedule VIII (ii) of U. P. Act No. 33 of 1961.
 4. Subs. by Section 13 (3) of U. P. Act No. 3 of 1973.
 5. Subs. by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.
 6. Deleted by Section 49 (a) (iv) (a) *ibid*.
 7. Subs. by Section 49 (a) (vi) *ibid*.
 8. Subs. by Section 49 (a) (vii) *ibid*.
 9. Del. by Section 49 (b) (i) *ibid*.
 10. Subs. by Section 49 (b) (ii) *ibid*.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 96A-98]

(2) Where an order is made under sub-section (1) a copy thereof, with a statement of the reasons for making it, shall forthwith be forwarded by the prescribed authority or the aforesaid officer to the State Government which may after calling for an explanation from the [Gram Sabha]³, [Gram Panchayat]³, joint committee or the officer or servant thereof and considering the explanation, if any made by it, rescind, modify or confirm the orders.

(3) Where the execution or further execution of a resolution or order is prohibited by an order made under sub-section (1) and continuing in force, it shall be the duty of the [Gram Sabha]³, [Gram Panchayat]³ or the joint committee or any officer or servant thereof, if so required by the authority making such order to take any action which it would have been entitled to take, if the resolution or order had never been made or passed and which is necessary for preventing any person from doing or continuing to do anything under cover of the resolution or order, of which the further execution is prohibited.

[Delegation of 96-A
powers by
State
Government

The State Government may delegate all or any of its powers under this Act to any officer or authority subordinate to it subject to such conditions and restrictions as it may deem fit to impose.]¹

CHAPTER VIII

PENALTIES AND PROCEDURE

Penalty for 97
infringement
of the provi-
sions of the
Act -

Whoever contravenes any provision of this Act [except the provisions of section 12-BCA or section 12-BCC]⁶ shall be punishable, unless otherwise prescribed, with fine, which may extend to [five hundred rupees]⁴, and when the breach is a continuing one with a further fine which may extend to [fifth rupees]⁴ for every day after the first conviction during which an offender is proved to have persisted in the offence.

Penalty for 97-A Whoever contravenes any order made under section 12-BCA or section 12-contravention BCC, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one of any order regarding requisition year or with fine or with both.]⁷

Infringement of rules and 98 In making a rule the State Government, and in making a by-law the [Gram by-laws - Panchayat]³ [with the sanction of the prescribed authority, may]² direct, that a breach of it shall be punishable with fine which may extend to [five hundred rupees]⁵, and when the breach is a continuing one with a further fine which may extend to [fifty rupees]⁵ for every day after the date of the first conviction during which the offender is proved to have persisted in the offence.

1. Added by section 7 of U. P. Act X of 1950.
2. Substituted by section 77 of U. P. Act no. II of 1955.
3. Subs. by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.
4. Subs. by section 50 *ibid.*
5. Subs. by section 51 *ibid.*
6. Subs. by section 6 of U. P. Act No. 29 of 1995.
7. Add. by section 7 *ibid.*

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 99-102]

Penalty for 99 (1) Whoever removes, displaces or makes an alteration in or otherwise tampering with the [Gram Panchayat]⁶ 's property - interference With any pavement, gutter or other material of a public street, or any fence, Wall or post thereof, or a lamp post or bracket, direction post, stand post, hydrant, or other such [property of the Gram Panchayat without is written sanction]⁴ or other lawful authority shall be punishable With fine which may extend to [one thousand rupees].⁵

(2) If through any act, neglect, or default on his part, a person has incurred a penalty imposed by sub-section (1) and has caused any damage to the property of a [Gram Panchayat]⁶, the person-incurring such penalty shall be liable to make good such damages as well as to pay Such penalty, and the damages may be recovered from the offender in the prescribed manner.

Disobedience to 100- If a notice has been given to a person under the provisions of this Act or of notice issued any rule or by-law made thereunder to a person requiring him to execute a work in respect of any property, movable or immovable, public or private, or to provide or do or refrain from doing anything within a time specified in the notice, and such person fails to comply with the notice, then-

(a) the [Gram Panchayat]³ may cause such work to be executed or such thing to be provided or done, and may recover all expenses incurred by it on such account from the said person in the prescribed manner [as arrears of land revenue]¹ :

(b) such person shall also be liable on conviction before the [Nyaya Panchayat]² to a fine which may extend to [five hundred rupees]⁷ and in case of continuing breach, of a further fine which may extend to [fifty rupees]⁷ or each day after the date of the first conviction during which the offender is proved to have persisted in the offence.

Notice not to 101- No notice shall be invalid on account of any defect or omission in its form.
be invalid

Appeals 102- (1) Any person aggrieved by an order or direction made by a [Gram Panchayat]³ under the Act or under any rule or by-law may, unless otherwise prescribed, within 30 days from the date of such direction or order, exclusive of the time requisite for obtaining a copy thereof appeal to the prescribed authority which may vary, set aside or confirm the said order or direction and may also award costs to or against the person filing the appeal.

(2) The prescribed authority may, if it thinks fit, extend the period allowed by sub-section (1) for appeal,

(3) The decision of the prescribed authority under sub-section (1) shall be final and shall not be questioned in any Court of law.

-
1. Substituted by section 78 (1) of U. P. Act no. II of 1955.
 2. Substituted by section 78 (2) *ibid*.
 3. Subs. by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.
 4. Subs. by section 52 (a) (i) *ibid*.
 5. Subs. by section 52 (b) (ii) *ibid*.
 6. Subs. by section 52(b) *ibid*.
 7. Subs. by section 53 *ibid*.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 103-105]

Suspension of 103- When an appeal has been filed against an order or direction in section 102 any
prosecution in proceeding to enforce such order or direction and any prosecution for the breach
certain cases thereof may, by order of the prescribed authority, be suspended pending the
decision of the appeal, and if such order or direction is set aside on appeal,
disobedience thereof shall not be deemed to be an offence.

Power to 104- (1) Subject to any rule made in this behalf a [Gram Panchayat]³ may, either
compound offences before or after the institution of any criminal case, compound an offence against
this Act or any rule or by-law made thereunder on payment of such sum in cash to
the [Gram Panchayat]³ as may be prescribed.

(2) When an offence has been compounded the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of the offence so compounded.

All sums paid by way of composition under this section shall be credited to the [Gaon Fund.]¹

Entry and 105- The [Pradhan]² of the [Gram Panchayat]³ and, if authorized in this behalf by
inspection the [Gram Panchayat]³, any other member, officer or servant of the [Gram Panchayat]³ may enter into or upon any building or land, with or without assistants or workmen, in order to make an inspection or surveyor to execute a work which a [Gram Panchayat]³ is authorized by this Act or by rules or by-laws made thereunder, to make or execute, or which it is necessary for a [Gram Panchayat]³ for any of the purposes or in pursuance of any of the provisions of this Act or of rules or by-laws, to make or execute :

Provided that-

(a) except when it is in this Act or rules or by-laws otherwise expressly provided, no such entry shall be made between sunset and sunrise, and

(b) except when it is in this Act or in rules or by-laws otherwise expressly provided, no building which is used as a human dwelling shall be so entered except with the consent of the occupier thereof and without giving the said occupier not less than four hours' previous written notice of the intention to make such entry, and

(c) sufficient notice shall in every instance be given even when any premises can otherwise be entered without notice to enable the inmates of an apartment appropriated for females to remove to some part of the premises where their privacy shall not be disturbed, and

(d) due regard shall always be had to the social and religious usages of the occupants of the premises entered.

-
1. Substituted by section 79 of U. P. Act No. II of 1955.
 2. Substituted by section 82 *ibid*.
 3. Subs. by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 106-108]

Suits against 106
[Gram Sabha]⁴
has, Gaon -
Panchyats, the
officers, or the
officers and
servants of
Nyaya
panchayats

[(1) No suit or other legal proceeding shall be instituted against a [Gram Sabha]⁴ or [Gram Panchayat]⁴ [or Bhumi Prabandhak Samiti or against member or officer or servant thereof or of Nyaya Panchayat]³ or against any person acting under the direction of any of these bodies or persons for any thing done or purporting to have been done in official capacity under this Act, Until the expiration of two months next after notice in writing has been, in the case of a [Gram Sabha]⁴ or [Gram Panchayat]⁴ delivered in or left at the office of the [Gram Panchayat]⁴ concerned and in the case of a member, officer or servant or any person acting under his direction or the direction of the [Gram Sabha]⁴, [Gram Panchayat]⁴ or Nyaya Panchayat delivered to him or left at his office or place of abode, explicitly stating the cause of action, the nature of the relief sought, the amount of compensation, if any claimed and the name and place of abode of the intending plaintiff and the plaint shall contain a statement that such notice has been so delivered or left.]¹

(2) No action such as is described in sub-section (1) shall be commenced otherwise than within six months next after the accrual of the cause of action.

Protection to 107-
[Gram
Panchayat]⁴
and Nyay
Adalat 18 of
1950

(1) The provisions of the Judicial Officer's Protection Act, 1850, shall apply to the members of Nyaya Panchayat.

(2) No civil case or prosecution shall be entertained in any court against a [Gram Panchayat]⁴ or any member or officer thereof or any person acting under its or his direction in respect of anything in good faith done or intended to be done under this Act or any rule or by-laws made thereunder.

Validity of 107-A
proceedings

Except as otherwise provided under this Act, a [Gram Sabha]⁴, [Gram Panchayat]⁴ or any committee thereof, shall have power to act, notwithstanding any vacancy in the membership or defect or irregularity in the enrolment of a

member thereof, and any proceedings in any [Gram Sabha]⁴, [Gram Panchayat]⁵ or committee shall be valid notwithstanding that there was any defect or irregularity in the enrolment of any member or that some person, who was not entitled so to do, sat or voted or otherwise took part in the proceedings, provided, however, that at least two-thirds of the persons present at the time of the act being done were not disqualified to be members.]²

Powers and duties of police in respect of offences and assistance to Panchayats

108- Every police officer shall give immediate information to [Gram Panchayat]⁴ of an offence coming to his knowledge which has been committed against this Act or any rule or by-law made there under and shall assist all members and servants of the [Gram Panchayat]⁴ and Nyaya Panchayat in the exercise of their lawful authority.

-
1. Substituted by section 81 of U.P. Act no II of 1955.
 2. Added by sect. 82 ibid.
 3. Subs. by Schedule VIII (II) of U. P. Act No. 33 of 1961.
 4. Subs. by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.
 5. Subs. by section 54 ibid.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 109-110]

109- If any dispute arises [as to the jurisdiction of a Nyaya Panchayat or]¹ between two or more [Gram Panchayats]⁶ or between a [Gram Panchayat]⁶ and the town area or a municipal board or a Zila Parishad, it shall be referred to the prescribed authority whose decision shall be final and shall not be questioned in any court of law.

Custody and mode of proof of record [109-A]

(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act—

(a) all records of a Gram Panchayat shall be in the custody of its [Pradhan]⁸ ;

(b) the [Pradhan]⁹ shall give to a person, on an application and on payment of such fee as may be prescribed, a copy of any such records and certify it as a true copy under his signature and seal of the Gram Panchayat.

[(c) Secretary of the Gram Panchayat Shall be responsible for proper maintenance and making entries in the records”]¹⁰

(2) A duly certified copy of any record of a Gram Panchayat shall be received as prima facie evidence of the matters therein recorded in every case, where and to the same extent as the original record would, if produced, have been admissible to prove such matters.]⁷

CHAPTER IX

RULES, BY-LAWS AND REPEALS

Power of State Government to make rules 110-

[(1) The State Government may by notification in the Gazette make rules for carrying out the purposes of this Act.]⁴

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for--

(i) any matter for which power to make provision is conferred expressly

or by implication on the State Government by this Act,

[(ii) the establishment of [Gram Sabha]⁶ or Nyaya Panchayat or the constitution of [Gram Panchayat]⁶;]³

²[(ii-a) qualifications for the Up-Pradhan ;

²[(ii-b) distribution of assets and liabilities of [Gram Panchayats]⁶ and Nyaya Panchayats consequent upon a change in their circles;

[(ii-c) presentation and disposal of election petitions and applications for revision under section 12-C;]⁵

1. Added by section 83 of U. P. Act II of 1955.
2. Subs. by section 85 (1) (a) *ibid*
3. Subs. by section 15 (a) of U. P. Act no. 15 of 1960.
4. Sub. by section 14 (i) of U. P. Act no. 3, 1973.
5. Subs. by section 43 (a) of U. P. Act No. 37 of 1978.
6. Subs. by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.
7. Chapter-II of substituted by section 5 of U.P. Act No. 33 of 1999.
8. Subs. by section 2 (1) of Uttarakhand Act No. 26 of 2003.
9. Ins. by section 2 (2) *ibid*.
10. Added by section 2 (3) *ibid*.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 110]

²[(ii-d) taking of oath by Pradhan, Up-Pradhan, members of [Gram Panchayats]⁵, Panch, Sahayak Sarpanch and Sarpanch ;

²[(ii-e) filing of resignation by Pradhan, Up-Pradhan, members of [Gram Panchayats]⁵, Panch, Sahayak Sarpanch and Sarpanch ;

¹[(ii-f) holding of general elections and bye-elections

[(ii-g) the appointment of Panches of Nyaya Panchayat ;]⁶

¹[(ii-h) grant of leave for absence to office bearers of [Gram Panchayat]⁴ and Nyaya Panchayat; and

¹[(ii-i) the carrying out of duties of the Pradhan and the Up- Pradhan in their absence for any cause ;

(iii) the time and place of the meetings of [Gaon Sabha]⁴, [Gram Panchayat]⁴ and Nyaya Panchayats, the manner of convening meetings and giving notice thereof;

(iv) the conduct of proceedings including the asking of questions by members at meetings and the adjournment of meetings and also minute books of meetings ;

(v) the establishment of committees and the determination of all matters relating to the constitution and procedure of such committees;

(vi) the suspension and removal of office-bearers ;

(vii) the records and registers that shall be maintained by [Gram Panchayats]⁴ and Nyaya Panchayats and the form in which they are to be ;

[(vii-a) periodical revision and amendment of [Gram Sabha]⁴ and [Gram Panchayat]⁴ registers;]¹

(viii) the action to be taken on the occurrence of a vacancy in the

executive committee, joint committee, any other committee and Nyaya Panchayats;

(ix) the authority by which disputes in relation to appointments to executive committee, joint committee any other committee or Nyaya Panchayat may be decided and the procedure to be followed therein;

(x) the amount and nature of security to be furnished by a servant of the [Gram Panchayat]⁴ [or Nyaya Panchayat]² from whom it is deemed expedient to require security;

[(xi) appointment, qualifications, supervisions, dismissal discharge, removal or other punishment and other matters relating to the conditions of service, leave, transfer, pay and privileges of the servants of the [Gram Panchayat]⁵ and the Nyaya Panchayat and their rights of appeal ;]³

1. Added by section 85 (1) (a) and (b) of U. P. Act II of 1955.

2. Add by section 85 (1) (c) *ibid*.

3. Added by section 85 (1) (d) *ibid*.

4. Subs. by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.

5. Subs. by section 11 of U. P. Act no. 21 of 1995.

(xii) management and regulation of provident fund for the servants of [Gram Panchayats]⁷ [and Nyaya Panchayat]¹ if the system of provident fund is adopted by any [Gram Panchayat]⁷ ;

(xiii) the establishment, maintenance and management of primary schools and the construction and repair of buildings thereof ;

(xiv) the establishment, administration and control of libraries, reading rooms, dispensaries entrusted to a joint committee, the construction and repairs of buildings connected therewith and the supply of medicine and medical assistance to the poor inhabitant of the [Panchayat area]⁸;

(xv) the discovery, removal and destruction of water hyacinth, [grass, weed or other wild growth]² on any land, premises or water, the construction of fences and barriers for checking its movements and the cost incurred in carrying out such work;

(xvi) action in regard to the sanitation, conservancy, drainage, buildings, public streets and water supply and the prohibition of public nuisance ;

[(xvi-a) the carrying out of functions and duties of [Gram Panchayat]⁷ as mentioned in sections 15, 16 and 17;]³

(xvii) the framing of annual estimates of income and expenditure and earmarking [of]⁴ fund for specific purposes;

(xviii) the returns to be submitted by [Gram Panchayat]⁷ and Nyaya Panchayats, the form in which they are to be, the authorities to which and the time when they shall be submitted ;

(xix) the levy of taxes and licence fees, the authority, by which and the manner in which the taxes may be assessed and the authority to which an appeal from an assessment order may be made ;

[(xix-a) collection of State and other dues by [Gram Panchayats]⁷ and remuneration to be paid therefor ;]⁵

(xx) the method and time of payment of taxes and other dues, the procedure of recovery and the authority whose assistance may be taken by [Gram Panchayats]⁷ in the recovery of taxes and dues ;

(xxi) the method of account keeping of [Gram Panchayats]⁷ [and Nays Pachayat]⁶ ;

(xxii) the maintenance of public buildings and nazul land,

(xxiii) the formalities to be observed when transferring any property and the manner in which a deed of contract may be executed by a [Gram Panchayat]⁷ ;

1. Added by section 85 (1) (e) of U. P. Act II of 1955

2. Added by section 85 (1) (f) *ibid*.

3. Added by section 85 (1) (g) *ibid*.

4. Added by section 85 (1) (h) *ibid*.

5. Added by section 85 (1) (i) *ibid*

6. Added by section 85 (1) (j) *ibid*.

7. Subs. by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.

8. Subs. by section 56 (a) (i) *ibid*.

(xxiv) powers of auditors, inspecting and superintending authorities to hold inquiries, summoning and examining witnesses, compelling the production of documents and all other matters connected with audit inspection and superintendence,

(xxv) the issue, service or execution of summons, notices and other processes of Nyaya Panchayat and issue and service of notices by [Gram Panchayats]³ ;

[(xxv-a) issue of commissions for examination of witnesses;]¹

[(xxv-b) institution of cases where a Sarpanch refuses to entertain;]¹

(xxvi) the transfer by a Nyaya Panchayat of summons and other processes to another Nyaya Panchayat or any court for service or execution ;

(xxvii) the fees to be levied by Nyaya Panchayats for institution of suits and cases for issue of processes, for obtaining copies of documents and other matters;

(xxviii) the court-fees and other fees payable where a Nyaya Panchayat, with the consent of parties, entertains a civil case which is otherwise beyond its jurisdiction ;

(xxix) the procedure for execution of decrees, orders and sentence passed by Nyaya Panchayats ;

(xxx) the allotment by [Gram Panchayats]³ of funds for the performance by Nyaya Panchayats of their duties under this Act and the extent to which fees paid to Nyaya Panchayats may be appropriated by [Gram Panchayats]³ ;

(xxxi) the powers that may be exercised by Zila Parishad or any prescribed authority or the discharge of their obligations under this Act and the manner in which such powers may be exercised ;

(xxxii) the procedure to be observed in the making of by-laws by prescribed authority for [Gram Panchayats]³ or by [Gram Panchayats]³ ;

[(xxxiii) the prescribing and printing of forms and registers generally relating to any matter under this Act or rules made thereunder;]²

(xxxiv) the, submission for approval of plans, designs, specifications and estimates ;

(xxxv) the duties, powers and functions of village volunteer force ;

1. Added by section 85 (1) (k) of UP. Act II of 1955.

2. Subs. by section 85 (1) (l) *ibid*.

3. Subs. by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 111]

(xxxvi) the submission of annual reports by [Gram Panchayats]⁴, [Nyaya

Panchayats]¹ and their review ;

(xxxvii) persons, other than members of [Gram Panchayats]⁴, who may be present in an advisory capacity in meetings of [Gram Panchayats]⁴ ;

(xxxviii) channel of correspondence between a [Gram Panchayat]⁴ and Nyaya Panchayat and other authorities ;

(xxxix) disposal of assets and liabilities of [Gram Sabhas or a Gram Panchayats]⁵ or Nyaya Panchayats on its abolition ;

(xl) the action to be taken on the inclusion of the whole or part of the local area of any [City]³ municipality, notified area, town area or cantonment, and the manner in which the assets and liabilities of the [Gram Panchayat]⁴ may be disposed of in circumstances ;

(xli) the conditions subject to which sums due to a [Gram Panchayat]⁴ may be written off as irrecoverable, and the conditions subject to which the whole or any part of a fee may be remitted; and generally for the guidance of [Gram Panchayats]⁴, Nyaya Panchayats, joint committees, or the committees, servants of the Crown and other authorities in any matter connected with the carrying out of the provision of this Act;

[(xlii) the regulation of the election of the members of the [Gram Panchayat]⁴ in order to secure the adequate representation of the Scheduled Castes;

²(xliii) assistance to be given by the [Gram Panchayat]⁴ to Government servants on any matter affecting the general administration ;

²(xliv) powers and duties of Sahayak Sarpanch and Up- Pradhan ;

²(xlv) borrowing and lending of money by [Gram Panchayats]⁴;

²(xlv) the matters which are to be and may be prescribed; and

(xlvii) any matter in respect of which power is conferred in section 111 on the prescribed authority to frame a by-law for a [Gram Panchayat]⁴.]²

(3) [***]⁶

Power of Zila 111-
Parishads to
frame by-laws

The prescribed authority may and when required by the State Government, shall make by-laws for a [Gram Panchayat]⁴ within its jurisdiction consistent with the Act and the rules made thereunder for the purpose of promoting or maintaining the health, safety and convenience of persons residing within the jurisdiction of [Gram Panchayat]⁴ and for furtherance of administration of [Gram Panchayats]⁴ under this Act.

1. Added by section 85 (1) (m) of UP. Act II of 1955.

2. Added by section 85 (1) (p) *ibid*.

3. Ins. by section 73 (b) of U. P. Act no. 37 of 1978.

4. Subs. by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.

5. Subs. by sect. 56 (a) (ii) *ibid*.

6. Omitted by section 56 (b) *ibid*.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 112-113]

Power of 112-
[Gram Pancha-

(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder and the by-laws, if any, made by the prescribed authority, a [Gram Panchayat]³ may

yats]³ to frame
by-laws

frame by-laws----

(a) to prohibit the removal or use of water for drinking purposes from any source which is likely to cause danger to health and to prohibit the doing of anything likely to contaminate any source of drinking water;

(b) to prohibit or regulate the discharge of water from any drain or premises on a public street or into a river, pond, tank, well, or any other place;

(c) to prevent damage to public streets and [Gram Panchayat]³ property;

(d) to regulate sanitation conservancy and drainage in the area of [Gaon-Panchayat]³ ;

(e) to prohibit or regulate the use of public streets or other public places by shop-keepers or other individuals or collection to market tolls on public streets;

(f) to regulate the manner in which tanks, ponds and cesspools, pasture land, playground, manure pits, land for disposal of dead bodies and bathing places shall be maintained and used;

[(g) to regulate any other duties or functions of the [Gram Panchayat]³ as may be directed by the prescribed authority.]¹

(2) The draft of by-laws framed by [Gram Panchayats]³ shall be published in the prescribed manner. Any objections received thereto shall be considered at a meeting of the [Gram Panchayat]³ and the by-laws shall then be submitted together with the objections, if any, received and the decisions taken thereon to the prescribed authority. The by-laws as sanctioned by the prescribed authority shall come into force after they have been published in the prescribed manner [:]²

[Provided that the State Government at any time rescind or modify any by-laws so approved.]²

Repeal and
transitory
provisions

113-

(1) [***]⁵

[(2) On the from the date of commencement of the Uttar Pradesh Pachayat Laws (Amendment) Act, 1994, any reference to the [“Gram Sabha”]³ or [“Gram Panchayat”]³ in any rules, regulations, bye-laws, statutory instruments or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to the “Gram Panchayat”.]⁴

-
1. Add by section 86 (1) of U. P. Act No. 2 of 1955.
 2. Add. by section 86 (2) ibid.
 3. Subs. by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.
 4. Added by section 58 ibid.
 5. Omitted by section 12 of U.P. Act No. 21, 1995.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 114-117]

Casual
vacancies to be
left unfilled in

[114-

[(1)]² Where a vacancy occurs on any body constituted under this Act by reason of the death resignation, removal or a voidance of the election of a member or other office (bearer and the) term of office of that member or other office bearer

certain cases

would in the ordinary course of events have determined within six months of the occurrence of the vacancy, the prescribed authority may direct that the vacancy be left unfilled until the next general election under this Act.]¹

[(2) In the event of vacancies in the offices of both Pradhan and Up-Pradhan remaining unfilled by virtue of direction made under sub-section (1) the prescribed authority may by order, make such arrangements as it thinks fit for the discharge of the functions of the Pradhan till a Pradhan is elected.]²

⁴[Succession to property, assets rights, liabilities and obligations in certain cases

115-

(1) On and from the date of commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994--

(a) all property, interest in property and assets including cash balances, wherever situate, which immediately before such date were vested in the [Gram Sabha]³ shall vest in and be held by the Gram Panchayat for the purposes of this Act; and

(b) all rights, liabilities and obligations of the aforesaid [Gram Sabha]³ whether arising out of any contract or otherwise, existing immediately before such date, shall be the rights, liabilities and obligations of the Gram Panchayat.

(2) Where any doubt or dispute arises as to whether any property, interest or asset has vested in a Gram Panchayat under sub-section (1), or any right, liability or obligation has become the right, liability or obligation of a Gram Panchayat such doubt or dispute shall be referred in the manner prescribed to the State Government whose decision shall unless superseded by any decision of a court of law, be final.

Sums due

116-

All sums due to the [Gram Sabha]³, whether on account of any tax or any other account, shall be recovery, it shall be competent for the Gram Panchayat to take any measure of institute any proceeding which it would have been open to the [Gram Sabha]³ to take or institute, if the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994 had not come into force.

Debts, obligations, contracts and pending proceedings

117-

(1) All debts and obligation incurred and all contracts made by or on behalf of the [Gram Sabha]³ before the date referred in sub-section (1) of section 115 and subsisting on the said date shall be Gram Panchayat in exercise of the powers conferred on it by this Act and shall continue in operation accordingly.

-
1. Add by section 87 of U. P. Act no. 2 of 1955.
 2. Renumbered and Ins. by section 9 of U.P. Act No. 6 of 1969.
 3. Subs. by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.
 4. Added by section 59 *ibid*.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Section 118-119]

(2) All proceedings pending before any authority of the said [Gram Sabha]¹ on the said date, which under the provisions of this Act, are required to be instituted before or undertaken by the Gram Panchayat and all other such proceedings shall,

so far as may be, be transferred to and continued by such authority before or by whom they have to be instituted or undertaken under the provisions of this Act.

(3) All appeals pending before any authority of the said [Gram Sabha]¹ on the said date shall so far as may be practicable be disposed of, as if there was a Gram Panchayat when they were filed.

(4) All prosecutions instituted by or on behalf of the said [Gram Sabha]¹ and all suits and other legal proceedings instituted by or against the said [Gram Sabha]¹ or any officer of the said [Gram Sabha]¹ pending on the said date, shall be continued by or against the Gram Panchayat or the officer as the case may be, as if there was a Gram Panchayat constituted when such prosecution, suit or proceeding was instituted.

Provision until
the constitution
of Gram
Panchayats

118- Notwithstanding anything in this Act, during the period between the commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994 and the constitution of the Gram Panchayat [for the first time under this Act as amended by the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994]³, the Gaon Panchayat and its Pradhan, Up-Pradhan and members shall respectively exercise perform and discharge the powers, functions and duties of the Gram Panchayat and its Pradhan, Up-Pradhan and members and shall be deemed respectively to be the Gram Panchayat and its Pradhan, Up-Pradhan and members.

Power to
remove
difficulties

119- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, or by reason of anything contained in this Act to any other enactment for the time being in force, the State Government may, as occasion requires, by notified order direct that this Act, shall have effect subject to such adaptations, whether by way of modifications, addition or omission, as it may deem to be necessary and expedient.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of the period of two years from the commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994.

(3) The provisions made by any order under sub-section (1) shall have effect as if enacted in this Act and any such order may be made so as to be retrospective to any date not earlier than the date of commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994.

(4) Every order made under sub-section (1) shall be laid as soon as may be, before, both the Houses of State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.]²

-
1. Substituted by section 2 of U. P. Act No. 9 of 1994.
 2. Added by section 59 *ibid*.
 3. Added by section 13 of U. P. Act No. 21 of 1995.

[The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947]

[Schedule]

SCHEDULE

(See section 68)

Description of suits	Period of limitation	Time from which period begins to run
1. For money due on a contract	3 years	When the money became due to the plaintiff.
2. For the recovery of movable property or the value there of.	Ditto.	When the plaintiff became entitled to the delivery of the movable property.
3. For compensation for wrongfully taking or injuring a movable property.	Ditto.	When the movable property was wrongfully taken or when injury was done to it.
4. For damages caused by cattle trespass.	6 months	When the damage was caused by the cattle trespass.